

am not well enough to go to Delhi. I request you, therefore, kindly to excuse me for not being able to attend the Rajya Sabha sittings the whole of this session."

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Raja Ajit Pratap Singh for remaining absent from all meetings of the House during the current session?

(No. *hon. Member dissented.*)

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

ENQUIRY RE: NOTICE OF A MOTION FOR PAPERS

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, I gave a short notice question and a notice calling for papers about the calling out of the military in Howrah, both of which you disallowed on the ground that the Prime Minister had said something . . .

MR. CHAIRMAN: No, I have not even seen them.

THE REPORT OF THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE—continued

DR. H. N. KUNZRU (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, I have read the Report of the Official Language Commission with no little care and although I do not agree with all their recommendations, I must say that the Report is not open to all the objections or rather that it does not deserve the criticism voiced against it in the Dissenting Minutes. The Report, on the whole is a sober document and does not "attempt to ignore the realities of life. But I prefer the approach of the Parliamentary Committee appointed to examine the Report of the Official Language Commission. I think that the Committee has, on the whole, taken the hard

facts of our life into consideration in making the recommendations embodied in its Report. That it is desirable that we should have an Indian language to serve as a medium of communication throughout the country will, I believe, be accepted by most people. At any rate, I am entirely in favour of maintaining the unity of India through the instrumentality of an Indian language. I am in favour of all reasonable suggestions that may be made for promoting the use of Hindi, not merely for the official purposes of the Union but also for other purposes. I should similarly be in favour of the use of the regional languages for the purposes of the States and also for other purposes in which the States are themselves interested. But we have to see that the period of transition is not unduly shortened and that the change-over from English to Hindi particularly is such as not to give rise to any complaints on the part of those whose mother-tongue is not Hindi. The Report of the Parliamentary Committee points out in more than one place that no attempt should be made to make such rapid changes as would be considered unfair by those States where Hindi is not spoken. Its view is that up to 1965, English should be in use for official purposes of the Union . . .

SHRI J. S. BISHT (Uttar Pradesh): After 1965 . . .

DR. H. N. KUNZRU: and that after 1965, when Hindi replaces English, English should continue for some time to come, to be used as an "alternative language. I recognise, Sir, the moderation of the Committee. But I prefer the point of view adopted by the Prime Minister in dealing with this question in the other House. Speaking on the Resolution regarding the inclusion of English as one of the languages in the Eighth Schedule of the Constitution, on 7th August, 1959, he said:

"I believe also two things. As I just said, there must be no imposi-

tion. Secondly, for an indefinite period—I do not know how long—I should have, I would have English as an associate, additional language which can be used not because of facilities and all that, though there is something in that, but because I do not wish the people of the non-Hindi areas to feel that certain doors of advance are closed to them, because they are forced to correspond—the Government, I mean—in the Hindi language. They can correspond in English. So I would have it as an alternate language as long as people require it"

And mark these words:

"and the decision for that, I would leave not to the Hindi-knowing people, but to the non-Hindi-knowing people".

I agree with that point of view of the Prime Minister much more than I do with that of the Committee.

I hope that when the President issues any directives, he will take into consideration the views expressed by the Prime Minister. The scheme proposed by him should not in the slightest degree conflict with this large-hearted and broad-minded pronouncement of the Prime Minister.

Another point that I should like to deal with is the development of Hindi itself. It will be agreed even by the Hindi enthusiasts that although Hindi has the best chance of becoming an all-India language, that is, a language which will serve as a medium of communication between educated people belonging to the different States, it has to be developed so that it may express those concepts, those new ideas and those new points that are springing¹ up every day. Now, in this process, the Constitution lays down, regard must be had for the style and forms of expression used in the other Indian languages. Article 351 lays down that Hindi should be so developed that it may serve as the medium

of expression for all the elements of the composite culture of India. It is specifically laid down that Hindi should assimilate within itself the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule and draw for its vocabulary, wherever necessary or desirable, on Sanskrit as well as other languages. Now, Sir, I agree entirely with the directive contained in this article but I consider it my duty to point out that this directive refers to the style and expression used in Hindustani and other languages of India specified in the Eighth Schedule, Hindustani so far as I remember, has not been defined in the Constitution but we are all aware that Hindustani was the word used by Mahatma Gandhi to describe the language of common intercourse in Northern India, the language spoken in the bazaars which was a mixture of Hindi and Urdu. Now, if we mean to carry out this directive, it is necessary that we should let Urdu words also have a place in the new Hindi which is to embody the style and forms of expression of the other Indian languages. Apart from this, Urdu is one of the languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution.

SHE J. S. BISHT: Will this language be rooted in Persian or Sanskrit?

DR. H. N. KUNZRU: I shall deal with this question a little later.

As I said, Urdu is one of the languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution. There are, therefore, two reasons for taking account of the style and forms of expression used in Urdu for developing the Hindi that will serve our purposes at the present time. Now, while efforts are being made to develop other Indian languages, I am sorry to say that the claims of Urdu have not been adequately recognised so far. I make, Sir, no special claims on behalf of Urdu. All that I want is that the duty that the Constitution

[Dr. H. N. Kunzru.] imposes on us, the Constitution which we have freely accepted for ourselves, must be discharged in the spirit and the letter. Again, Sir, I find that there is a tendency to eliminate every word of Urdu origin in Hindi. Now, that seems to be entirely contrary to the directive of article 351 of the Constitution. In order that there may be no misunderstanding of my attitude on this question, I shall repeat that I am entirely in favour of the development of Hindi so that it may become an all-India language and serve as a medium of communication between the educated people of all parts of the country. I am prepared to give such little as I can in bringing about this desirable consummation but, at the same time, I desire, and again in accordance with the directive of article 351, that the other languages of India should be given the fullest opportunity of developing themselves so that . . .

SHRI N. R. MALKANI (Nominated); Who prevents it?

DR. H. N. KUNZRU: You, by your fanaticism.

SHRI N. R. MALKANI: I, a fanatic?

DR. H. N. KUNZRU: While I am in favour of the fullest development of Hindi, I am also in favour of the fullest opportunity being given to all our regional languages to develop themselves in accordance with the needs of the people of those States.

SHRI JASPAT ROY KAPOOR (Uttar Pradesh): I wish the hon. Member were here yesterday. Dr. Kane was complaining, referring to the glossary, that there were too many Urdu words. The complaint was the other way about. So, there is dispute on both the sides.

DR. P. V. KANE (Nominated): I never said a word about Urdu. I said that not a single word from Tamil or Malayalam had been taken. I did not say a word about Urdu.

SHRI JASPAT ROY KAPOOR: If the hon. Member refers to his speech, he will find this out.

DR. P. V. KANE: I said that there were no words from Tamil or any of the Southern languages and that the Sanskrit used was bad. That is what I said.

DR. H. N. KOJNZRU: I need not reply to my hon. friend, Shri Kapoor, who has been disowned by Dr. Kane on whom he relied.

SHRI JASPAT ROY KAPOOR: But the facts are there.

DR. H. N. KUNZRU: That is what Dr. Kane too says.

SHRI JASPAT ROY KAPOOR: If he has such a short memory, what can I do?

DR. H. N. KUNZRU: The hon. Member ought to be more careful; that is the moral of the thing. Now Urdu is one of the regional languages referred to in the Eighth Schedule of the Constitution. It may be spoken by a large number of people or by a small number of people but that is not the question that we are concerned with. We are concerned with the directive given in the Constitution which we have freely accepted for ourselves, and I would draw the attention of the House and the Government to this important question, because if it is properly attended to, even a little help will go far in creating contentment among those who are dissatisfied with the treatment accorded to Urdu at present in those States where there is quite a large number of people speaking this language.

Sir, I now come to the future use of English. The Committee whose Report we are discussing has said on page 11:

"The gradual replacement of English in official work by Hindi and the regional languages does not

mean severance of our ties with English. The special place which it must continue to have in the intellectual and scientific fields, and as a means of international contacts is not conditional upon the perpetuation of the existing arrangement."

Then it goes on to say:

"Advanced students of science and technology have to be familiar with one or more foreign languages."

And then it says:

"English has not only a rich literature which is intimately connected with the whole body of Western thought and culture but is, at present the most important vehicle of scientific and technical information."

I agree with every word here but I want to point out, Sir, that although it is generally supposed that English is necessary for those who are interested in science and technology, it is needed equally for the study of social sciences. Can we study such subjects as sociology and psychology, and politics and economics without an adequate knowledge of some foreign language? English, as the Prime Minister has pointed out, being the language which we could learn very easily than any other foreign language, it is obvious that it should continue to be used by us, used, as I have said, not merely for scientific and technological purposes but also for the purpose of studying social sciences. I want to lay stress on this lest it should be supposed that the use of English may in future be confined within a narrow field. If this idea prevails, I am afraid the interests of the country will be considerably damaged.

The next point I want to point out in this connection is, though Hindi may become in future what is popularly known as the *lingua franca* of

India, it is not so at present. It is obvious, therefore, that at present it will not be enough for us to know English sufficiently well to be able to read books. Comprehension alone will not serve our purpose; it is necessary also that those who learn English should also be able to speak it. This is a point which is generally slurred over, or is not taken note of, but I venture to think that at the present time in the present state of our country both comprehension of English and ability to speak it are vitally necessary for the maintenance of our unity. It is not a matter of pride for me to say this; I regret that it should be so but we must recognise the realities of life. Nothing can be gained by ignoring that. Unfortunately, sufficient stress is not being laid on this point and today we see young men coming out of the secondary schools who are insufficiently equipped and whose knowledge of English is insufficient to enable them either to understand books on any subject or to express themselves adequately in it. If the recommendations of this Report, broadly speaking, are to be accepted, our educational system too must undergo some change. If the educational system remains as it is at present, if our secondary schools continue unchanged, then I am afraid that, whatever the Report may say about the importance of English, in the intellectual field or in the scientific field it will serve no practical purpose.

Lastly, Sir, I should like to draw the attention of the House to an observation made by the Committee on page 21 of its Report. It points out that it would be necessary for officers of the All India and the higher Central Services to have adequate knowledge of English for the efficient performance of their duties for a considerable time to come. I welcome this pronouncement but the Committee goes on to say:

"The Committee is, therefore, of the view that there should be a compulsory English paper even

[Dr. H. II. Kunzru.] after the medium of examination is changed, and that this should continue until English is completely replaced by Hindi for all official purposes."

I agree, Sir, that there should be a compulsory English paper even after the medium of examination is changed but I do not know whether it will be practicable to change the medium of examination at the present time. I am not in favour of changing it. The Committee says that as an alternative to English Hindi may be allowed to be used as the medium of examination and the question of allowing other languages to be used for the same purpose should be considered by a Committee. Now, I do not think that it will be fair to use Hindi for this purpose while not allowing the regional languages to be used till the expert Committee which is to be appointed to consider this matter has reported. I am all in favour of the development of Hindi but we must be fair to the people of all the States and it will do no harm to Hindi if English alone is used as the medium of examination till we have decided the larger question of the use of the regional languages as media of examination after the report of the expert committee to be appointed in accordance with the recommendations of this Committee.

Apart from this, even when the State languages are used as the media of examination, we have to consider whether the study of English should continue. Will it be necessary even then for the officers of the All India and the higher Central Services to know English or not? I venture to think that most people will agree that an adequate knowledge of English will be necessary even then. The compulsory paper in English should therefore continue even when English is replaced completely by Hindi and the State languages. Sir, it may seem that I am unduly in favour of English but I have no partiality for the

English language as such. I am thinking of the best interests of my own country. Will it do us any good if we isolate ourselves from the world and are unable to be in touch with the developments that are taking place both in the intellectual and in the scientific fields in the more advanced countries? Will it be an advantage to us when we find ourselves unable to talk to a single man not belonging to our country in an international gathering? We possess an incalculable advantage today by our capacity to handle the English language efficiently. We shall lose this inestimable advantage if we take a short-sighted view of this matter. I urge, therefore, not out of any spirit of opposition to Hindi—which let me repeat I would like to see develop itself as quickly as possible—but in the vital interests of my country that English should continue to be learnt, that it should be learnt efficiently, and that it should be learnt not merely for the purpose of understanding books on scientific and technical subjects, but also sufficiently well to enable us to express our own ideas in it. For it is only in that way we can make it clear in international gatherings that we are citizens of the world and are able to make our contribution to the discussions that take place there on a footing of equality with the more advanced nations.

SHRI JASPAT ROY KAPOOR: May I, Sir, with your permission, on a point of personal explanation, intervene? I said that yesterday Dr. Kane had made a grievance that Urdu equivalents have been given in the glossary adopted by the Parliamentary Committee appointed for that purpose. I was, to use Dr. Kunzru's words, disowned by him. This is what Dr. Kane said yesterday:

"Sanskrit, of course, has been given but practically, no word has been taken from any of the South Indian languages. They have given alternative words in many places, I one Urdu and one Sanskrit but

not a single word from any of the South Indian languages. That is the first difficulty."

And he further said:

"They also give here 'Bandargah'. What is this word? They should have put Velapur which is exactly the word you want. That gives the exact meaning."

I was referring to this thing about Urdu which he said.

DR. H. N. KUNZRU: It is obvious from this that he has not complained that alternative Urdu words have been given. His complaint was that no alternative word in any South Indian language has been given.

DIWAN CHAMAN LALL ('Punjab): No correct words either.

SHRI JASPAT ROY KAPOOR: Urdu words were, according to him, unnecessarily used. That was my point.

MR. CHAIRMAN: We had first allotted seven hours. We have extended it to ten hours and the debate will have to conclude before 5 o'clock, because we have a Half-an-hour Discussion at 5 o'clock. I think that the Home Minister will reply at 4— may I take it?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI GOVIND BALLABH PANT): Sir, I do not propose to take an hour.

MR. CHAIRMAN: Four-fifteen or four-thirty, it does not matter. Then, we will take up the Half-an-hour Discussion. I hope that Members will be as brief as possible, if they want to accommodate other Members. It is out of consideration for others that you have to be brief. I have got a long list here.

श्री गंगा शरण सिंह (बिहार) : माननीय सभापति जी, भाषा का सवाल किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

जहां तक मैं समझ पाया हूँ, हमारे देश के लिए सरकारी कामों में व्यवहार के लिए, केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच में आदान प्रदान के लिए, और एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आपसी व्यवहार के लिए जिस भाषा की आवश्यकता है, वह एक भारतीय भाषा होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में शायद मतभेद की गुंजाइश नहीं है। हमारे देश के लिए एक भाषा का होना सिर्फ राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न नहीं है बल्कि व्यावहारिकता की दृष्टि से भी, उपयोगिता की दृष्टि से भी हमारे देश के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है और वह भाषा ऐसी होनी चाहिये जिस भाषा में हम शुरू से सोचते हैं, जिस भाषा में हम विचारते हैं, और जिस भाषा में हमारा दिमाग काम करता है। वह भाषा ऐसी भाषा नहीं हो सकती है जो एक खास उन्नतता के बाद हम सीखते हैं। आज जो देश में परिस्थिति है उससे यह स्पष्ट पता चलता है कि ऐसी भाषा जो पीछे से सीखी जाती है, उस भाषा में उस सफाई के साथ, उस इमोशन के साथ, उस भावना के साथ हम अपने कामों को पूरा नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार हम अपनी उस भाषा में अपने कामों को पूरा कर सकते हैं जो भाषा हम लड़कपन से, बचपन से सीखते हैं।

इसके साथ ही साथ अगर हम भारतीय भाषाओं पर और उनके रूप पर गौर करें तो हम को यह भी पता चलेगा कि उनके बीच में बहुत कुछ समानताएं हैं, उनके बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब में एक सी हैं, सब में समान हैं। इन्हीं भारतीय भाषाओं के नाम आठवें श्रेणियों में लिखे गये हैं। यदि हम इन भाषाओं के रूप पर, इनकी शब्दावली पर, इनके वर्णों पर, इनके साहित्य पर विचार करें तो हम यह देखेंगे कि इनके पीछे एक ही विचारधारा है। ऐसी दशा में मेरा अपना विचार यह है कि हमारे देश की राजभाषा इन में कोई भी हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी नहीं हो सकती है बल्कि इन्हीं भाषाओं में से

[श्री गंगा शरण सिंह]

एक हो सकती है जिनके नाम आठवें शैड्यूल में दिये गये हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी भारतीय भाषा है जो हमारे व्यवहार के लिए, सरकारी काम काज के लिए ली जानी चाहिए। आज अगर कोई यह प्रश्न उठाता है कि हिन्दी को इस लिए कबूल किया गया है कि हिन्दी सब से समृद्ध भाषा है, सब से धनी भाषा है, तो मैं यह कहूंगा कि यह दावा करना मुनासिब नहीं है। हिन्दी इस लिए नहीं चुनी गई है कि वह सब से समृद्ध भाषा है, सब से अधिक धनी भाषा है, बल्कि उसके बहुत से अन्य कारण हैं। उन में से तीन चार मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि हिन्दी के बोलने वाले किसी भी दूसरी भाषा के बोलने वालों से ज्यादा हैं, हिन्दी के समझने वाले किसी भी दूसरी भाषा के समझने वालों से ज्यादा हैं। दूसरा कारण यह है कि हिन्दी भाषा का जन्म हुआ है समन्वय की दृष्टि से यदि हम हिन्दी के इतिहास पर गौर करें और हिन्दी जिन जिन क्षेत्रों में बोली जाती है उनकी भौगोलिक अवस्था पर गौर करें, तो हमें यह पता चलेगा कि हिन्दी में जितनी विविधता है उतनी दूसरी किसी भाषा में नहीं है। हिन्दी उर्दू का ही प्रश्न ले लीजिये। आज हिन्दी उर्दू का प्रश्न दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा रूप पकड़ गया है जिसमें मेरे जैसे आदमी के लिए जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उस में काफी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। एक जमाना ऐसा था जब हिन्दी और उर्दू में लिपि भेद के सिवा और कुछ उपमाओं और परम्पराओं के सिवा बहुत अंतर नहीं था। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि हिन्दी के जो बहुत पुराने लेखक थे और उर्दू के जो बहुत पुराने लेखक थे उनके बारे में आज यह कह सकना कि कौन हिन्दी का लेखक था और कौन उर्दू का लेखक था बहुत कठिन है। अमीर खुसरू आदि कवियों की कविता में हिन्दी और उर्दू दोनों का समिश्रण है। इतना ही नहीं है, उर्दू के जो पुराने लोग हैं उनके विचारों पर गौर कीजिये तो कहीं कहीं ऐसा

भी देखने को मिलता है कि आज हिन्दी और उर्दू जिस तरह से अलग मालम होती हैं किसी जमाने में ऐसा नहीं था। उर्दू के एक बड़े कवि थे मीर तकी। कुछ लोग उनको गालिब के समकक्ष मानते हैं। वे उर्दू के करुण रस के कवि हुए हैं जैसे संस्कृत में भवभूति करुण रस के कवि थे। उनकी कविता में करुणा का बड़ा जोर होता था। तो उस पर किसी साहब ने मजाक किया कि मीर तकी की कविता में सुखे कल्ब नहीं है, किसी ने उनकी करुणा पर, उनके 'पैथोस' पर, उज्र किया कि उनकी कविता में सुखे कल्ब नहीं है। उसके जवाब में मीर ने लिखा, उस में मीर ने करुणा का परिचय दिया है और भाषा का भी परिचय दिया है। मीर ने क्या कहा? मीर ने कहा :

“क्या जानू लोग कहते हैं किसको सुखे कल्ब, आया नहीं है लफ्ज यह हिन्दी जवां के बीच।”

उर्दू के प्रधान कवि मीर तकी ने कहा कि हिन्दी जवान में यह लफ्ज नहीं आया है, मैं इसका प्रयोग कैसे कर सकता हूँ। तो शुरू में जो हिन्दी और उर्दू का अन्तर था वह लिपि का अन्तर था, स्टाइल का अन्तर था, शैली का अन्तर था और जो उपमायें, जो परम्परायें उर्दू में ली जाती थीं वे शायद परशियन से ज्यादा ली जाती थीं। आगे चल कर, जैसे कि बहुत सी चीजें देश में हुईं, जैसे कि राजनीति में साम्प्रदायिकता आ गई, जैसे बहुत सी गलत राहें हम लोगों ने पकड़ लीं उसी तरह से यह हिन्दी और उर्दू का विवाद भी अपनी जगह से बहुत दूर हट गया और रास्ते से बेरास्ते हो गया। मैं तो आज भी यह मानता हूँ कि लिपि का प्रश्न उठा दिया जाय और उर्दू में जो भारतीय परम्परायें नहीं हैं उनको विकसित होने दिया जाय तो हिन्दी और उर्दू दोनों एक ही भाषा की दो शैलियों में प्रवाहित हो सकती हैं। उर्दू के सम्बन्ध में जो सब से बड़ी विककत मालूम होती है वह लिपि का प्रश्न है। उर्दू के लोग दो बातों के सम्बन्ध में विचार करें। एक तो यह कि एक ही लिपि में,

देवनागरी लिपि में, हिन्दुस्तान की लिपि में, उर्दू लिख सकें और दूसरे यह कि जो उपमायें और परम्परायें परशियन से आती रही हैं वे भारतवर्ष की हो सकें तो आज उर्दू का विवाद समाप्त हो सकता है। आज जब कि हम हिन्दुस्तान में हैं तो बजाय नरगिस के, बजाय बुलबुल के हम कोयल का जिक्र करें और बजाय कोहकन के हिमालय का जिक्र करें। अगर उपमायें और परम्परायें बदल जाय तो यह चीज हो सकती है। मैं यह बात बहुत अदब के साथ उर्दू के भाइयों से कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसका कि भारत में जन्म हुआ है, उसमें चुस्ती है और खानी है, मैं उसका समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह हिन्दी लिपि में लिखी जाय, हिन्दी में उसको लिया जाय लेकिन इसके साथ ही साथ जो दिक्कतें हैं उन का भी हमें खयाल रखना चाहिये। हिन्दी का जो रूप रहा है उसको आप देखिये और किसी भी दूसरी भारतीय भाषा को लीजिये। हिन्दी का शुरू में जो रूप रहा है उसको देखिये। जिस तरह से हिन्दी और उर्दू में एकता रही है उसी तरह से दूसरी भाषाओं से रही है। बंगला का शुरू का जो रूप है और ब्रज भाषा के जमाने की हिन्दी का जो रूप है उन दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। आप रवीन्द्र नाथ टैगोर की "भानु सिंहेर पदावली" को लीजिये और उसकी भाषा को हिन्दी की पुरानी कविताओं की भाषा से मिला कर पढ़िये तो आपको पता चलेगा कि वह ब्रजभाषा के कितने समीप है। हिन्दी के पुराने कवियों की, विद्यापति की, और बंगला के चन्डीदास की और गोविन्ददास की, रचनाओं को पढ़िये। जिन्होंने आज तक उनकी रचनाओं पर ध्यान नहीं किया है वे पता लगायें कि विद्यापति की, चन्डीदास और गोविन्ददास की भाषा में कितनी समानता है। हिन्दी की बंगला के साथ समानता रही है, उर्दू के साथ समानता रही है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको और उदाहरण दे कर बताऊँ कि मराठी के साथ,

गुजराती के साथ उसकी समानता रही है। आप मीराबाई को ही लीजिये, जिस तरह से हिन्दी में मीराबाई हैं, मीराबाई तो हिन्दी की हैं लेकिन गुजराती के जानने वाले भी इस मीराबाई को अपने यहां पाते हैं। नरसी भवत गुजराती के कवि हैं लेकिन नरसी भवत के भजनों को हिन्दी वाले गाते हैं, वे सिर्फ गुजराती जानने वालों के ही भजन नहीं हैं। उनका प्रसिद्ध भजन "वैष्णव जन तो तेने कहिये" जिस तरह से गुजराती का भजन है उसी तरह से हिन्दी का भी भजन है। तो हिन्दी की उत्पत्ति ही समन्वय के रूप में हुई है, तरह तरह की भाषाओं को मिला कर एक रूप देने के लिए, आपसी व्यवहार के लिए एक रूप देने के लिए हिन्दी की उत्पत्ति हुई है। हिन्दी किसी खास प्रान्त या तबके की भाषा नहीं रही है और अगर आज हम हिन्दी को संकुचित करना चाहेंगे तो हम हिन्दी का अहित करेंगे। हिन्दी को क्यों माना है। एक तो इसलिए कि उसके बोलने और समझने वाले दूसरी भाषाओं से ज्यादा हैं और दूसरे यह कि हिन्दी की जो उत्पत्ति हुई है वह समन्वय के लिये, सामंजस्य के लिये, (synthesis) के लिये, हुई है। हिन्दी के बोलने वालों को ही आप देखिये तो आप को पता चलेगा कि हिन्दी के क्षेत्र में भी उनकी अपनी अपनी बोलियां हैं और उन बोलियों का हिन्दी में समादर हुआ है, उनको लिया गया है। इसीलिये हमारी हिन्दी ऐसी होनी चाहिये जो कि विस्तृत हो, जिसमें अधिक से अधिक शब्द हों, जिसका रूप अधिक से अधिक व्यावहारिक हो और जो अधिक से अधिक व्यापक हो सके। यदि हम उसको संकुचित करने की चेष्टा करेंगे तो वह हिन्दी सही हिन्दी नहीं रह जायगी। हमारी पुरानी हिन्दी क्या थी? तुलसीदास की, गंग की, केशव की हिन्दी क्या थी? उस जमाने में हिन्दी की क्या विशेषता थी? एक ने लिखा है कि तुलसी और गंग कवियों के सरदार हुए और यह भी लिखा है कि क्यों हुए।

[श्री गंगा शरण सिंह]

“तुलसी गंग दुआ भये सुकविन के सरदार,
जिनकी कविता में मिली भाषा विविध प्रकार।”

तुलसी और गंग सुकवियों के सरदार इसलिये हैं कि उनकी कविता में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषायें मिली हुई हैं। इसलिये मैं आज बड़े अदब के साथ आप से कहना चाहता हूँ कि हिन्दी की यह जो धारा है वह नदी की तरह प्रवाहित है जो कि सीचिगी, पनपायेगी और आगे बढ़ेगी। उसको हम और आप नहर बनाने की कोशिश न करें, इसकी स्वाभाविक गति को प्रवाहित रखें और बढ़ने दें।

एक यह भी सवाल है कि जो हिन्दी चन्द बरदाई के जमाने की थी, जो हिन्दी विद्यापति के जमाने की थी, जो कबीर के जमाने की थी वह आज नहीं है। जैसे जैसे समय बदलता गया है वैसे वैसे उसके रूपों में, उसकी शैली में, उसके वर्णनों में परिवर्तन होता गया है और मेरा तो खयाल है कि जो हिन्दी आज हम बोल रहे हैं उसका रूप भी शायद हजार या पांच सौ वर्ष में काफी बदल जा सकता है। आज जो खड़ी बोली के नाम से हिन्दी प्रचलित है यह सही मानों में कुछ उन लोगों की बोली है, उन इलाकों के रहने वालों की बोली है जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली या आगरे के आस पास के हैं

डा० एच० एन० कुंजरू : सब पछाह के जिलों के।

श्री गंगा शरण सिंह : लेकिन धीरे-धीरे यह इतनी विकसित हुई। इसने दूसरों के शब्दों को ले लिया, मुहावरों को ले लिया, शैली को ले लिया और यह हिन्दी सारे देश की भाषा कही जाती है या कही जा सकती है। तो हिन्दी को अगर भारतवर्ष की हिन्दी होना है तो भिन्न भिन्न भाषाओं के, भिन्न भिन्न बोलियों के शब्द इस में आयेंगे और उनको आत्मसात करना होगा। हिन्दुस्तान

एक इतना बड़ा मुल्क है और वहां एक भाषा की जरूरत है लेकिन जहां एक भाषा की जरूरत है वहां उसके साथ ही साथ जो हमारी प्रान्तीय भाषायें हैं, हमारी स्थानीय, क्षेत्रीय, भाषायें हैं उन भाषाओं का विकास होना, उन भाषाओं की बढ़ोत्तरी होना भी नितांत आवश्यक है। हमारे यहां बड़ी बड़ी दूरी की एक एक भाषा है, उनका क्षेत्र बड़ा है लेकिन यदि आप यूरोप में जाइये तो छोटे छोटे क्षेत्र में अलग अलग भाषायें हैं। हिन्दुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जहां यह आवश्यक है कि एक भाषा हो, राज्य के कारोबार के लिये, आपसी व्यवहार के लिए एक भाषा हो वहां यह भी नितांत आवश्यक है कि क्षेत्रीय भाषायें भी हों और उनका पूर्ण विकास हो। जैसे कि एक बड़ी नदी होती है और उस नदी को बढ़ाने के लिए, उस नदी में ज्यादा पानी होने के लिए उस बड़ी नदी को अपनी सहायक नदियों की पूरी ताकत और पूरी शक्ति की आवश्यकता होती है, उसके लिए यह आवश्यक होता है कि उन सहायक नदियों में पूरा पानी हो और पूरी शक्ति हो, उसी तरह से यदि हिन्दी को सचमुच में एक अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकसित होना है तो उसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द लेना पड़ेगा और उन भाषाओं की बोलियों से भी शब्द ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिये इस सम्बन्ध में हमारा जो दृष्टिकोण है वह बहुत ही व्यापक होना चाहिये। हिन्दी का आज का जो अभी रूप है वह काफी व्यापक है, सब से ज्यादा अपेक्षाकृत व्यापक है किन्तु फिर भी जिस पूर्णता को पहुंचना चाहिये नहीं पहुंच सका है। मैं तो समझता हूँ कि जब हम इस बात पर सहमत हो जायें कि हिन्दी सब की भाषा है, और इस बात पर हम सहमत भी हैं, तो ऐसी हालत में जो हिन्दी होगी वह सब की भाषा होगी, वह वह हिन्दी होगी जो कि सारे देश का प्रतिनिधित्व करेगी। उस हिन्दी का रूप क्या होगा, इसका निर्णय करने में हमें अपने अहिन्दी भाइयों का सहयोग, उनकी राय और उनकी सलाह भी लेनी चाहिए।

साधारणतः कानून में भी ऐसा होता है कि जब किसी का एक लड़का दूसरे के गोद चला जाता है तो जिसका वह लड़का मौलिक रूप से होता है उसका उस पर अधिकार नहीं रहता है, जो गोद लेता है उसका उस पर अधिकार हो जाता है। उसी तरह से आज हिन्दी को अगर सारे देश ने मान लिया है, उसे गोद ले लिया है, अपनी भाषा के रूप में उसे गोद ले लिया है तो उसके रूप का निर्णय करने में जो हिन्दी नहीं बोलने वाले हैं उनका भी हाथ होना चाहिए। हिन्दी वालों की तरफ से यह प्रश्न किसी दशा में भी नहीं उठना चाहिए कि हिन्दी बड़ी समृद्ध भाषा है और न अहिन्दी वालों को कभी यह प्रश्न उठाना चाहिए कि हिन्दी बड़ी दरिद्र भाषा है और उसे राज-भाषा नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न उठते नहीं हैं, ये प्रश्न उपयुक्त नहीं हैं, ये प्रश्न समय के अनुकूल नहीं हैं, ये प्रश्न प्रसंग के अनुकूल नहीं हैं, इन प्रश्नों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए और ये प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। यह आज जो भाषा का विवाद खड़ा हो गया है भिन्न भिन्न तरह से, भिन्न भिन्न कारणों से, उसको हम और आप सब को मिल कर दूर करने की और आपस में सामन्जस्य करने की चेष्टा करनी चाहिए। जब हिन्दी और उर्दू का विवाद खड़ा हुआ था काफी पहले, तो मुझे याद है उर्दू के बड़े कवि अकबर इलाहवादी ने, इस भाषा के विवाद के सम्बन्ध में कुछ लाइनें लिखीं और वे लाइनें आज भी लागू होती हैं। उन्होंने लिखा था :

“आपस में अदावत कुछ भी नहीं
पर एक अखाड़ा कायम है
जब इससे फलक का दिल बहले
हम लोग तमाशा क्यों न करें ?”

तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह तमाशा बहुत ही अनुचित है। आज हम सब लोगों को मिल कर एक भाषा को आगे लेकर चलाने की जरूरत है। इस बात का खयाल रखना जरूरी है कि हिन्दी भाषियों के आचरण और व्यवहार से उन लोगों के ऊपर जो अहिन्दी

भाषी हैं किसी तरह का भय, डर या आतंक पैदा न हो—यह हमारा और आपका कर्तव्य होता है। इसलिए हिन्दी का प्रश्न आज जब साम्प्रदायिक प्रश्न के साथ मिलाया जाता है, हिन्दी का प्रश्न जब गाय के साथ मिलाया जाता है, या और और दूसरी चीजों से मिलाया जाता है, तो इतना ही नहीं कि मेरा उससे मतभेद होता है बल्कि मुझे शर्म मालूम होती है, क्योंकि मैं भी उस इलाके से आता हूँ जो हिन्दी भाषी है।

हिन्दी का प्रश्न, हमारी राजभाषा का प्रश्न, यह हमारे गौरव का प्रश्न है—न साम्प्रदायिकता का प्रश्न है, न गाय का, न जानवर का बल्कि आदमी का। इसलिए हिन्दी के प्रश्न को किसी दूसरे प्रश्न के साथ मिलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये, शुद्ध स्पष्ट, प्रत्यक्ष रूप में हमें इस को समझना चाहिये। यदि हम इस बात के लिये सहमत हैं कि देश के लिए एक भाषा होनी चाहिये और वह भाषा एकमात्र हिन्दी ही होनी चाहिए तो हमारे सामने सवाल रह जाता है कि उसका रूप कैसे विस्तृत और सर्वग्राही हो, यह स्पष्ट बात है। मुझे थोड़ा बहुत, अपने राजनैतिक काम के चलते, देश के भिन्न भिन्न भागों में जाना पड़ता है, भिन्न भिन्न विचार के लोगों से मिलना पड़ता है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज जो हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोग नहीं हैं, उनके दिल में हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों के कुछ भाषणों से या वचनों से और कुछ अन्य कारणों से भी कुछ आशंकाएं पैदा हुई हैं। आज सारे देश का, इस सदन का, और खास कर हम हिन्दी वालों का, यह कर्तव्य है कि जो अहिन्दी क्षेत्रों से आते हैं उनके दिल की शंकाओं को दूर करें, उनको आश्वासन दें। भाषा का प्रश्न आज आर्थिक प्रश्न भी हो गया है, पेशे का प्रश्न हो गया है, रोजगार का प्रश्न हो गया है, और ऐसी हालत में उन लोगों को आशंकाएं होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आज हिन्दी को राजभाषा के रूप में

[श्री गंगा शरण सिंह]

मान लिया जाय तो जो हिन्दी नहीं जानने वाले लोग हैं उनको एक तरह की दिक्कत होगी, उनको डिसएडवांटेज होगा, उनको डिसएबिलिटी होगी, उनको परेशानी होगी। इसलिए यह काम हम सब लोगों का है कि उनकी आशंका को, उनकी कठिनाई को दूर करें और इसकी कोई न कोई गुंजायश निकालनी चाहिए कि हम भविष्य में कोई ऐसी बात नहीं होने देंगे और न भविष्य में कोई ऐसी चीज होने वाली है कि किसी के हितों को नुकसान पहुंचाए, इसके लिए कोई न कोई उपाय किया जा सकता है। इतना समय होता तो मैं तफसील में उसके सम्बन्ध में निवेदन करता। लेकिन समय नहीं है इसलिए संक्षेप में दो एक बातें कहना चाहता हूँ।

पहली चीज तो यह है कि जो दक्षिण के लोग हैं उनको यह डर है कि यदि हम हिन्दी सीखेंगे तो हमको उन लोगों की अपेक्षा जो हिन्दी सीखे हुए हैं या हिन्दी भाषी हैं कठिनाई होगी और इस तरह हिन्दी भाषी लोग बाजी मार ले जायेंगे और हम पीछे रह जायेंगे। इसलिए अगर हिन्दी को हम ने कड़ाई और रूखाई के साथ आगे बढ़ाया तो उनकी आशंका बलवती होती जायगी। तो जहां हम दक्षिण के भाइयों से या दूसरी जगह के अहिन्दी भाषियों से हिन्दी सीखने के लिये कहते हैं, वैसे हालत में सब से अच्छा तरीका यह होगा कि जो हिन्दी भाषी लोग हैं वे कोई दूसरी अहिन्दी भाषा जानने की चेष्टा करें। इससे यह होगा कि कम से कम अहिन्दी भाषियों को डिसएबिलिटी नहीं होगी और यह भी खयाल उनके दिल में नहीं होगा कि हमको दो भाषाएं सीखनी पड़ती हैं और उनको, हिन्दी भाषियों को, एक ही भाषा सीखनी पड़ती है।

दूसरा प्रश्न यह भी है कि आज आदान प्रदान, एक्सचेंज, का काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है बल्कि

आदान प्रदान के लिए जो साधन, जो मीडियम थे, वे धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। आप उर्दू की उत्पत्ति को देखिये और हिन्दी की उत्पत्ति को देखिये। उर्दू की उत्पत्ति फौजी छावनियों में हुई या, जैसा कहा जाता है, राजाओं के दरबारों में हुई। हिन्दी की उत्पत्ति राज दरबारों में हुई और संत कवियों के जरिये से हुई, चाहे चंद बरदाई को लीजिये, चाहे सरहप्पा को लीजिये, चाहे कबीर को लीजिए। या तो हिन्दी राज दरबारों के आश्रय में पैदा हुई या संत लोगों के द्वारा। आज वे राज दरबार नहीं रहे जिनके जरिये से प्रश्रय मिलता था, आज वे संत प्रचारक नहीं रहे जो हिन्दी का आश्रय लेते थे। इसलिए हमें आज नया माध्यम, नयी परम्परा कायम करनी होगी, आज हम को नया जरिया लाना होगा जिसके जरिये हम हिन्दी को आगे ला सकें।

आप पाइयेगा कि हिन्दी का आज ही सवाल नहीं उठा। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, जितने भी हमारे संत विचारक लोग हुए सब प्रायः दक्षिण में हुए और उन्होंने स्वयं हिन्दी न जानने पर भी उसके क्षेत्र को अपने विचारों के प्रचार का क्षेत्र बनाया। इस प्रकार जितने प्रकार के प्रचार मध्य देश में हुए उतने चाण्ड ही दूसरी जगह हुए होंगे और इसमें शक नहीं है कि हिन्दी मध्य देश की भाषा पहले भी रही है। आज जो वैष्णव तथा अन्य सम्प्रदायों के धार्मिक हिन्दी ग्रन्थ हैं, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि के अनुयायियों के जो ग्रन्थ हिन्दी में उपलब्ध हैं, उनमें धार्मिक भावनाओं के साथ साथ विभिन्न भाषाओं में प्रचलित शब्द भी आ गए हैं। हमें सांस्कृतिक आदान प्रदान के उस श्रोत को जारी रखना चाहिये।

हमारा देश भारतवर्ष ऐसा रहा है जहां भिन्न भिन्न संस्कृतियों का, भिन्न भिन्न

सम्प्रदायों का, भिन्न भिन्न विचारों का समन्वय और समिश्रण हुआ है और मैं समझता हूँ, हिन्दी के जरिये उस सांस्कृतिक क्रम को, उस विनिमय के क्रम को हमें जारी रखना है और आज हम हिन्दी के ऊपर रोक लगा कर एक चैनल में ले जाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वह जो आदान प्रदान का क्रम था वह टूट जायेगा। इसलिए आज भाषा को बढ़ने देना चाहिये, जनता की भाषा को आगे आने देना चाहिये।

मैं उन लोगों में से हूँ जो यह मानते हैं कि व्याकरण भाषा की गति का विस्तार और निर्माण नहीं कर सकता है। भाषा की गति में कतर बौत का काम जैसा कि कैंची का होता है, वैसा ही व्याकरण का होता है। व्याकरण के जरिये कोई भाषा नहीं बननी चाहिये। भाषा बनने के बाद व्याकरण का काम होता है उसमें तारतम्य पैदा करना, सामन्जस्य पैदा करना। इस सम्बन्ध में, मुझे खुशी है, कि हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है। हमारे संविधान में जो ३५१ धारा है उसमें दो चीजों के बारे में कहा गया है। एक तो कहा गया है: हमारी जो भाषा हो उसकी शैली क्या हो, उसका गठन क्या हो? उसमें स्पष्ट किया गया है कि भाषा की शैली के गठन के संबंध में हिन्दुस्तान की और जो दूसरी भाषाएँ हैं उनका आश्रय लेना चाहिये और जहाँ शब्दों को लेने का सवाल है वहाँ कहा गया है कि संस्कृत से शब्द लिये जायें या दूसरी भारतीय भाषाओं से लिये जायें। हमारे संविधान के जो बनाने वाले थे वे बड़े अक्लमंद आदमी थे, उन्होंने इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांटा है। जहाँ तक शैली के गठन का सवाल है, उन्होंने स्पष्ट कहा है, कि हिन्दुस्तानी में और दूसरी जो चौदह भाषाएँ हैं उनसे लेना चाहिए। और, मेरा ख्याल है शैली के लिये हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भिन्न भिन्न भारतीय भाषाओं की शैलियों की अपनी अपनी विशेषता है, जैसे ओजस्विता मराठी से

मिलेगी, कोमलता और मधुरिमा लेना हो तो बंगला में मिलेगी उसमें इनका प्राचुर्य मिलेगा। और अगर मुहावरे लेना है तो उर्दू में मिलेंगे। इसलिये, सब से लेना है। जाहिर है, कि अगर एक ही प्रकार की शैली चले, एक ही प्रकार की हिन्दी चले, यदि ऐसा प्रयत्न हम करने लगे तो मुझे डर लगता है कि जो उद्देश्य हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा बनाने का है वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा और ऐसी समस्याएँ देह में पैदा हो जायेंगी जिससे राज्य या राष्ट्र भाषा खतरे में पड़ जायेगी।

अब सवाल यह होता है कि हिन्दी का रूप क्या हो? उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दी का रूप कुछ तो अपनी स्वाभाविक गतिविधि से होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ सरकार को भी उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। मेरा अपना अनुमान यह है कि इस संबंध में जितना कुछ करना चाहिये था उतना सरकार ने नहीं किया। मैं सतर्कता को समझता हूँ, सतर्कता करनी चाहिये, सावधानी बरतनी चाहिये, लोगों की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिये लेकिन इच्छा तो होनी चाहिये, कुछ गति तो होनी चाहिये। सतर्कता और सावधानी के यह मानी नहीं होने चाहिये कि हम जहाँ हैं वहीं पर खड़े रहें। सतर्कता और सावधानी के मानी यह नहीं होने चाहिये कि हम चारों तरफ चक्कर लगाते रहें, आगे हमारी प्रगति न हो। काफी सावधानी और सतर्कता बरती जा चुकी है। रिपोर्ट में बहुत सी बातें ऐसी कही गई हैं जिनसे मैं सहमत हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है यह जो निर्णय किया गया है, उस निर्णय के मुताबिक वह गति भी होनी चाहिये जिससे हिन्दी कामकाज की भाषा बने, उसके लिये जो कदम उठाये जाने चाहिये वे कदम उठाने के बारे में कहीं भी इस कमेटी की रिपोर्ट में आभास नहीं मिलता है। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आफिशियल लैंग्वेज के लिये, राज्य भाषा के लिये ऐसा बोर्ड बनाये जिसके हाथ में ये

[श्री गंगा शरण सिंह]

सारी चीजें रखी जायें और उस बोर्ड को थोड़ी स्वतंत्रता दी जाय, और वह बोर्ड इस बात को पूरा करने की चेष्टा करे कि किस तरह से हिन्दी का रूप निर्धारित हो, किस तरह से उसकी प्रगति अधिक हो तथा किस तरह राजकाज के काम में उसको प्रयोग में अधिक लाया जा सके और किस गति से, किस तीव्रता से लाया जा सके और में समझता हूं जो निर्णय हों उन निर्णयों में गति और तीव्रता लाने के लिये सरकार को अधिक प्रयत्नशील होना पड़ेगा और उसके लिये कोई न कोई ऐसी कड़ी बनानी होगी जिससे सारे देश को एक भाषा के सूत्र में बांधने में हम कारगर हो सकें ।

और भी अधिक बातें कहनी थीं लेकिन समय की कमी को देखते हुए मैं और समय नहीं लाना चाहता । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री सत्यनारायण (नाम निर्देशित) :
उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सामने जो प्रस्ताव है उस का मैं समर्थन करता हूं किन्तु समर्थन के पहले मैं यह कहना चाहूंगा—और खास कर उस व्यक्ति का स्मरण करना चाहूंगा जिस की देशभक्ति, जिस की सद्-इच्छा, संकल्प और अनुभव के बगैर राजभाषा आयोग की रिपोर्ट सदन के सामने न आती । मेरा मतलब श्री बी० जी० खेर से है जिन्होंने बड़े तीव्र परिश्रम के साथ, बड़ी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ यह आयोग की रिपोर्ट देश को दी । इस बधाई और धन्यवाद के साथ साथ मैं संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री गोविन्द बल्लभ पन्त जी को जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, कार्यक्षमता, अपार बुद्धिमत्ता और सहनशक्ति के साथ इस रिपोर्ट को सदन के सामने पेश किया, बधाई देता हूं । जिन के सामने सारा देश सिर झुकाता है, कहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में इस से अच्छी रिपोर्ट देश के सामने प्रस्तुत नहीं हो सकती थी ।

इस रिपोर्ट को पढ़ कर मुझे सन्तोष है । संतोष इस बात का है कि हमारे देश में भाषा के सवाल को ले कर जो झगड़े खड़े हो गये थे उन को दूर करने के लिये इस रिपोर्ट में काफी सामग्री दे दी गई है । लेकिन मुझे असन्तोष इसलिये है कि इस को आगे बढ़ाने के लिये क्या क्या किया जाना चाहिये, इस तरह की कोई खास बात इस में नहीं कही गई है । जिस समय हमारे देश में संविधान बनाया जा रहा था उस समय एक वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ था और हमारे सामने दो भूत खड़े किये गये । एक भूत अहिन्दी वालों के लिये हिन्दी का था और दूसरा हिन्दी वालों के सामने अंग्रेजी का भूत था । उस के बाद हिन्दी और दूसरी भाषाओं के बीच बहुत झगड़े खड़े कर दिये गये थे और हम सब लोगों ने समझौता किया और वह दूर हो गया । उस समय आवश्यकता इस बात की थी कि जब वह झगड़ा दूर हो गया था तो हम सब लोग भारतीय भाषाओं के लिये कार्य करते लेकिन पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया था कि हम ने ऐसा नहीं किया और हमारे सामने अंग्रेजी का नया भूत खड़ा हो गया ।

मैं जिस प्रान्त से आता हूं वहां के लोग समझते हैं कि हिन्दी वाले दूसरी भाषाओं को दबाना चाहते हैं और हिन्दी वाले समझते हैं कि अगर इस समय हिन्दी नहीं आयेगी तो देश का कार्य रुक जायेगा । इस तरह से देश को दो भागों में बांट दिया गया है, एक हिन्दी भारत और दूसरा अंग्रेजी भारत । हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हमारे देश में जो भाषायें हैं उन के बोलने वालों को यह पता चलना चाहिये कि हिन्दी सीखना आसान है और इस के द्वारा देश का कारोबार आसानी से किया जा सकता है । लेकिन दस साल का समय व्यतीत होने पर भी हम ने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया । हम जिस जगह से पहले चले थे आज भी वहीं पर हैं और किस

तरह से हमें आगे चलना चाहिये इस रिपोर्ट में कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है। लेकिन जैसा हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि अगर भाषा के सवाल को हल करना है तो इस का हल हिन्दी वालों को नहीं बल्कि अहिन्दी भाषा वालों को करना चाहिये। जिस समय अहिन्दी वाले चाहेंगे उस समय यह सवाल आसानी के साथ हल हो सकता है। जब वे कहेंगे कि अब अंग्रेजी को छोड़ कर हिन्दी में काम होना चाहिये तब हिन्दी आयेगी। मैं यह बात नहीं समझ सका कि हिन्दी कब आयेगी? हम सब लोग हिन्दी को लाने के लिये तैयार हैं। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिये कि अहिन्दी वालों की तरफ से इस सम्बन्ध में जो कोशिश हो रही है वह मामूली कोशिश नहीं है। हम लोग करीब चालीस साल से अहिन्दी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। लाखों लोगों ने अब तक हिन्दी सीख ली है और करोड़ों रुपया इस में खर्च किया जा रहा है। हजारों लोग अहिन्दी क्षेत्र में इस समय कार्य कर रहे हैं और करने को तैयार हैं। मैं इस समय आप को बता सकता हूँ कि कम से कम पच्चीस हजार कार्यकर्ता अहिन्दी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपया इस के लिये खर्च किया जा रहा है। आप को यह बात भी मालूम होनी चाहिये कि यह सारा रुपया वहाँ के ही लोग दे रहे हैं और सारा कार्य वहाँ के ही लोग कर रहे हैं। हिन्दी वालों की तरफ से वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी हालत में यह कहना कि अहिन्दी वाले हिन्दी को दबा रहे हैं ठीक मालूम नहीं देता है। वे लोग तो स्वयं अपना काम कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाय तो अहिन्दी प्रान्त में अंग्रेजी जानने वालों की अपेक्षा हिन्दी जानने वालों की संख्या ज्यादा है। इसलिये इस आधार पर इन प्रान्तों में हिन्दी राजभाषा बनाई जा सकती है, ऐसा मैं नहीं मान सकता हूँ। इस के लिये

पहले उस शक्ति की आवश्यकता है, उन सुविधाओं और सहूलियतों की आवश्यकता है जिस के द्वारा हिन्दी इन प्रान्तों की राजभाषा बन सके। अगर इन प्रान्तों को वह शक्ति प्राप्त हो गई, उन की भाषायें आगे बढ़ीं तो हिन्दी का भी उपयोग अच्छी तरह से किया जा सकता है। जबतक इस तरह की शक्ति और सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं होगी तब तक वहाँ हिन्दी राजभाषा नहीं बन सकती है। सदन में ३५१ धारा के बारे में काफ़ी कहा गया है और किसी सज्जन ने उर्दू की मुश्किलता के बारे में भी कहा कि वह किस तरह से चल सकती है। मैं यह मानता हूँ कि हमारे संविधान की धारा ३५१ में यह बात साफ लिखी हुई है कि जब तक भारत सरकार आठवें अनुच्छेद में उल्लिखित भाषाओं को आगे नहीं बढ़ायेगी, उन पर तवज्जो नहीं देगी, तब तक हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है। ऐसा उस में साफ लिखा हुआ है और अगर कोई यह समझता है कि हमारे देश की जो दूसरी भाषायें हैं, प्रादेशिक भाषायें हैं, उन को आगे बढ़ाने का काम प्रादेशिक सरकारों का ही है, संघ सरकार का नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि यह दलील काफ़ी गलत हो सकती है। ३५१ धारा का मतलब यह है कि हमें हिन्दी का प्रचार करना है, बढ़ाना है और दूसरी भाषाओं के शब्दों को ले कर उस में रखना है। तो इस का अर्थ यह हुआ कि हिन्दी भाषा तब तक सम्पन्न नहीं हो सकती जब तक स्वयं लोग इस को न करें। अब सवाल यह होता है कि सम्पन्न का कार्य कौन करे? अगर प्रादेशिक सरकारों के ऊपर यह कार्य छोड़ दिया जाय या सौंप दिया जाय तो यह सम्भव नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रादेशिक भाषाओं को सम्पन्न करने का कार्य संघ सरकार अपने ऊपर ले। जब तक वह यह भार अपने ऊपर नहीं लेती तब तक हम ज्यादा प्रगति नहीं कर सकते हैं।

[श्री सतनारायण]

अब हमारे सामने सवाल यह है कि हिन्दी राजभाषा कब हो ? हिन्दी राजभाषा का मतलब क्या है। क्या इस का मतलब यह है कि जो सरकारी नौकर हैं या जो आने वाले हैं उन्हें हिन्दी पढ़ाई जाय ? यह बात गलत है और मैं इसे नहीं मानता हूँ। हिन्दी का सवाल सिर्फ राजभाषा से सम्बद्ध नहीं है बल्कि हिन्दी का सवाल हमारे देश की आम भाषाओं के सवाल से सम्बद्ध है। यह एक राष्ट्रीय सवाल है और इसे हमें हल करना है। आप देखेंगे कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनकी संख्या प्रान्तीय सरकारों में काम करने वाले मुलाजमीन से ज्यादा है। शायद यह बात बहुत लोगों को मालूम न हो। अगर ऐसे लोगों को ही केवल राजभाषा हिन्दी सिखलाई जाय तो इस से हमारा कार्य बनने वाला नहीं है क्योंकि समूचा देश एक है। इसलिये जितने भी मुलाजमीन हैं उन सब को दो भाषायें अवश्य जाननी चाहियें। इतने ही से हमारा काम चलने वाला नहीं है। जो लोग मुलाजमीन नहीं हैं उन्हें भी हमें यह भाषा सिखानी पड़ेगी जब तक बाहर की जनता यह भाषा नहीं सीखेगी तब तक इन मुलाजमीन से कोई काम नहीं हो सकेगा। केवल भाषा ही सीखना नहीं है इस के साथ ही साथ जनता के सम्पर्क में आना आवश्यक है। जब तक हम जनता को अच्छी तरह से हिन्दी नहीं सिखलायेंगे तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह की कोई बात नहीं बतलाई है। इसलिये यह बात आवश्यक हो गई है कि समूचे देश में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वे जनता के आदमी हों या सरकारी आदमी हों उन सब को दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिये। इस प्रतिवेदन का अन्तिम ध्येय यह होना चाहिये कि जब तक हम इस तरह का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जैसाकि हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे देश के प्रत्येक अहिन्दी भाषा-भाषी लोगों को सरकारी कामकाज के लिये अंग्रेजी जानना आवश्यक है। अगर इस बात को देखा जाय तो इस का मतलब यह हुआ कि एक मद्रासी को पहले तामिल सीखनी पड़ेगी, उस के बाद अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी और अन्त में उसे हिन्दी सीखनी पड़ेगी। इस तरह से उसे तीन भाषायें सीखनी होंगी। लेकिन किसी हिन्दी भाषाभाषी प्रान्त के व्यक्ति को केवल एक भाषा सीखने से उस का काम चल सकता है। ऐसी हालत में अंग्रेजी का बोझ एक मद्रासी के ऊपर क्यों रखा

इस तरह से अंग्रेजी को आगे बढ़ा कर मद्रासियों को, या आंध्रवासियों को या बंगालियों को या दूसरे लोगों को क्यों पछे डाला जाय। जो लोग यह कहते हैं कि अंग्रेजी हम को चाहिये, वे यह इसलिये नहीं कहते हैं कि वे अंग्रेजी चाहते हैं, हिन्दी के साथ साथ वे अंग्रेजी भी पढ़ना चाहते हैं, बल्कि इस लिये चाहते हैं कि इस में थोड़ा सहन शक्ति से काम किया जाय। खास कर के मद्रासी लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन बंगाली लोग क्यों ऐसा कहते हैं ? जैसा कि अमां मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि बंगला और हिन्दी एक दूसरे के इतना नजदिक हैं कि अगर यह निश्चय किया जाय कि अंग्रेजी नहीं रहेगी तो बंगाली दो चार दिन में हिन्दी सीख लेंगे। मद्रासियों के लिये यह बात नहीं है। उन को हिन्दी सीखने में वर्षों लगते हैं। जो मद्रास में कार्य करते हैं, उन को पता है कि वहां कैसी तकलीफें होल हैं। एक जमाना था जबकि वहां लोग हिन्दी के नाम से चिढ़ते ही नहीं थे बल्कि पत्थर फेंकते थे। वे कहते थे कि यह गाड़ी वालों का भाषा है, हमारे पास क्यों लाई जाती है। लेकिन कुछ घोरज, कुछ सहन शक्ति और कुछ उद्योग के साथ लोगों को समझा कर हम ने अपनी तरफ

उन को खींचा और हजारों और लाखों की तादाद में लोगों को हिन्दी सिखाई। यह इतिहास की एक बड़ी भारी बात हुई। वहाँ के लोगों में देशभक्ति है, राष्ट्रीयता है, देश के लिये प्रेम है, और वे हर तरह से त्याग करने के लिये तैयार हैं। वे चाहते हैं कि देश हमारा एक बना रहे और भाषा के नाम से इस के टुकड़े-टुकड़े न हों। इस दृष्टि से वे कार्य करते हैं और आज स्थिति यह है कि हजारों और लाखों लोग हिन्दी सीख रहे हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा बनने से पहले जो राजकाज करने वाले हैं उन को इस के लिये धीरे-धीरे कोशिश करनी चाहिये। यह भी देखा जाना चाहिये कि अभी तक जो अंग्रेजी हमारे देश में थी वह एक ही तरह की भाषा समूचे देश में चलती थी और पूरे देश की भाषा समझी जाती थी। उसी तरह से यदि यह कहा जाय कि जो पद अंग्रेजी को मिला है वह पद अहिन्दी को मिलना चाहिये, तो यह कहना गलत होगा। आज देश एक है और एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रखने के वास्ते अहिन्दी भाषियों को थोड़ी हिन्दी सीख लेना काफी है और इस के साथ साथ उन को अपना काम अपनी भाषा में चलाने के लिये पूरी सुविधा मिलनी चाहिये। अगर ऐसा स्पष्ट कर दिया जाय तो मुमकिन है कि उन की शंका काफी दूर हो जाय।

एक बात मैं इस समय और कहना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने यह कहा है कि अहिन्दी वालों को यह तकलीफ है कि उनको हिन्दी अलग से सीखनी पड़ेगी तो हिन्दी वाले भी क्यों न एक और भाषा सीखें। इस तरह से दूसरे लोगों को सहानुभूति और हमदर्दी दिलाना कि भाई, हमारी भाषा तुम सीखते हो, तो तुम्हारी भाषा हम सीख लेंगे, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीयता की दृष्टि से कोई आवश्यक काम नहीं है। तुम्हारी भाषा हम सीखेंगे, इसलिये तुम हमारी भाषा सीखो, यह राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण नहीं है, यह कोई सौदा नहीं है जब तक अहिन्दी वाले यह नहीं समझेंगे कि हिन्दी हमारी

भाषा है, हिन्दी हम अपने लिये सीख रहे हैं, जब तक उन में हिन्दी के प्रति प्रेम की भावना नहीं पैदा होगी, तब तक इस प्रकार का सौदा करने से कोई लाभ नहीं होगा। वैसे कोई उत्तर भात का रहने वाला दक्षिण की कोई भाषा सीखना चाहे तो सीखे और यह इस दृष्टि से ठीक भी है कि जब तक उस को इस देश की भिन्न भिन्न संस्कृतियों का ज्ञान नहीं होगा तब तक उस का इस देश के साथ पूरा सम्पर्क भी नहीं होगा। इस दृष्टि से उत्तर के लोग दक्षिण की भाषा सीख सकते हैं। लेकिन उत्तर के लोग दक्षिण की एक भाषा सीखते हैं, इसलिये दक्षिण के लोगों को उत्तर की एक भाषा सीखनी चाहिये, यह सौदा मेरी समझ में नहीं आता। यही कारण है कि राजभाषा आयोग ने यह नहीं कहा है कि उत्तर के लोग दक्षिण की एक भाषा जरूर सीखें। वैसे उत्तर के लोग दक्षिण की एक भाषा सीखें और उन को सीखने के लिये हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिये, लेकिन यह एक सौदा के तौर पर नहीं होना चाहिये। इस के लिये सब से अच्छा यह होगा कि हमारे देश में जो हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिये जोश से काम करते हैं, उन को यह चीज सब से पहले शुरू कर देनी चाहिये जिस से जो अपनी मातृभाषा हिन्दी मानते हैं उन में दक्षिण की कम से कम एक भाषा सीखने का उत्साह पैदा हो और दूसरे लोगों को यह मालूम हो जाय कि भाषा प्रेम एक तरफ का नहीं है, यह भाषा प्रेम समूचे देश का है और समूचे देश की भावनात्मक एकता की आवश्यकता है और उस को बनाये रखना आवश्यक है।

एक बात का स्पष्टीकरण यद्यपि नहीं हुआ है, किन्तु मुझे आशा है कि उस पर ध्यान रखा जायेगा और वह यह है कि इस समय बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम आदि उत्तर पूर्व भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में हिन्दी को आगे बढ़ाने में जो कठिनाइयाँ होती हैं उन कठिनाइयों से

[श्री सत्यनारायण]

हजारों गुना ज्यादा कठिनाइयां दक्षिण भारत में होती हैं। इस सम्बन्ध में बहुत विस्तार के साथ राजभाषा आयोग ने नहीं बताया है। इसलिये जिन लोगों को पता नहीं है उन को दक्षिण के प्रान्तों में जाना चाहिये और वहां सारी बातों को देखना चाहिये। जो सज्जन इन बातों को जानना चाहेंगे उन को मैं सुझाव दूंगा कि हिन्दी के द्वारा तामिल सीखने के लिये हमारे पास बहुत सी पुस्तकें हैं, अगर कुछ पुस्तकें उठा कर के वे पढ़ लें तो उन को खुद पता चल जायगा कि अगर कोई बंगाली हिन्दी को चार महीने में सीख सकता है तो कोई तामीलियन हिन्दी सीखने में एक साल लगायेगा और कोई हिन्दी भाषा-भाषी तामिल सीखने में पांच साल लगायेगा। इस प्रकार उतर और दक्षिण की भाषायें एक दूसरे से इतना दूर हैं कि उन को सीखने में काफी तकलीफ होती है और इस तकलीफ का खयाल रखना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आज हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी का सीखना आसान है। ऐसा लोग मानते हैं और हम से कहते हैं। लेकिन हम उन को समझाते हैं कि इस का कारण यह है कि अंग्रेजी का वातावरण दक्षिण भारत में ज्यादा होने की वजह से लोगों को अंग्रेजी आसान मालूम होती है और जब हिन्दी का वातावरण दक्षिण भारत में बढ़ेगा तब हिन्दी भी आसान मालूम होगी। इस वातावरण को बढ़ाने के लिये सिर्फ राजभाषा के प्रचार से काम नहीं चलेगा, बल्कि समूचे देश में ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जिस से किसी भी कोर्ट में, किसी भी कचहरी में, किसी भी क्लब में या किसी जगह कोई जाय तो वहां पर दो चार हिन्दी बोलने वाले मिल जायें। जब ऐसा हो जायगा तो लोगों को हिन्दी वैसी ही नजदीक की भाषा मालूम होगी जैसी कि आज अंग्रेजी मालूम होती है। आज हिन्दी को उसी तरह से आगे बढ़ाने की जरूरत है जिस तरह से अंग्रेजों ने अंग्रेजी को आगे बढ़ाया था और उस की हर तरह से मदद की थी।

एक बात यहां पर यह कही गई कि जहां तक उर्दू का सवाल है लोग यह मानते हैं कि दक्षिण के लोग उर्दू पसन्द नहीं करते, दक्षिण के लोग संस्कृत ज्यादा पसंद करते हैं, इस लिये हिन्दी में यदि संस्कृत के शब्द अधिक से अधिक रहेंगे तो दक्षिण के लोग पसन्द करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि आप उलू, कन्नड़, मराठी, गुजराती लें। इस समय की जो हिन्दी है उस हिन्दी से उर्दू के शब्द इन भाषाओं में ज्यादा हैं और वे पूरी तरह से इन भाषाओं में हज़म हो चुके हैं। मैं ऐसी बहुत सी फेरिस्तें दे सकता हूँ कि मराठी में कई फारसी और उर्दू के ऐसे शब्द हैं जो मामूली तरह के लोग जानते हैं और उन को पता भी नहीं है कि वे उर्दू के शब्द हैं। अब वे उन के अपने शब्द हो गये हैं। उसी तरह से हिन्दी वालों के जो शब्द अपने हो गये हैं उन को छोड़ना नहीं चाहिये। अगर वे छोड़ेंगे तो दूसरे लोग भी छोड़ने लगेंगे। यदि कोई कृत्रिम भाषा हमारे देश में बनाई गई तो जो आगे आने वाले लोग हैं उन को उसे समझने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। ऐसी कृत्रिम भाषा का आवश्यकता नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इस मोशन का समर्थन करता हूँ और आप का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

PROF. A. R. WADIA (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I naturally belong to a State which can be described as non-Hindi speaking. At the same time, Sir, I am proud to say that for more than a fourth of a century I have been an admirer and a lover of Hindi and I am glad that during my stay in Mysore I was in a position to do my little humble bit for the propagation of Hindi. For nearly a decade I was the President of the Mysore Branch of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, and I can assure this House that Hindi has been making very steady progress in Mysore.

At the same time, Sir, especially during recent years, I feel that a lot of harm has been done to the cause of Hindi, not by us who belong to the

non-Hindi-speaking areas, not even by the South Indians, but most particularly by the Hindi-speaking population of Uttar Pradesh by the way in which they have been approaching the problem of the Hindi language, the way in which they ridicule those who do not speak Hindi. They consider that people who do not speak Hindi are not patriotic enough or patriotic Indians. They are the people who are doing the maximum amount of harm to the spread of Hindi as the common language.

SHRI JASPAT ROY KAPOOR: Why accuse us of things of which we are not guilty?

PROF. A. R. WADIA: Mr. Kapoor may be a very good representative and a very sensible person from Uttar Pradesh but I wish that his example was followed by everybody else in U.P. Otherwise, was there any justification for the very powerful plea that was put forth this morning by Pandit Kunzru on behalf of Urdu and for the memorial submitted a few years ago to the President to safeguard Urdu? Against whom and from whom? Urdu is part and parcel of the Hindi language. Urdu words are part and parcel of the language that the U.P. people have drunk with their mother's milk. In spite of all that, they want to put down Urdu. They want to discard Urdu. That does not inspire confidence. If they are so hostile to Urdu, how will they behave towards the great languages of Tamil, Telugu, Gujarati, etc? It is this attitude that is hindering the spread of Hindi and the popularisation of Hindi. As a proof of my real love for Hindi, I would go even to the length of saying that Hindi should become the medium of instruction in all Universities as soon as we are able to replace English. Now this is an opinion which is not very fashionable unfortunately in our country. Most of the States are almost pledged to replace English by their own regional languages. That is the day when we shall have Balkanisation of our country, the word that has been used by Dr. Suniti Kumar

Chatterji in the Dissenting Minute and I am very happy to find that even though Dr. Subbarayan's note is very hostile to Hindi, yet he says:

0

"I am definitely of the opinion that English should be the medium of instruction in all Universities till such time as Hindi is equipped enough to replace English and that there should be no change-over to the media of regional languages either as an intermediary or as an ultimate measure."

I feel that Dr. Subbarayan speaks as a patriotic person. That is what we all want. Now it seems to me that the approach to the language problem is very false. People who talk of Hindi as the only possible language for India seem to imagine that the whole of India exists for Hindi language. After all the country does not exist for the language, the language exists for the country, and here again I find an indication of a good statement, almost towards the conclusion of the Official Language Report where it is said that the language is only an instrument and there need be no heat or passion on the issue of language. It is a very sensible word used by the Commission itself because it is a wrong approach. A charge has been laid that those who speak for English are not patriots. Now we forget the great service rendered to our country by the English language. It has been the language of Indian patriotism for the last 150 years, for years together, and even how English is being spoken from the platforms of the Indian National Congress and when we compare the figures of the people speaking in the English language with those of the people speaking in Hindi in the Lok Sabha or in this House, we find that English is still the dominant language. Are we unpatriotic? Are we false to our country merely because we speak in English? That is the sort of assumption which puts our back* up. It hurts us, it harms us. That is not patriotism. That is why I commend the mar-

[Prof. A. R. Wadia.] vellous statesmanship of our Prime Minister when he has said that this language problem should be solved not by the Hindi speaking people but by the* non-Hindi speaking people. I personally have no doubt that if only the U.P. people will keep quiet over this language question, if only they will not speak, if they will keep silent, they will gain more converts to Hindi, and every time they will open their mouths about this, they will make 5 or 10 more enemies. Time will do its work. During the Muhamma-dan days, did not Persian become the dominant language? Was it forced on us? The people themselves took to it. It was the time that required the propagation of Persian at that time and later on Urdu became very predominant and later on English became very predominant. Was it forced on us? We took to it. It was Raja Ram Mohun Roy that practically forced the hands of the British Government to introduce the English language in our schools and colleges.

Recently I met a lady from Pondicherry and I was surprised to find that she did not know much of Tamil and she knew French much more. It all depends on the circumstances, it depends on the environment. We take to the language which is most prevalent, which is most convenient and which is most suitable. If we find in course of time that Hindi, not merely because it is spoken by many people but also because it is really useful for India, or if we find that Hindi is a language in which we can express our aspirations, in which we can write poetry, in which we can write philosophy, then naturally we shall take to Hindi, but it takes time. We cannot force the pace. I repeat again that English is not really a foreign language to us. English is by no means . the language only of England. It has become the language of America, which is an independent State, and other British Dominions which are practically independent, though they are within the Commonwealth. English

is still becoming the predominant second language practically everywhere, even in Russia, even in China, and even in Yugoslavia; even in South America English is predominant. English today is a world language. It is English which gives a certain prominence to Indians. I have had the good fortune of attending several international gatherings and I know that the Germans and Japanese there have all been envious of us, Indians. Why? It is because we are able to put forth our ideas, we can sell our ideas in a language which is known to so many of them, namely, in English, whereas Germans and Japanese, who perhaps are really superior to us in several respects, find themselves handicapped that they are not able to express their ideas so well because German has not become an international language nor Japanese has become an international language. That advantage our Hindi enthusiasts want us to throw away in the name of patriotism. Very recently, a fortnight ago, there was an officer from Kerala and we were discussing this question and he said 'I was always for Hindi but after visiting Delhi, I have changed my opinion. They laugh at us, they ridicule us and therefore I am against Hindi now.' That is a very dangerous thing. I would advise my Hindi friends to be a little more reasonable, to be a little more sympathetic, to be a little more understanding of the difficulties of non-Hindi people.

PROF. DR. RAGHU VIRA (Bombay): What do you mean when you say that you are against Hindi? Would you kindly explain it?

PROF. A. R. WADIA: I am not at all against Hindi.

PROF. DR. RAGHU VIRA: 'You said that yourself . . .

PROF. A. R. WADIA: I am not against Hindi, I am not against English either. That is the whole difference between myself and yourself. You seem to think that English is the

language of barbarians or unpatriotic Indians. I am challenging that pro- position. English is as much a pat- ! inotic language as Hindi is or Hindi may be or will ever be. That is the whole difference between myself and the other Members on that side.

Well, Sir, as an educationist, I want English to continue for several years to come, for reasons which have been so ably pointed out by my friend, Dr. Kunzru. As an Indian I want Hindi to replace English as early as possible but not at a breakneck speed, not at a speed which will instil fear in the minds of non-Hindi-speaking people. One thing is certain that compulsion is out of question. There can be no imposition and this imposition is not possible when you come to look at the figures given in the report itself. It says that the people speaking Hindi, Urdu, Rajasthani, Punjabi are 42 per cent, of the total population. The Dravidian languages are spoken by 25 per cent, of the population and the other languages are spoken by 33 per cent. As a single block, Hindi is certainly in a majority but it is not in a majority when you take into consideration the total population. Therefore, we are sympathetic to Hindi only if the Hindi people are appreciative of our difficulties and will not drive us into a nasty corner. After all, we have to face competition with the Hindi people when Hindi comes to be the language of the examinations, especially the competitive examinations or the university examinations. My belief is that this problem of ours will be solved and can be solved; but time is necessary for that. It is no use hurrying the pace. It is no use trying to impose it on vast masses of people or make them feel that a person who speaks English is unpatriotic. That is not the correct attitude.

SHRI H. P. SAKSENA (Uttar Pradesh) : May I know, Sir, whether the masses to whom the hon. Member referred just now have got anything in common with the English lanugu-age?

Prof. A. R. WADIA: Let me ask my hon. friend, Mr. Saksena, whether the masses in South India have anything in common with the Hindi language, except in the matter of general culture?

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair.]

SHRI JASPAT ROY KAPOOR: Of course, they have more in common with Hindi than with English. About five lakhs of them know Hindi.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : No interruptions, please.

PROF. A. R. WADIA: It is a matter of opinion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Prof. Wadia, please address the Chair. No interruptions please. Each one is entitled to his own opinion.

PROF. A. R. WADIA: Well, I know of one Vice-Chancellor, a very eminent Indian, who said that he would like to continue with English as long as possible, and if he had to replace English, he would replace it by a regional language. I do not wish to name the regional language, for if I do, you would know the Vice-Chancellor. But he definitely said that. And he is not the only Vice-Chancellor with that opinion. He used to say that Hindi was as foriegn to him as English, in fact, because Hindi was more foreign to him than English, for at least English we have had for over decades and We have got acclimatised to it, got used to it and it has become the language of thousands of people. Of course, my friend would venture to say that they are only a few.

SHRI JASPAT ROY KAPOOR: Formerly, some people used to call England their home.

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI (Uttar Pradesh): Sir, I hope these interruptions will be stopped.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AK-BAR ALI KHAN): I request hon. Members not to interrupt. We may agree or we may disagree, but let him go on.

PROF. A. R. WADIA: I thank you for supporting me, Sir.

SHRI JASPAT ROY KAPOOR: Sir, I thought some interruptions enlivened the debate. I did not mean to interrupt the speech. I am sorry for the interruption.

PROP. A. R. WADIA: I am coming to the end of my observations and so it does not matter.

Sir, is there any harm if, on the floor of this House I say—not that England is my home; that would be absurd; but should I be ashamed to say—that England is my spiritual home? I say it for the reason that I have learnt many things from English literature, from England. I have learnt patriotism from England. I have learnt philosophy from England and I have learnt the critical method of philosophy from England. I am not going to disown that heritage to please the Hindi patriots here.

Well, Sir, this is the reason why I say that I agree with the Prime Minister that we should certainly go slowly. I should have imagined that with the weight that the opinion of the Prime Minister carries with us and in the whole of India, after the assurance on the floor of the other House, no further debate was really necessary on this point. But unfortunately, die-hards will remain die-hards and nothing will convince them. Therefore it is necessary for humble people like myself to speak out boldly and to say how much they are behind the Prime Minister in his attitude towards the language problem.

श्रीमती सीता युद्धवीर (आंध्र प्रदेश) :
उपसभापति महोदय, भाषा का सवाल आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान वह तब होता है जब उस को आसान दृष्टि से देखें, मुश्किल तभी पैदा होती है जब उस को हम

भावुकता की दृष्टि से देखें। यह हिन्दुस्तान है और यहाँ की राजभाषा इतनी सरल होनी चाहिये कि शहर से लेकर गाँव तक सभी उस भाषा को समझ सकें। हिन्दी भाषा को सरल समझ कर ही संविधान बनना चाहिये। वरन् लोगों ने यह तय किया कि हमारे भारतवर्ष की जो भाषा राजभाषा बनेगी वह हिन्दी होगी। इस की हमें बहुत ही खुशी है। काश्मीर से लेकर बिहार तक हिन्दी बोली जाती है, और दूसरे प्रान्तों में भी हिन्दी बोली जाती है। तो सचमुच हम राजभाषा हिन्दी को सरल बनाने के लिये जितना भी प्रयत्न करें वह थोड़ा ही है। मगर प्रैक्टिकल मुश्किलतात ये हैं कि जब कि संविधान में राजभाषा के लिये पन्द्रह साल का समय दिया है तो अब छः साल के बाद क्या होगा इस को हम आज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं तो महसूस करते हैं कि हम एक गलती कर रहे हैं, और वह गलती यह है कि जो आम बोलचाल के शब्द हैं उन्हें बदल कर हमें उन के स्थान पर हिन्दी के ऐसे शब्द वहाँ जोड़ रहे हैं जिसे आम जनता समझ नहीं सकती है, जैसाकि पुलिस शब्द को सारी जनता समझती है, मगर पुलिस की जगह पर 'आरक्षी' बोलते हैं, टेलीफोन के स्थान पर "दूरभाष" बोलते हैं, सिग्नल शब्द के स्थान पर हम "लोहपथगामिनी सूचना पट्टिका" बोलते हैं। तो इस तरह से सिग्नल शब्द को, जिस को आज एक अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है उसको जब हम "लोहपथगामिनी सूचना पट्टिका" बोलेंगे तो वे जो बेसमझ लोग हैं, उसे समझने के लिये कोशिश करेंगे तो इतनी देर में गाड़ी वहाँ से निकल जायेगी। तो और इस तरह से हम ऐसे शब्दों को हिन्दी भाषा में लेंगे तो इस से हमें बहुत नुकसान होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाषा इस तरह से नहीं बनती। भाषा तब बनती है जब उस का रूप विशाल हो और हम उस को विस्तार से बनाने का प्रयत्न करें। जैसाकि रशिया में है, वहाँ पर इंजीनियरिंग की जगह इंजीनियरिंग बोलते हैं क्योंकि उन

की भाषा में "ज" नहीं है। अरब में कई स्थानों पर टेलीफोन की जगह तलफोन, टेलीग्राम की जगह तलग्राम बोला जाता है। अंग्रेजी भाषा को ही ले लीजिये जिस को हम कई सालों से बोलते आ रहे हैं। उन के पास पक्के रास्ते के लिये शब्द नहीं था उन्होंने "पक्का रोड़" कहना शुरू किया, इसी तरह कच्चे रास्ते के लिये "कच्चा रोड़" कहना शुरू किया। लखनऊ के लोग मौसम की हवा बोलते हैं तो उसी तरह से अंग्रेजों ने मानसून की हवा कहना शुरू किया। गुजराती में एक शब्द है चंपी। उस के मूलाविक कोई शब्द न मिलने से उन्होंने "शैपू" कहना शुरू कर दिया। "शाल" शब्द को ले लीजिये, यह काश्मीर का शब्द है। अंग्रेजों ने भी इसे शाल कहना शुरू कर दिया। आप किसी भी जगह दूसरे मुल्कों में चले जाइये, वहां पर दुकानों में आप "जोध-पुर" मांगेंगे तो बिरजिस दिये जायेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जो आम बोलचाल के शब्द हैं उन को अपनाने से ही भाषा सरल होती है। अगर भाषा को जिन्दा रखना है और उसको उस हद तक पहुँचाना है, सिर्फ एक हाई लेबिल हम ने नहीं देखना है, तो उस को हमें सरल बनाना ही होगा। अगर हमारा ध्यान गांवों के आखिरी कोने तक जाये और अनपढ़ गरीब जनता की तरफ हम ध्यान दें तो हमें भाषा को जिन्दा रखने के लिए ऐसे पक्षपात के शब्द नहीं रखने चाहिये जिनसे सबको तकलीफ हो। सचमुच में यदि हम देखें तो जो लोग ऐसे नये शब्द पैदा करके भाषा में टूंस रहे हैं, उन शब्दों के कारण विज्ञान के क्षेत्र में और सरकार के दूसरे महकमों में भी काफी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। मुझे डर है कि जिस राजभाषा को बनाने के लिए हमें १५ वर्ष लग रहे हैं उसके बनने के बाद उसे समझने के लिए और १५ वर्ष न लग जायें। हमारे यहां हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बनाई जा रही है तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे यहां उर्दू और अंग्रेजी के

जो आम इस्तेमाल करने वाले शब्द हैं उन्हें हमें हिन्दी में रख लेना चाहिये। बाकी अगर हम देखें तो दुनिया भर का जो विज्ञान है उसे हम अंग्रेजी भाषा के ही द्वारा जानते हैं और उसका ज्ञान रखना हमारे लिए लाभकर होगा।

हमारे दक्षिण के भाई करीब दो सौ साल से अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं। जब वे लोग अंग्रेजी भाषा को इतनी जल्दी ग्रहण कर सकते हैं तो हिन्दी को वे और भी जल्दी ग्रहण कर लेंगे। हिन्दी अंग्रेजी से सरल है। अगर इस भाषा को अर भी सरल और मधुर बना दिया जायेगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि वहां के लोग इस भाषा को जल्दी ग्रहण कर लेंगे। वहां के लोग बहुतबुद्धिमान होते हैं और वे हिन्दी भाषा को आसानी के साथ सीख लेंगे। अगर हम ने हिन्दी भाषा में संस्कृत के कृत्रिम शब्द भर दिये तो इस से जनता में एक तरह से गलतफहमी हो जायेगी और हिन्दी भाषा के प्रचार में भी तकलीफ होगी।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमें पन्द्रह वर्ष राष्ट्रभाषा को बनाने में लग गये हैं और आज भी उसकी वही हालत है जो पहले थी, तो मुमकिन है आने वाले पन्द्रह वर्षों में भी हम अपने प्रोग्राम को इस रफ्तार से पूरा नहीं कर सकेंगे। अगर हम ने यही नीति अपनाई तो हम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमें हिन्दी भाषा को इतना सरल और मधुर बनाना होगा जिससे कि सब लोग इसकी ओर आकर्षित हों और सब के दिलों में प्यार की भावना विकसित हो। जिन लोगों को हिन्दी भाषा नहीं आती है उन लोगों के लिए स्टेट की एडीशनल भाषा रखी जाये जिससे चारों कोनों में हिन्दी का प्रचार हो। हिन्दी के अध्ययन को सरल बनाया जाना चाहिए।

आचार्य रघुबंर : उपाध्यक्ष महोदय, भाषा के प्रश्न पर मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसे समय बोलता जबकि यहां पर शासन के

[आचार्य रघुवीर]

मंत्रिमंडल में से, विशेषकर श्री पन्त जी और यदि हो सकता श्री जवाहरलाल जी भी उपस्थित हों। जिन लोगों ने बहुत बुद्धिमत्ता और बहुत परिश्रम करके अंग्रेजी के पक्ष का समर्थन किया है और अंग्रेजी के पक्ष का समर्थन कर रहे हुए अपने आप को जो राष्ट्रवादी, राष्ट्र-प्रहरी और राष्ट्र-भक्त मानते हैं, वे लोग यहां उपस्थित होने चाहें। किन्तु मुझे इस बात का बेदर है कि मुझे वह समय दिया गया जब कि यहां भवन में बीस पच्चीस भाइयों के अतिरिक्त—वे भी अधिकांश वे लोग जो कि हिन्दी के प्रेमी हैं—और कोई नहीं।

मुझे को अपनी दो चार बातें कहनी हैं, अधिक समय नहीं है। मैं भाषा के प्रश्न के विषय में बहुत विदेशों में घूमा हूँ। संसार के बहुत थोड़े देश हैं जहां पर किसी भी विदेशी भाषा को राजकाज की भाषा बनाया गया हो। विदेशी भाषाओं का पढ़ना दूसरी बात है। यदि मैं चार विदेशी भाषाएं पढ़ता हूँ तो वे मेरा भूषण बन जाती हैं, अलंकरण बन जाती हैं, मेरी विशेषता और गौरव बन जाती हैं। किन्तु यहां प्रश्न कुछ दूसरा है। और वह प्रश्न यह है कि हम अपनी भाषाओं के स्थान में अपनी भाषाओं का प्रयोग न करके उसके स्थान में विदेशी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वह विदेश भाषा कौन सी ? जिस को हमारे विजेताओं ने, हम पर अत्याचार करने वाली जाति ने थोपा था। उस भाषा का प्रयोग करना और उसके पक्ष में युक्तियां देना, मुझे तो लज्जा आती है सुनते हुए। क्या मैं उनके साथ बादविवाद करूँ, क्या तर्क करूँ कि तुम कैसे भंवर में फंस गये और उस भंवर में सारे देश को फंसाना चाहते हो ? यदि आज जवाहरलाल अंग्रेजी बोलता है, सुन्दर अंग्रेजी बोलता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि वे अंग्रेजी को सारे देश की भाषा क्यों बनायें, सारे शासन में क्यों चलायें। यदि उनको भाषा नहीं आती तो वे वैयक्तिक

अनुवादक रख लें कोई हानि की बात नहीं है। मैं एक क्षण के लिए यह नहीं कहूंगा कि जवाहरलाल समय निकाले और हिन्दी पढ़े अथवा मंत्रिमंडल समय निकाले, अथवा जो जनता इस देश की आज अंग्रेजी पढ़ चुकी है, यदि उसके पास समय नहीं है तो वह अंग्रेजी में वैयक्तिक काम करे तो कोई बुरी बात नहीं है। इंडोनेशिया में मैंने इसका उदाहरण देखा। राष्ट्रपति डा० सकर्ग—जिनको भूल से सुकर्णा कहते हैं, उनका नाम सुकर्ण है—राष्ट्रपति सुकर्ण घर में डच बोलते हैं अपनी पत्नी के साथ। अपने साथियों के साथ और समाचारपत्रों के सम्पादकों के साथ वे डच बोलते हैं किन्तु जिस समय राष्ट्रपति के रूप में अपनी संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं, जनता के सामने खड़े होते हैं, अपनी लेखनी चलाते हैं, वह लेखनी डच में नहीं चलती वे राष्ट्रपति के रूप में विदेशी भाषा नहीं बोलते उस समय उनकी अपनी राष्ट्रीय भाषा होती है, वे भाषा इंडोनेशिया की। अभी नवम्बर के महीने में मैं रूमानिया गया था, तो स्वाभाविक बात है भाषा जानने वाले लोग भाषा के सम्बन्ध में भारतवर्ष पर प्रश्न करते हैं और स्थान स्थान पर प्रश्न करते हैं। रूमानिया के शिक्षा मंत्री ने मुझे से कहा—मेरी लड़की भी मेरे साथ थी—हम तो समझते थे कि आपकी भाषा अंग्रेजी है, आप कौन सी भाषा बोल रहे हो। मैंने कहा मेरी अपनी भाषा है, बड़ी समृद्ध भाषा है। उन्होंने सीधा सा प्रश्न किया कि आपकी भाषा में और जो अफ्रीका के रहने वालों की भाषाएं हैं उनके स्तर में कितना भेद है ? उन्होंने तुलना नहीं की केवल पूछा कि दोनों के स्तर में कितना भेद है। मैंने कहा हमारी भाषा में वही क्षमता है जो संसार की किसी भी भाषा में है। मैं यह अभिमान के साथ कहता हूँ क्योंकि यह अभिमान केवल अभिमान के रूप में नहीं, यह अभिमान काम करने के पश्चात्, भाषा के अध्ययन करने के पश्चात् ही—अध्ययन करने से पहले नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं अपनी भाषा में वही विचार प्रकट कर सकता हूँ जो आप कर सकते

हैं। वे बोले तब आप अपनी भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करते। मैंने कहा हमारे यहां एक ऐसा दल बना हुआ है जिन्हें अंग्रेजों ने तैयार किया और आज शक्ति उसी दल के हाथ में है।

अभी मैं रूस में गया। परसों उनके विमान में आ रहा था क्योंकि विमान तीस हजार फुट की ऊंचाई पर उड़ता है और कभी कभी प्रेशर का यंत्र बिगड़ सकता है। सांस लेने में कठिनाई होती है तो उन्होंने आक्सीजन के लिए जो यंत्र वहां लगाया उसके ऊपर आक्सीजन नहीं लिखा। रूसी भाषा में किसलोराने लिखा है। रूस के लिए यह भारी प्रश्न है। आज मास्को, लेनिनग्राड, ताशकन्द, इन तीनों स्थानों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है—भारतवर्ष की और भाषाओं के लिए भी प्रबन्ध है। जो भी उनके अध्यापक हैं, जो उनकी विज्ञान समिति आकाडेमिना नाइक के अध्यक्ष एस्मेय नोफ़ है, उनका मेरे से यह प्रश्न था—हम अपने देश में भारतीय भाषा पढ़ना चाहते हैं—आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हम अंग्रेजी को भारतवर्ष की भाषा के रूप में नहीं पढ़ा सकते और न पढ़ायेंगे। हम चाहते हैं कि पांच वर्ष के अन्दर चालीस हजार रूसी ऐसे तैयार कर दें जो हिन्दी पढ़ने वाले हों, हिन्दी लिखने वाले हों, इत्यादि। प्रत्येक देश में यह प्रश्न आता है। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो राष्ट्र प्रेमी हैं। यह कहना बड़ा अनुचित होगा कि दूसरे लोग राष्ट्र प्रेमी नहीं हैं। केवल यह कहना सर्वथा अनुचित नहीं होगा कि राष्ट्र प्रेम का एक अर्थ होता है। राष्ट्र में राष्ट्र भाषा सम्मिलित होती है। भाषा को राष्ट्र से अलग नहीं किया जा सकता है। जो लोग अंग्रेजी को रखने का यत्न कर रहे हैं चाहे वे कितने ही बड़े हों, आज राष्ट्र की दृष्टि से वे लोग राष्ट्र की हानि कर रहे हैं और राष्ट्र को सीधा नहीं चला रहे हैं। भारतवर्ष की भाषाओं में आपस में संघर्ष उत्पन्न हो गये हैं। ये संघर्ष इस प्रकार के हैं जिन को हमें स्पष्ट रूप से

समझना चाहिए। हिन्दी और उर्दू का संघर्ष रहा है, बंगला और उड़िया का संघर्ष रहा है, तामिल और तेलगू का संघर्ष रहा है, गुजराती और मराठी का संघर्ष रहा है। ये बहुत से संघर्ष रहे हैं किन्तु इन सब संघर्षों के होते हुए जिस समय अंग्रेजी हमारे मध्य आकर उपस्थित हो गई। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे संघर्षों का जितना लाभ था वह अंग्रेजी को मिलता गया और आज भी मिलता जा रहा है। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि तामिल भाइयों को हिन्दी अच्छी नहीं लगती, यदि किसी और भाई को हिन्दी अच्छी नहीं लगती तो हमारी ओर से उदारता होनी चाहिये कि हम उनकी बात को सुनें। किन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि तामिल या दूसरे कोई भाई कहे कि अंग्रेजी हो। अंग्रेजी भारतीय एकता के सूत्र के रूप में बनी रहे, यह कहना राष्ट्रीयता का लक्षण नहीं है, राष्ट्रीयता के विरुद्ध है।

अब मैं भारतवर्ष के भाषा के मानचित्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अंग्रेजी में एक शब्द है जिसका जियो-पॉलिटिक्स में उपयोग हुआ है। यह है "हार्ट लैंड"। उसी प्रकार आज एक दूसरा विषय आरम्भ हुआ है जिसका नाम है "जियो-लिंग्विस्टिक्स" और उस "जियो-लिंग्विस्टिक्स" मानचित्र में भारतवर्ष में हिन्दी भाषा "हार्ट लैंग्वेज" बनती है। भौगोलिक स्थिति से प्रत्येक भाषा के चारों ओर अन्य भाषाओं की सीमाएं हैं। हिन्दी के भी चारों ओर भाषा सीमाएं हैं और उनकी संख्या सब से अधिक है। यदि आप गुजराती को लें तो उसकी सीमाओं पर कुछ क्षेत्र हिन्दी का और कुछ मराठी का। यदि हम बंगला को लें तो उसकी सीमाओं पर तीन भाषाएं आती हैं, एक उड़िया है, दूसरी हिन्दी है और तीसरी असमिया। किन्तु यदि हम हिन्दी को लें तो उसकी सीमाओं पर भारतवर्ष की आठ दस भाषाएं आ जाती हैं। एक ओर पंजाबी और काश्मीरी है, एक ओर नेपाली है, उसके पश्चात् पूर्व की ओर बड़े

[आचार्य रघुवीर]

तो बंगला है, उड़िया है, असमिया है, दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ें तो तेलगू है, कन्नड़ है, मराठी है, गुजराती है। इतनी भाषाएँ हिन्दी को छूती हैं अथवा हिन्दी इतनी भाषाओं को छूती है और बीच में पहाड़ नहीं हैं, सीधा मैदान है, चौपट मैदान है। इस प्रकार भाषा के ऐतिहासिक नियमों के अनुसार हिन्दी की सीमाओं पर बहुत बड़े सौ मील के ऐसे बेल्ट हैं जिनमें दो भाषाएँ बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। बंगला और हिन्दी की सीमा कितनी चौड़ी है उसको कोई सौ मील मानता है, कोई दो सौ मील मानता है, कोई तीन सौ मील मानता है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित अनुसन्धान नहीं किया गया। किन्तु यह बहुत चौड़ा बेल्ट है जिसमें लोग बंगला बोलते हैं, बंगला समझते हैं और बंगला की पुस्तकें पढ़ते हैं। इसी प्रकार जब हम हिन्दी और मराठी की सीमाओं पर आते हैं तो जहाँ नागपुर का नगर है वह एक बड़ा भारी बेल्ट है और वहाँ लोग मराठी भी बोलते हैं और हिन्दी भी बोलते हैं और दोनों भाषाएँ समझी जाती हैं। भारतवर्ष में केवल दो भाषाएँ ऐसी रह जाती हैं और वे भाषाएँ हैं तामिल और मलयालम, जिनका सीधा सम्पर्क हिन्दी भाषा के साथ नहीं रहा है। शेष सब भाषाओं का सम्पर्क हिन्दी भाषा के साथ है और उन सभी प्रदेशों में लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जन्म से हिन्दी के साथ बोलने और समझने के रूप में सम्पर्क रहा है। यह हमारी शक्ति है। इस सम्बन्ध में यदि हम एक नियम का पालन कर दें, जो कि भाषा विज्ञान में बहुत आवश्यक स्थान रखती है, तो बहुत उपयुक्त होगा और वह नियम यह है कि जिस जिस सीमा पर दो दो भाषाएँ समझी जाती हैं उन सीमाओं पर दोनों भाषाओं के पढ़ाने का प्रबन्ध कर दिया जाये। यदि ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता तो जिन भाइयों को यह शिकायत है कि हिन्दी भाषियों को अन्य भाषा सीखनी चाहिए, जो कि ठीक भी है, उनकी यह शिकायत कुछ अंश में दूर

हो जाती है और भारतीय भाषाएँ अधिक एक दूसरे के समीप आ जाती हैं। इस बात को मैं फिर दोहराऊंगा कि भारतीय भाषाओं को समीप लाने के लिए जिन को अन्य प्रदेशों की भाषा और साहित्य में रुचि है उनको चाहिये कि वे एक दो अथवा तीन भाषाएँ पढ़ें। इसका देश में प्रबन्ध होना चाहिए।

2 P.M.

अब हिन्दी और दूसरी भाषाओं के संघर्ष का प्रश्न है। मुझे बड़ा खेद होता है कि हिन्दी और भारतवर्ष की अन्य भाषाओं के दो वर्ग बना दिये गये और दोनों में किसी न किसी रूप में एक विरोध खड़ा करने का यत्न किया गया और उस विरोध को समाचारपत्रों में प्रमुख स्थान दिया और उस विरोध के आधार पर आज बहुत सी बातें, बहुत से प्रतिवेदन और बहुत सी रिपोर्टें बनी हैं। यह बात ठीक नहीं है। यह बात अच्छी नहीं है। मैं इस भवन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिन्दी और भारतवर्ष की प्रत्येक दूसरी भाषा का अपना अपना क्षेत्र निश्चित है। तामिल का क्षेत्र निश्चित है, बंगाली का क्षेत्र निश्चित है, मराठी का क्षेत्र निश्चित है, हिन्दी का क्षेत्र निश्चित है, पंजाबी का क्षेत्र निश्चित है। कुछ गांवों या कुछ जिलों में झगड़ा हो सकता है कि इस गांव या इस जिले की भाषा क्या है किन्तु सामान्य रूप से प्रत्येक भाषा का क्षेत्र निश्चित है।

कई भाइयों ने यहां यह कहा कि हिन्दी वालों की ओर से यह संतोष दिलाया जाना चाहिए, दूसरी भाषाओं को बोलने वालों को यह आश्वासन दिलाया जाना चाहिए कि हिन्दी हमारा नाश करना नहीं चाहती। यह आश्वासन देना बड़ा आवश्यक है। किन्तु, यह जो आवश्यकता है यह लोगों के हृदयों की आवश्यकता है, जहां तक विधान का सम्बन्ध है, उसमें स्थिति स्पष्ट है। विधान

न यह चोज स्पष्ट की है कि प्रत्येक राज्य में भाषा का निश्चय उस राज्य के प्रतिनिधि स्वयं करेंगे। तामिलनाडु में किस भाषा का प्रयोग हो और कितनी सीमा तक प्रयोग हो, इसका निश्चय हिन्दी जनता नहीं करेगी, तेलगू जनता नहीं करेगी, बंगाली जनता नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में किस भाषा का प्रयोग हो इसका निश्चय उत्तर प्रदेश की विधान सभा करेगी, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि स्वयं इसका निश्चय करेंगे। प्रत्येक प्रान्त की, प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक प्रदेश की भाषा का निश्चय उसके अपने प्रतिनिधि करेंगे। इसलिये जिस प्रकार का विधान आज हमारा यहाँ है उसमें यह सम्भव ही नहीं कि हिन्दी किसी भी दूसरी भाषा के स्थान को ले सके। हिन्दी भारतवर्ष की किसी भी दूसरी भाषा के स्थान को लेने का न यत्न कर रही है और न ले सकती है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है।

अब दूसरा प्रश्न रहता है केन्द्र की भाषा का। केन्द्र की भाषा के सम्बन्ध में बहुत कठिनाइयाँ हैं और ये कठिनाइयाँ कृत्रिम हैं। ये कठिनाइयाँ वास्तविक कठिनाइयाँ नहीं हैं, ये कठिनाइयाँ मानसिक कठिनाइयाँ हैं, राजनीतिज्ञों की पैदा की हुई कठिनाइयाँ हैं। ये पूर्णरूप से भाषा की कठिनाइयाँ नहीं हैं। मैं आप को यह आश्वासन दिलाता हूँ और यदि आवश्यकता हो तो मैं इस पर अधिक बोलने को उद्यत हूँगा, मेरे पास सारे संसार की भाषाओं के सम्बन्ध में इकट्ठी की हुई जो सामग्री है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने को उद्यत हूँगा। ये कठिनाइयाँ राजनीतिज्ञों की हैं भाषा की नहीं हैं। केन्द्र की भाषा का जहाँ तक प्रश्न है उसको हम कुछ दिनों के लिए छोड़ दें और केवल एक निश्चय कर दें और वह यह कि प्रान्तों में, राज्यों में, जहाँ कि भाषा के सम्बन्ध में कोई झगड़ा नहीं है, जहाँ की भाषा सुनिश्चित है वहाँ उस भाषा का प्रयोग आरम्भ हो। उत्तर प्रदेश में हिन्दी का प्रयोग पूर्णरूपेण आरम्भ हो, इसी प्रकार से महाराष्ट्र में मराठी का प्रयोग पूर्ण रूपेण

आरम्भ हो, गुजरात में गुजराती का, तामिलनाडु में तामिल का प्रयोग आरम्भ हो। सब प्रान्तों में एक एक रोजनल लैंगुएज है।

श्री अभिमन्यु रव (उड़ीसा) : महाराष्ट्र स्टेट ही नहीं तो फिर मराठी रोजनल लैंगुएज कहां।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): No interruptions, please.

अचार्य रघुवीर : प्रत्येक प्रान्त में जब प्रयोग होने लगेगा तब उस समय प्रश्न उठेगा कि आपस में किस भाषा में व्यवहार हो, केन्द्रीय शासन की भाषा क्या हो। उस समय का कोई हल यदि आज मैं आपके सामने रखूँ तो उस में सन्देह होगा, कई प्रकार के लोग उस पर टीका टिप्पणी करेंगे। अतः उस पर आज आपके सामने मैं केवल इतना कहूँगा कि रूस में मैंने इस बात को बड़े ध्यान से देखा। रूस में आज कई भाषाओं का प्रयोग है—वे लोग १६ भाषायें कहते हैं पर १६ भाषाओं का प्रयोग नहीं है—मैं आपके सामने कजाकिस्तान का उदाहरण देता हूँ। मैं कजाकिस्तान में गया और मैंने देखा कि कजाकिस्तान की विधान सभा में, कजाकिस्तान के स्थानीय राज्य के अपने शासन में सब स्थानों पर कजाकी का प्रयोग होता है किन्तु साथ ही साथ में उन्होंने प्रत्येक स्कूल में रूसी भाषा का प्रवन्ध किया हुआ है। आज जो रूस का राजदूत दिल्ली में विद्यमान है वह रूसी नहीं है, वह कजाक है किन्तु जिस समय वह दिल्ली में आता है उस समय वह कजाकिस्तान की भाषा नहीं बोलता, वह रूसी बोलता है।

यदि हिन्दी के बारे में कुछ सन्देह है कि वह अच्छी नहीं है या किसी भी कारण से उसे नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप बंगाली को कर दें, मराठी को कर दें, गुजराती को कर दें। किन्तु यदि हम आपस में झगड़ते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं कि एक विदेशी भाषा हो। रूसी कहते हैं कि

[आचार्य रघुबीर]

"National problems require national solution" राष्ट्रीय समस्याओं का जो हल है वह राष्ट्रीय होना चाहिए। राष्ट्रीय समस्याओं के हल करने में विदेशी भाषा, विदेशी राजनीति, विदेशी रूपया, ये सारी बातें बाधक होती हैं।

(Time bell rings)

मैं दो चार क्षण में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मुझे बहुत थोड़ा समय मिला। दूसरे लोगों को आधा आधा घंटा मिला। मुझे आपने आधा घंटा भी नहीं दिया। मैं बहुत भी बातें कहना चाहता हूँ जो कि बहुत आवश्यक हैं। वे मैं नहीं कह सकूंगा। यदि मैं दो चार मिनट अधिक लूंगा तो आप मुझे क्षमा करें।

यह जो रिपोर्ट आपके सामने आई है इस रिपोर्ट का सार क्या है। इस रिपोर्ट का, इस प्रतिवेदन का, एक सार है जिसका बड़े सुन्दर शब्दों में आदि से अन्त तक प्रतिपादन किया है और पन्त जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम किया है। किन्तु, यह बुद्धिमत्ता राष्ट्रीयता की प्रतीक नहीं है। यह बुद्धिमत्ता दूसरी ओर गई है। सैक्रेटरियेट की, शासन की, समिति के सदस्यों की सारी बुद्धिमत्ता और शक्ति इस बात में लग गई कि कहीं अंग्रेजी फिसल न जाय, कहीं से उसकी छोटी से छोटी जड़ कट न जाय, कहीं उसका बाल बांका न हो जाय, इसलिये उन्होंने यह वाक्य लिखा—आप मुझे समय नहीं देंगे कि उसको पढ़ कर सुना सकूँ—कि अंग्रेजी जहां आज प्रयोग हो रही है उस स्थान से कहीं से भी हटाई नहीं जाय। यह पहला निश्चय है। मैं किस को बघाई दूँ? इसके लिये मैं बघाई नहीं देता। कैसे दूँ? यह देश बघाई नहीं देता और इस सदन में बैठे हुए जो बघाई देते हैं वे भूल कर रहे हैं, अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। यह देश का प्रश्न है, इसमें दो चार व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है, मेरा और आपका प्रश्न नहीं है, सारे देश का प्रश्न है। इस रिपोर्ट में एक सार यह है कि अंग्रेजी नहीं हिलेगी। दूसरा

सार यह है कि हिन्दी किसी भी स्थान पर वैकल्पिक रूप में भी, ऐज ऐन आल्टरनेटिव भी, नहीं लाई जायगी। यह सार है इस प्रतिवेदन का। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ।

श्री जगदीव सिंह बिष्ट (उत्तर प्रदेश) :
आपका इलाज क्या है ?

आचार्य रघुबीर : मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। इलाज यह है कि जितने यहां हम बैठे हुए हैं वे एक बार निश्चय करें कि इस देश में अंग्रेजी नहीं रहेगी। अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है। रख लो तामिल को, कोई आपत्ति नहीं है, पर अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं कि मैं अपनी बात को कह दूँ...

श्री हर प्रसाद सक्सेना : नहीं है, नहीं है, नहीं है।

आचार्य रघुबीर : यह सारा सदन इस बात को कहे, यदि यह सदन राष्ट्र का प्रतिनिधि है। मुझे खेद होता है कि मुझ को यह बात कहनी पड़ रही है। मैं अंग्रेजी का द्वेषी नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ। प्रश्न यह नहीं है कि अंग्रेजी रहे या नहीं रहे, प्रश्न यह है कि हमारी भाषायें रहें या न रहें। इस सम्बन्ध में एक छोटी सी बात मैं आपको सुना दूँ। लन्दन में एक लिनिव्स्टिक कान्फरेंस हुई १९५२ में। मैं भी उस कान्फरेंस का एक मेम्बर था। सारे देशों के भाषा-विज्ञ वहां इकट्ठे हुये और एक छोटी सी अनौपचारिक गोष्ठी हुई। उसमें प्रश्न था कि संसार की ३ हजार भाषाओं में से, छोटी मोटी ३ हजार बोलियों में से, भविष्य में कितनी बोलियां बच जायेंगी। यूरोपियन लोगों ने, डच लोगों ने, नारवेजियनों ने कहा कि हमारी भाषायें छोटी छोटी हैं, हमारी भाषा के बोलने वाले १ करोड़ हैं, २ करोड़ हैं, और हम यह समझते हैं कि जब कभी इस संसार को आवश्यकता पड़ेगी तो सम्भव है कि हमको अपनी भाषा छोड़नी पड़े।

अन्त में निष्कर्ष निकला कि यूरोप में तीन भाषायें रहेंगी, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच। रूसी भी रहेगी क्योंकि रूसी को कभी यूरोपियन मान लेते हैं और कभी नहीं मानते। जब दक्षिण अमेरिका का प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि स्पैनिश रहेगी। जब एशिया का प्रश्न आया तो केवल दो भाषायें सामने आईं इस देश के रहने वाले ध्यान करें कि केवल दो भाषाओं का भाषा-विज्ञान ने नाम लिया। उन्होंने कहा कि एशिया की केवल दो भाषायें बचेंगी आने वाले ५० वर्षों में। वे भाषायें कौन सी हैं? चीनी और जापानी। आप इस बात को निश्चित मानिये, यदि आप मुझे समय देंगे तो मैं आपको स्टैटिस्टिकल इंफार्मेशन दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : मैं आपको १० मिनट ज्यादा दे चुका हूँ। अब आप एक, दो मिनट और फर्मा सकते हैं।

आचार्य रघुबीर : तो भारत की भाषा का कोई नाम नहीं है। यह कोई भाषा का प्रश्न नहीं है, यह एक देश का, एक संस्कृति का प्रश्न है। आप सर्विसमेन के लिये जितना चाहें कीजिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप भारतवर्ष की प्रत्येक भाषा के लिये जितने आश्वासन चाहिये उतने उनको आश्वासन दीजिये उनको जितना समर्थन चाहिये उतना समर्थन दीजिये—मेरे लिये भारतवर्ष की सब भाषायें भारतीय भाषायें हैं—किन्तु कृपा करके अंग्रेजी को वह स्थान दीजिये जो कि संसार में किसी भी विदेशी भाषा को कहीं भी दिया जाता है, जैसे कि इंग्लैण्ड में फ्रेंच को दिया जाता है। १९१४ से पहले फ्रेंच इण्टरनैशनल लैंग्वेज थी और यूरोप के अन्दर फ्रेंच स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। तो आम अंग्रेजी को स्कूलों में पढ़ाइये, यूनिवर्सिटी में पढ़ाइये, उसकी पुस्तकों को पढ़िये और उससे काम लीजिये, आप स्कूल आफ फारेन लैंग्वेज खोलिये और उसमें संसार की पचास भाषाओं को पढ़ाइये, आप राजनीतिज्ञों को विदेशी भाषायें पढ़ाइये किन्तु

शासन और शिक्षा में किसी विदेशी भाषा को व्यवहार माध्यम बनाने का अधिकार किसी देश में नहीं रहा और एक स्वतन्त्र देश में कदापि नहीं रह सकता। इसका जो प्रभाव है वह बहुत दूर तक जाता है और जो सबसे बड़ा प्रभाव है वह मानसिक प्रभाव है, बौद्धिक प्रभाव है। मस्तिष्क के विकास के साथ मातृभाषा का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है।

(Time bell rings.)

आप मुझे समय नहीं दे सकेंगे, मैं आपकी कठिनाई जानता हूँ इसलिये मैं इस विषय को और नहीं लूंगा। भाषा के सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भारतीय मस्तिष्क का विकास करना है।

एक छोटी सी बात और है। वह यह है कि मैंने इंग्लैण्ड के स्कूलों के आंकड़े इकट्ठे किये हैं। वह मैं आप को बताना चाहता हूँ। वहाँ जो बच्चे विश्वविद्यालयों में प्रवेश करते हैं उनको अंग्रेजी भाषा का कितना ज्ञान है। वे अंग्रेजी भाषा के ३० हजार शब्द जानते हैं और प्रत्येक शब्द के सामान्य रूप से तीन चार अर्थ होते हैं उनको जानते हैं। ३० हजार शब्दों को जानने के बाद उनको अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होता है और वे समाचारपत्रों और साहित्य की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। भारतवर्ष के जब यही आंकड़े मैंने इकट्ठा करना चाहा तो मुझे आंकड़े नहीं मिले। मैंने अपने घर में और अपने पड़ोसियों के बच्चों को देखा। मैंने पाया कि मैट्रिक पास करने के बाद उनको अंग्रेजी की शब्दावली ५ हजार शब्दों की है, ५ हजार शब्दों का उन्हें ज्ञान है। शब्द विचार का वाहक है, शब्द विचार का द्योतक है। ५ हजार शब्दों में जो ज्ञान समाया जा सकता है उतना ही तो ज्ञान उनको मस्तिष्क में प्रविष्ट हुआ। स्वतंत्र देशों में, जहाँ अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उनको मस्तिष्क में ३० हजार शब्दों का ज्ञान, ३० हजार विचारों का प्रवेश हुआ। यह विषय बहुत

[आचार्य रघुवीर]

बड़ा है। मैं आप का कृतज्ञ हूँ कि आप ने मुझे दो चार मिनट अधिक दिये।

अन्त में, मैं इस प्रतिवेदन का घोर विरोध करता हूँ, जितना घोर विरोध कर सकता हूँ उतना घोर विरोध करता हूँ। शासन ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया और समिति के सदस्यों ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया।

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I would like to say that it is a matter for sincere gratification that a remarkable degree of unanimity was achieved by the Joint Parliamentary Committee which considered the Report of the Official Language Commission. Notes of dissent, it is to be noted, are from representatives of the Hindi-speaking areas. Now, Mr. Vice-Chairman, I recognise that the Report of the Joint Parliamentary Committee constitutes, from my point of view, an improvement on the recommendations of the Language Commission. This Report is more liberal and more in harmony with the thought of the country not as found in Uttar Pradesh or in Madhya Pradesh but in the south and the west of our country. But my preference in this matter is to the approach of the Prime Minister. In his speech, which is one of the most remarkable speeches of his great career, the Prime Minister put the issue somewhat in its proper perspective. "Now take Hindi", said the Prime Minister, "Hindi is at present objected to by many people in the South".

SHRI B. B. SHARMA (Uttar Pradesh): It is a solemn promise taken by Members of Parliament to introduce it.

(*Interruption.*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Will you please sit down, Mr. Sharma? Do not interrupt him.

SHRI P. N. SAPRU: I regret my friend's mentality. It is only men of this mentality who bring about separation . . .

SHRI B. B. SHARMA: It is the slavery of such persons who have always been brought up and nurtured in the British atmosphere that is responsible. ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): That does not add to the dignity of the House. When you speak, Mr. Sharma, you can have your say.

SHRI P. N. SAPRU: Now take Hindi. Hindi is at present objected to by many people in the South.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): But he has chosen a Prime Minister who is brought up in the English atmosphere.

SHRI P. N. SAPRU: "There is a feeling of imposition among them. As a matter of fact there are vast numbers of people learning Hindi in the South. We heard from the speech of my friend, Mr. Chettiar, that he is learning it very well. The process is going on. But the moment you take up any kind of imposition, quite rightly they get angry, and therefore all talk of imposition must go". Therefore, my point of view is that it is not the Hindi-speaking areas which must determine the pace. Of course, no patriotic Indian can take the view that the language of this country should be a foreign language, should be a language which is alien to the soil of this country. Therefore, I do not say that English should be the official language of this country. That is not my point. My point is that it should have the status of an associate language—if you prefer the word 'subsidiary', I would say subsidiary language.

SHRI B. B. SHARMA: That cannot be in our democracy.

SHRI P. N. SAPRU: My friend has got all his ideas of democracy, of

parliamentary government, of socialism, of conservatism or whatever 'ism' that may be from British sources. More books—let us not be fanatics in this matter—more books are published in English in weeks than those published in all our languages put together in a year or in twenty years for that matter.* Take, for example, any issue of the Literary Supplement of the "Times" or of the "Spectator" or of the "New Statesman", and you will find there reviews of books on all aspects of human thought.

SHRI BHUPESH GUPTA: But my friend there wants to read them in Hindi.

SHRI P. N. SAPRU: Well, he must get writers and translators for that sort of thing. I do not say that that is not a laudable ideal, but it is not an ideal which is achievable within a period of ten years. Let us therefore not cut ourselves off from the main stream of thought in the modern world. Let us not go back to the dark ages or the middle ages. Let us live in the 20th century and work for the realisation of the ideals which are there before 20th century men. It is from that point of view that I claim that knowledge of English is of vast importance to us. Our English masters have disappeared. We are very happy that they have disappeared and gone away from our country. It does not matter to the British people whether you have English as a subsidiary language or not because your contribution to English language and literature is not very much. It does not matter to them from a cultural or from a technological or from a scientific point of view if your standard goes down. It matters to you if your standards go down. You will have doctors who will not be able to write out good prescriptions. You will have engineers who will build bridges which will not last. (Interruption) My friend is an enthusiast . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Mr. Sapru, you address me. 57 HSD—6.

SHRI P. N. SAPRU: I will address you, Sir. Therefore, I would like a special place to be given to English. I do not agree with the view of this Report that in the initial stages a choice may be given to candidates in competitive examinations to answer questions in English or in Hindi. I think this choice will be unfair to candidates from the South. You can have either English or Hindi. But if you want to have fair and equal standards, then have only one language as the medium of expression. It is very difficult to judge whether a person who is writing in his own mother-tongue, as people from the Hindi-speaking areas will probably do, is as good as one who is writing in English. I do not approve of that suggestion.

May I, Mr. Vice-Chairman, say that when Hindi was accepted as the national language of this country, it was expected that it would be of a certain pattern? Now a special emphasis has been placed on the language called Hindustani or on Hindustani words, in article 351. The language called Hindustani is the language which you, I and others speak generally. It is not the highly Sanskritised Hindi which is so dear to the heart of my friend there. The effort today is to eschew every word of Arabic or Persian or Urdu origin. I think the transition could be made easier—taking, for instance, law—if some words which have received judicial recognition, which are known to every lawyer and which are known to every litigant were adopted. I do not know the Hindi word which the genius of my friend, Dr. Raghu Vira, has invented for 'mortgage' or 'writ of certiorari'. Written statement is called "bayan tahriri". Why cannot this word be retained? I know, Sir, what the Urdu terms are, and I think that those are terms which are in common use all over the country. May I also say that these are words which have judicial recognition, and as a lawyer you know that if you have to construe a document, you will be able

[Shri P. N. Sapru.]

to construe it more easily if you are acquainted with the case law of the word which you have to consider?

PANDIT S. S. N. TANKHA (Uttar Pradesh): For instance the word 'Pardanashin'.

SHRI P. N. SAPRU: There are many such words.

May I also say, Mr. Vice-Chairman, that there is a feeling which is not confined to the Muslim section of the community only? As a person who claims Urdu to be my heritage, I share the view that the status given to Urdu in all the States is not fair. In Andhra Pradesh I think it is getting a fair deal. But take the State of Delhi. Urdu is a language which originated here. The greatest masters of Urdu prose or Urdu poetry were to be found in the Delhi of old. You read the literature of that period. Many names of great writers come to your mind. But what is the position that Urdu now occupies in this State of Delhi? It is a Centrally administered area. It is an area for which the Union Government is responsible, and I understand that the Corporation does not think it worthwhile to recognise it as a regional language. Take again the case of Punjab. Well, they are having a controversy over Gur-mukhi and Hindi in Punjab.

DR. RAGHUBIR SINH (Madhya Pradesh): Gurmukhi is only a script.

SHRI P. N. SAPRU: I do not know, but my Sikh friends will have a different tale to tell. They are having a controversy over Punjabi and Hindi and the controversy is being carried on in Urdu newspapers. Well, that does not show that Urdu has no status or place in the life of the people of Punjab. So far as Urdu is concerned, you and I and everyone can claim it as a common heritage, and I remember ____

DR. RAGHUBIR SINH: Will you give a...?.

SHRI P. N. SAPRU: I will narrate an instance which happened when I was in the United Nations in 1954. I was talking in Urdu to a Pakistani delegate and an American gentleman was present. Then he asked me what the language was. I said it was Urdu. This Pakistani gentleman was a refugee from Maharashtra. I know my Maharashtrian friends will forgive me for narrating this instance. He complimented me on my Urdu to the American delegate. I said, "Well, I would have valued the compliment had it come from a person whose language is Urdu". But his language is not Urdu. "He can speak about Marathi, but he cannot speak about Urdu. So, that is the status that Urdu occupies in our State.

I think it is the birth-right of every person to have a provision for instruction in his mother-tongue in the primary stages. But what is the number of schools providing this? What I wanted to say was, in having this new Hindi we should keep to the spirit and letter of article 351. The language should be simple; the language should be one which should be drawn from all the sources, from all the regional languages. All the regional languages should make a contribution to the growth of that language. I want to say that we should draw upon Sanskrit, but not to the exclusion of the other languages. The word here is 'primarily'.

May I say a word again about English before I conclude? I think, Sir, the method of teaching English in our schools and colleges requires to be changed. I am very fond of English. I do all my reading in English; I think I do my thinking also in English. English should be an associate language. Therefore our methods of teaching English should not be based on a study of Milton, Shakespeare, Goldsmith, Addison and Macaulay. The emphasis should be upon giving our students the capacity to read intelligently and speak fluently modern English. I will tell you an instance which occurs to me

just now. When I was a student at Oxford, I heard a Japanese student speak on 'White Australia'. Now, every single sentence that he uttered was grammatically or idiomatically incorrect. Acharya Kripalani, if he had been there, would have been able to tell you in his graphic style what the mistakes were. Nevertheless, it was a profound talk because there was maturity of thought. The other day at Allahabad I heard a Japanese speak on a scientific subject. His language was very bad. Yet the lecture from the philosophical point of view, speaking in philosophical terms, was a profound one. I would like our young men to acquire something of that capacity. That is to say, English should be the medium which would enable them to acquire maturity of thought. Maturity of expression comes as a result of maturity of thought.

Mr. Vice-Chairman, I am afraid I have taken more time than was allotted to me. There are other speakers. Therefore, I would like to conclude my speech with this remark. Please do not think that those who want the process to be somewhat slow are not as patriotic as you are. They want the unity of the country to be maintained at all costs. They know that linguistic controversies can create disunity in the nation. They know that language unites and language divides. Therefore I would say that the approach of the Prime Minister was a great approach and it is in the spirit of that approach that I wholeheartedly support this motion and I would like to wind up by saying that the Language Committee has done its work very well under the leadership of Shri Govind Ballabh Pant.

Thank you very much.

KAKA SAHEB KALELKAR (Nominated):
Mr. Vice-Chairman, I stand as a champion of Hindi in the form of Hindustani and therefore I am afraid that within the few minutes that are given to me, I shall have to rub many people and all sides against

their grain. But I think I shall be impartial enough.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DAHYA-BHAI V. PATEL) in the Chair]

My fear is that there is at present really no champion of the Indian languages to be the medium of administration. Much is said about the beauties and richness and importance of English. I grant that English is the window for all technology and all the humanities of the West. I also recognise a point which is not made out even by the champions of English, that English is today the window through which we can send the best samples of our culture to the West and the rest of the world. Therefore I would recommend that our people should study English—not each and everyone, but a few or many scholars throughout the country should study it—to receive and to give through that medium. But that does not mean that English should be the medium of administration. Neither does it mean that English should be the medium of instruction. If English continues to be the medium of administration I would refuse to call it swaraj. A People's Government must address the people and administer the country in the language of the people. English may be a very useful language, but it is not the language of the nation. Therefore English should not be the medium of administration neither should it be the medium of education. And the third point which is oftentimes missed is that English should not be the medium of public discussion. All the best daily papers in our country—the most impartial—are edited in English, and I know my Hindi friends; if I write anything in Hindi, they don't read it. If it happens to be in English I get a flood of letters from all parts of India, even from Hindi-speaking parts and Hindi-speaking people.

(Interruption.)

Please don't disturb me. I am short of hearing; I won't be able to follow you. After my speech is over, I am prepared to hear you.

[Kaka Saheb Kalelkar.]

Now what I have found is that the only person who cared for the masses - and cared for their uplift and who cared for the maintenance of the dignity and vitality of Indian culture was Mahatma Gandhi, and it was he who championed the cause of Hindi in the form of Hindustani. But unfortunately the Hindi people were not as keen on having Hindi as the medium of administration. Their sole preoccupation was how to oust Urdu.

Urdu is an Indian language, is an indigenous language born in India and it is not spoken outside India. And yet, I must say that Urdu, from its inception, has sinned against the masses and the genius of the people. There was a time when Urdu revelled in boycotting indigenous words and importing a maximum of Arabic and Persian words. That sin of Urdu is still there, although they are improving a bit. That is why there is opposition to Urdu. It is not merely an opposition to a particular religion or to the influence of a foreign culture. But Urdu revelled in boycotting indigenous words and flooding the language with Arabic and Persian words without any rhyme or reason. Very good and forceful indigenous words were supplanted; they were driven out and Arabic and Persian words were introduced. That is why Urdu, although an Indian language, cent per cent an indigenous language, became, for the people, a foreign language. That is why we stand for Hindustani which accepts unreservedly the contributions of Arabic, and Persian and yet wants to keep the language an indigenous language. But what happened? So long as Gandhiji talked of Hindi, the Urduwallas opposed him saying, "Why not Urdu"? When Gandhiji spoke of Hindustani they said, "No". I remember a Muslim friend from Lahore told me; "We the conquerors, when we came to India, we made a compromise with the people; we gave up our Persian and Arabic and we accepted Urdu. Having made one compromise, why do you ask us to have a new compromise between Urdu

and Hindi and why do you foist this Hindustani on us"? But whilst Gandhiji recommended Hindustani, the Constitution has decided upon Hindi as the language of administration. Now the Muslims are ready to accept Hindustani. Every time they have missed the bus. They have opposed in a wrong way. Now what happens? Gandhiji with his rare genius had secured the support of the whole of India to the cause of Hindi,' but the Hindiwallas themselves opposed him, drove him out of this sphere of influence, captured all the institutions that were started and established, and now all the energy of the Hindiwallas is spent in fighting first against Urdu, then Punjabi, also Rajasthani and Chhatisgarh! and I know in Chanda district the Hindiwallas were fighting against my mother tongue, Marathi, also. Therefore, whatever the genius and the capacity of Hindi, Hindi, to be the language of all India use, ought to have secured the loyal support of the whole of India. Mahatma ji did it. But Hindiwallas took advantage of his old age and his other preoccupations and they destroyed all the support which Mahatmaji had secured for Hindi. The result is that now the champions of English have all the field to themselves. It is no use now crying over spilt milk. The situation has gone out of our hands. Only if the Hindi people today could placate all the regional languages, only then perhaps there may be a chance. The Constitution gave fifteen years for completing the change-over. And what did the Englishwallas do? They said: We shall begin to think of it after fifteen years. The change-over was to be effected in fifteen years. They waited for full fifteen years just to think whether there is anything to be done. And now, I assure you, so long as this Government and this type of Government persists in India, English is going to be the language of administration and going to be the language of instruction -also, and the language of public criticism and journalism. The strength behind Hindi is all lost.

I know, during English rule, the Britishers said: 'We are for your swaraj. We do want to give you self-government. Only you must gradually evolve and develop yourself to be fit for swaraj'. Gandhiji said, 'No; our fitness is not the question; we may or may not be fit, we must develop the power to oust the British rule'. In the same way, the regional languages, including Hindi, whatever their development,—they are very good and efficient, and strong enough and fit enough to carry on the administration of the country and they are fit as medium of instruction. Am I to teach my child through English? I may accept that English is good and has a rich literature. But am I to teach my child in a language which he does not know sufficiently? How can English be the medium of instruction and how can English be the medium of administration? Today we have simply changed masters. The Britishers are gone, and the disciples of the Britishers, the English-loving people, are our administrators. Now only a revolution can make the change. No Parliamentary Committee and no Commissions are going to weaken the stranglehold of English on our country. I do want English; I do want English literature. I do want our people to study it, in order to receive and give. But English should not be the medium of administration. So long as English language rules, people do not feel that they are being governed by their people. It does not matter whether the white man rules or any other man rules. What matters is, in what language I am ruled. It is a sad day that almost the whole of educated India is unanimous on this recommendation. When the British started their rule in Delhi, they had a very cunning formula

“खुदा का, मुल्क बादशाह का, राज्य
अंग्रेजो का”

In other words, 'the world belongs to God. This country belongs to the Moghul Badsha, but the administration shall be in the hands of the British'. That was the formula they one who championing the cause of

gave. In the same way today everyone who champions the course of English will start with a similar formula.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

'We are for Hindi; we are for a national language; we are for an indigenous language'. But having said that, they say in effect, 'let us postpone that evil day as much as possible'. That is how the whole thing is being managed. And I think we have not the strength to fight that position, we have not the love of the people, only if we are all united, if all the Indian languages are united, then alone English could be ousted as medium of administration. They say it is good if English is there, it is good if Hindi is there, but nobody sees the danger of English ruling over us. Whatever the claim of the English-knowing people here, I assure you that efficiency of administration is bound to go down if English continues to be the medium of instruction and administration. Efficiency won't remain long if English persists and with it the unity of the country also, if administration is run in the English language. The British rule had forged a kind of unity by tying all the people together. The real strength of the people cannot be evolved through English. Let me repeat, if English is the medium of administration, our efficiency of administration will go down. What obtains today? Only those who know English are allowed to defend the country. Do you know that if a man does not know English, he does not get any good place in the army? Only those who know English can govern India. Only those who know the English language are today capable of defending our frontiers. If that is the position, then people who know English, who are in power and who are going to mismanage the affairs are not going to capture the hearts of the people. In the end the whole thing will slip out of their hands. The mother tongues of the people alone can save us. If the Rindiwaii-o even at this late hour, keep on fighting with Urdu, Punjabi

[Kaka Saheb Kalelkar.] and Rajasthani, we can as well ask them to give up Hindi. Actually what I have sensed is this. The Hindi-wallas are quite happy if the Government spends for the preparation of an encyclopaedia in Hindi, if the Hindi poets are honoured and if Hindi writers are given awards. They are satisfied. They do not mind if English is there to rule over us. As a matter of fact, most of the Hindi-wallas know English. If it is English, they are in power. If it is Hindi, then also they are in power. They do not care whether it is English or Hindi. All that they want is that Urdu should not be there.

I remember having read the remark of a military officer of the British days that since the days of Prithviraj the Hindus have learnt nothing and have forgotten nothing. That old saying still applies to us. What we do not want is Urdu. If a single Urdu word occurs in our language, it is spoiled'. If some Persian or Arabic words are used, our language is spoiled. Sir Tej Bahadur Sapru himself told me what had happened with him once. He was asked by somebody as to how he was teaching Persian to his daughter and whether he was not aware that her culture would be spoiled. He replied: "How is it that you teach your daughter French"? The former replied, "That is a different thing". Persian is objected to but French is not objected to. That is the nature of the people who have learnt nothing and who have forgotten nothing since the days of Prithviraj. Unless we change our whole mentality and outlook, unless we create for the masses a sound administration, the masses are going to rebel, not immediately unfortunately. I would very much wish that they rebelled today. But they do not know the danger. Today people go to them and only teach them so many isms. For that reason there is great need for having Indian languages for administration. Presently, nobody has learnt anything and nobody has forgotten anything. The result of this will be disastrous.

Sir, I find that these Hindi people are not ready to come together. They simply make speeches and write articles. Nobody is moved. Nobody sees the danger of having English as a medium of administration. At Gauhati I pleaded with the Congress. I said, "It does not matter if you do not introduce Hindi immediately because you say that only 40 per cent, of the people know Hindi. But what about the States? There, overnight you can change from English into regional languages". For Bengali in Bengal you do not need any time. In Vindhya Pradesh, the language of administration was Hindi throughout. In one night they changed it into English. No time was necessary. When I asked the administrators of Vindhya Pradesh as to when they would again change over to Hindi, they said they would have to wait for many years before Hindi could be gradually introduced. Similarly, in Rajasthan. Hindi was their language of administration for a thousand years, but they were *orced to be administered in English ov might. Government did not wait. The same thing happened in Gujarat and Baroda. This tyranny of the English language is intolerable. It is intolerable to the masses who are dumb. They do not know anything. You and me are happy b'cause we can somehow speak in English as I speak to you and the people are satisfied with that. The great danger is that this administration is going to weaken itself by championing the cause of English. Thank you.

SHRI HARIHAR PATEL (Orissa): Mr. Deputy Chairman, along with the achievement of independence of our country it was also our aspiration to have a common language for India. Mahatma Gandhi had been speaking about it long since. Accordingly, our Constituent Assembly discussed this question, and it is gratifying to note that by a unanimous decision Hindi was advocated to be the common language of India.

Sir, it is really unfortunate and painful to learn that some people think that English would continue as the

official language for all time to come. If somebody says that it should be used as official language for some time more, that is something which one can understand and consider, whether it is desirable or not. But if somebody says that it should be the official language for all time to come—it is already one of the Indian languages—it is something difficult to understand. Because English has been taught to us for the last two hundred years or more and because some people in the States have learnt English, it is not correct to say that it has become an Indian language. It was the language of the alien administrators. With all the preference for this language for two hundred years, English has not been able to take roots in our soil. It still remains very difficult for our students to learn. I will not hesitate to say that except the students who go to colleges and who go to foreign countries in pursuance of higher studies, other students who pursue their studies, who learn this language, are not at all benefited. The learning of English today has more crippling effects on our students than benefits. That is why, left to normal conditions of teaching in the schools, the average standard of English is falling down. Previously, when the British Government was there, English enjoyed Government patronage. It was being taught practically at the cost of other subjects. In spite of all that, the result has not been very encouraging. Now, from the fact that students are from the general masses and its standard, is falling, it is obvious that English has not taken roots in our country and it cannot be the common language of our people. My complaint is that although it is obvious that the response is very discouraging, Government have not taken any steps to free the average student from the burden of learning English.

Sir, our love for English, our attachment for learning English, should now be governed by considerations of practical utility and the benefit that our country can derive. English today

is no doubt the store-house of knowledge and wisdom. It is the best medium for those who want to keep in touch with the world progress. As such, for some years, rather for all time to come, we may retain English as a subject of study. But that is quite different from making it a national language or a language of India.

It is wrong to suppose that the average student who, with great difficulty can manage to learn his mother-tongue only, can in any way benefit and enrich the current of Indian progress by learning English. I know personally of many students—boys and girls—who secured very good marks in other subjects but they had repeatedly failed in English and were held up in their studies. They had to discontinue their studies. This is a very sorry state of affair, and I strongly feel that steps should be taken to free the students of average merit from the burden of learning English. It would be better to confine teaching of English along with other subjects only to those who are above the average. At the same time I would say that we can ill afford at present to severely restrict the study of English and hence meritorious students should rather be persuaded to take much interest in the learning of this language. In spite of all its utility value, English has not been able to breathe the spirit of India, nor touch its soul and it remains a foreign language.

I come to another point. Some said that if English is a foreign language, Hindi is as much a foreign language to the non-Hindi-speaking people. In fact this is the dominating note in Mr. Frank Anthony's Note of Dissent appended to this report. This proposition betrays a complete lack of knowledge about the Indian languages. All the languages enumerated in the Eighth Schedule of our Constitution have their roots in Sanskrit. Some of them have very close affinity and are much akin to each other. The South Indian languages are no doubt differ-

[Shri Hari Har Patel.] ent from Hindi but all the same, all those languages breathe the same air, the same spirit and are one on soul. The difference is only the difference in clothes and cloaks so to say. In order to enrich and manifest the culture of India in its fuller aspects, it is most necessary that North and South should come in close contact and the link can be established not through the medium of English but a medium which is Indian which can be established by Hindi alone. We should not lose the objective view of things because some Hindi champions somewhere say something provokingly in championing the cause of Hind.. If we lose our way, if we be guided by emotion and sentiment, we will be certainly committing mistakes.

The opposition of West Bengal to Hindi is, I think, not because of the difference in the two languages but because of other reasons. As a matter of fact relation between West Bengal and Bihar, which is a Hindi-speaking State, has never been cordial. It is really true that with some amount of labour a Bengalee can learn Hindi and a Hindi-speaking man can also learn Bengali. But the opposition to Hindi from West Bengal proceeds from another ground. The people of Bengal think that the Bengali language and literature are much more developed than Hindi and there is absolutely no reason why they should learn Hindi. I do not wish to enter into the controversy as to whether Bengali is more developed or not but all the same I feel that it is necessary that West Bengal should come in touch with the rest of India and it is certainly necessary for West Bengal also to adopt Hindi, to recognize Hindi, as the common language of India and try to learn it so that they may be in touch with the other States of India too.

It is said that a nation without literature has no vision and a country like India which is so big and composed of so many States has necessarily to achieve a fusion of vision

through the medium of a common language. Unless we achieve that, we will not be able to propagate our mission in the world. With such glamour of our past, with such a rich tradition and culture and high civilisation so much praised in the world, it will be really suicidal for us if we fail to take a decision regarding a common language and make progress.

It is most necessary for us to adopt a common language to confer and communicate with each other and to establish contact with each other and with the world through that medium.

In spite of all that I have said above, a pertinent question may be asked as to why Hindi and not any other language of India should be adopted as a common language. The report under consideration tries to give an answer. It says:

"A democratic Government cannot continue to function indefinitely in a language which is understood by only a small fraction of the population."

Then again it says:

"Hindi is not only the mother-tongue of a substantial part of the population but is also commonly understood over large parts of the country where the regional language is different."

"And, Hindi, whether we consider its vocabulary and diction or its alphabetical system or script is much more akin to the other Indian languages."

"The merit of Hindi as the official language of the Union and the language of inter-State communication lies in its easy intelligibility and wide vogue in the country."

But in my opinion, the most important reason in favour of Hindi is its flexibility. The people of Bihar speak in a different manner from the people of U.P. And yet people in both the States speak Hindi. So also is the case with Madhya Pradesh. The people of Gujarat, Maharashtra and

Kajasthan also speak in Hindi with each other but that is something else than the language of U.P., but that is Hindi. Even if the manner of speech is different intelligibility is there. No other language is so much capable of condoning mistakes or rather sanctioning mistakes as Hindi. We, Indians, by nature love laxity, disorder and carefreeness to some extent and Hindi accommodates these requirements more than any other Indian language.

As Sardar Panikkar has earlier spoken, we have not today any definite type of Hindi as common language but it is in the process of assimilation. Hindi is still in the formative process and it is suggested that we should draw mainly from Sanskrit. Other languages have almost settled down to some condition but Hindi with all its strides so far is still in the formative process and I also agree with him that in the first instance it will be better to draw from Sanskrit so that people from all the regions of India can understand. A colloquial word generally comes after the original and if in course of time some colloquial words gain currency and become Hindi, it is all to the good and should be welcomed. So I support him with this modification that it should be only in the first instance and then we should try to assimilate from as many sources as we can.

3 P.M.

श्री ना० र० मल्कानी : उपसभापति जी, मैं कमोशन को धन्यवाद देता हूँ कि उस ने एनो रिपोर्ट पेश की है जो कि इस सवाल से कहें कि बहुमत को रिपोर्ट है और पार्लियामेंटरी कमेटी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कहता हूँ, वह एहमत को रिपोर्ट है, यूनेस्को रिपोर्ट है। काफ़ी तनाव तो भी थी, मुहताज़ राय थी, विरोधी राय थी, ताँ भाँ उन लोगों ने बन बना कर एकमत से रिपोर्ट

पेश की। उस के बास्ते सारा हाउस, मैं मानता हूँ, उस को सुक्रिया अदा करेगा।

मैं यह भी देखता हूँ, इस में तीन, चार सिद्धांत रखे हैं। उनको सब जानते भी हैं और सब ने स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन मैं देखता हूँ वे सिद्धांतरूप में ही रह गये हैं, अमली तौर से कहीं पर दिखायी नहीं देते। सिद्धान्त क्या है? आसाम है, आँबवियस है, कि हर जगह हर प्रान्त के अन्दर प्रान्तीय भाषा जो है वही सरकार की राजभाषा होनी चाहिए। बिल्कुल आँबवियस है, सब देख सकते हैं, ऐसा होना ही चाहिये। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी यह कहा था, सब मानते हैं, रिपोर्ट भी मानती है कि जो शिक्षा हम देते हैं, हर किस्म की शिक्षा देते हैं, प्राथमिक से लेकर ऊँची शिक्षा तक, वह भी प्रान्तीय भाषा के माध्यम से देनी चाहिये। तो यह बहुत पुरानी बात है। मैंने एक जमाने में, सन् १९२१ में, नेशनल मूवमेंट में भाग लिया था। मैंने पहले पहल गुजरात में एक विद्यापीठ में यह काम किया, वहाँ मैं हिन्दी में पढ़ाता था। गान्धी जी के जो विद्यापीठ थे उनमें नीचे से लेकर ऊपर तक प्रान्तीय भाषा में पढ़ाई होती थी और मेरे जैसे हिन्दी में पढ़ाते थे। चालीस साल की बात है, पाँच साल, दस साल की बात नहीं है नहीं तो लोग कहेंगे बड़ी तेजी से जा रहा है, मालूम होता है मल्कानी हवाई जहाज में जा रहा है। तो चालीस साल की बात है, आजकल के जमाने में ४० साल कोई छोटा अरसा नहीं है। तब से एकचुभली यह बात शुरू हो गई। सब विद्यापीठ इसी तरह से बने और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी उस में से निकले, चाहे प्रोफेसर हों चाहे विद्यार्थी, आजकल बड़े आदमी हैं, उनके प्रान्त में उनकी इज्जत है, देश भर में उनकी इज्जत है। सब विद्यापीठ में पढ़ते थे और प्रान्तीय भाषा में पढ़ते थे। यह भी साफ दिखाई देता है कि जहाँ हिन्दी चलती है, जिन प्रान्तों में हिन्दी बोली जाती है वहाँ को सरकारें आपस में हिन्दी में ही पत्र व्यवहार कर सकती हैं और अहिन्दी प्रान्त

[श्री ना० र० मल्हानी]

वाले भी अगर हिन्दी में ही लिखा-पढ़ी करें तो बहुत अच्छा होगा। यह स्वाभाविक बात है कि हमें कुछ समय के बाद हिन्दी में ही पत्र व्यवहार करना पड़ेगा। हम यह बात भूल जाते हैं कि हमारे देश को भी एक भाषा है और उसी भाषा में हमें अपना कामकाज करना है। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, देशी भाषा नहीं, अंग्रेजी एक फारेन लैंग्वेज है, बाहरी भाषा है, यह बात हम हमेशा भूल जाते हैं। यह भाषा हमेशा के लिए हमारे देश में नहीं रह सकती है और न रहनी चाहिये। कितने दिन रहेगा यह दूसरी बात है। लेकिन मैं देवता हूँ और रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि यह अभी रहने वाला है। मालूम पड़ता है कि यह भाषा उन लोगों के मन में जब तक आयेगी तब तक रहेगी। हमारी जो भाषा है, जो फाउंडेशन है, उस को हम भूल जाते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा वही भाषा हो सकती है वही आफिशियल लैंग्वेज हो सकती है जिसको इस देश की जनता आसानी से बोल और पढ़ सकता है और वह भाषा हिन्दी के सिवाय कोई और दूसरी भाषा नहीं हो सकता है। इन सब बातों का कौरोलैरी यह है कि हिन्दी हमारी भाषा है, देशी भाषा है और राष्ट्रीय भाषा है। इस भाषा को तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिये और हर तरह को मदद देनी चाहिये। हमारे संविधान की धारा ३५१ के पहले लाइन में यह बात लिखी हुई है :

“The Union must promote the growth of Hindi”.

जब मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे यह चीज कहीं नहीं दिखलाई देती है। तो मैं मान लेता हूँ कि दो साल, तीन साल या पांच साल बाद यह बात होती। अब शुरू होगी, तब शुरू होगी। कब क्या होगा, कैसे होगा, यह बात किसी को पता नहीं है। इस बात को जाने दीजिये। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पैरामेंट के बाहर जितने भी लेबल लगे हूँ—मेरे जब मैं जो विजिटिंगकांड है, बड़े-बड़े कानों में जो इन्फ्लेक्शन आते हैं

वे सब अंग्रेजी में ही लिखे हुये आते हैं। मुझे उस समय ताज्जुब होता है कि इस भाषा में ये कार्ड क्यों भेजे जाते हैं। इसमें कोई साइन्स की बात नहीं है, कोई फिलासफी की बात नहीं है, यह तो एक मामूली सी बात है, फिर भी इस तरह के कार्डों को अंग्रेजी में ही छपा जाता है। अगर यह कार्ड मेरे पास तामिल भाषा में आता तो मैं एक-दम समझ जाता कि कोई टी की बात है, कोई डिनर की बात है। तामिल भाषा में कार्ड आना समझने की बात है लेकिन अंग्रेजी भाषा में कार्ड आना अच्छी बात नहीं है। तो तीन चार बातें ऐसी हैं जो कि कल से ही हो सकती हैं। यह सब झगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैं फर्स्ट क्लास वालों से डरता हूँ, सेकिन्ड क्लास वालों से डरता हूँ। लेकिन थर्ड क्लास और फोरथ क्लास वाले मेरे भाई हैं। हमारा यह फर्ज हो जाता है कि उन भाइयों के साथ हम लिखा पढ़ी अपनी भाषा में करें, विदेशी भाषा में न करें। वे जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाना चाहिये। यह चीज हम कल से शुरू कर सकते हैं। एक कदम तो हम आगे बढ़ें। अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो कल से ही हिन्दी आफिशियल लैंग्वेज हो जाय। हिन्दी वाले कई प्रान्त हैं, बिहार है, यू० पी० है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यह कोई छोटी बात नहीं है। देश का एक तिहाई हिस्सा इन प्रान्तों में आ जाता है। अगर ये प्रान्त आपस में लिखा पढ़ी करें, हिन्दी में करें, कल से ही कर सकते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। मैं अपने हिन्दी भाइयों से कहता हूँ कि तुम इस झगड़े में न पड़ो, चुप रहो, अपने घर का झगड़ा सुधारो, अपने घर को ठीक करो। हर एक प्रान्त की अपनी-अपनी भाषा है, अपनी अपनी शैली और शब्दावली है, राजस्थान में जी। किस्स कि भाषा बोल जाती है, बिहार में भी दो किस्म की भाषा बोली जाती है। शैली और साहित्य की वजह से इन प्रान्तों में कई उपभाषायें हैं। यू० पी० में भी तीन चार भाषा हैं। उसकी भी अपनी

शैली है, साहित्य है। वहाँ शब्दों का भंडार पड़ा हुआ है तो फिर क्यों नहीं सब लोग, हिन्दी प्रान्त वाले मिल बैठ कर एक नमूना तैयार करते, जो सबके लिये एक स्टैंडर्ड के रूप में काम में आ सके। राजस्थान में भी भंडार पड़ा हुआ है। राजस्थान का काम कल तक हिन्दी में होता था, उर्दू में चलता था। राजस्थान की हुकूमत सब तरह की शब्दावली बना सकती है। राजस्थान में पहले सब काम काज हिन्दी में ही चलता था, लेकिन जब से इंडिपेंडेंस आई वह दो कदम पीछे हट गया है। राजस्थान कम से कम एक बात में, हिन्दी में सरकारी काम काज करने में, वह सबसे आगे था और वह हमारी अगवानी कर सकता था, लेकिन वह भी पीछे चला गया। पहले सौराष्ट्र में गुजराती में ही काम होता था, लेकिन वहाँ भी अब बन्द हो गया है। इस तरह से हम सब जगह, सब प्रान्तों में प्रादेशिक भाषाओं में काम कर सकते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ कि जिन मैट्रिक स्कूलों में हिन्दी में शिक्षा दी जाती थी, वहाँ भी बन्द कर दिया गया है। इस तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज ने बच्चों को धक्का दे दिया है। यूनिवर्सिटी में एक साल के लिये प्रिप्रेटरी क्लास ठूस दिया जाता है। इस एक साल में बच्चों को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। आज हालत ऐसी बनी हुई है कि They do not like the regional language, English does not like them, and they are between the devil and the deep sea. इधर भी धक्का दिया गया, उधर से भी धक्का दिया गया और उनकी हालत धक्का खाने की बना दी गई है। आज अंग्रेजी बच्चों के गले में ठूसी जा रही है। यह तो वैसी ही बात हुई कि अगर किसी के पांव या हाथ टूट गया है, तो आप उसकी पट्टी बांध देते हैं। इस तरह से पट्टी बांधने से वह पांव या हाथ ठोक नहीं हो सकता है। आज ठीक वही हालत अंग्रेजी की है। आज अंग्रेजी की कितनी ही तरफदारी क्यों न करे लेकिन यह बात अच्छी तरह से मालूम हो जानी चाहिये कि उसे अब इस

देश में ज्यादा नहीं रहना है। हमारे देश में अब अंग्रेजी चलने वाली नहीं, यह बात हम भूल जाते हैं। जब हम किसी से हिन्दी में बोलते हैं और वह अंग्रेजी में जबाब देता है तो अगर वह यू० पी० वाला है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है बल्कि यह यू० पी० की आवाज है। इसी तरह से जब कोई मराठी अंग्रेजी बोलता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वह मराठी भाषा बोल रहा है। एक अंग्रेज यहाँ आये थे, उन्होंने मुझसे यह बात कही। मैं पंजाब गया तो मैंने एक पंजाबी से बातचीत की तो उसने अंग्रेजी में जबाब दिया, मगर ऐसा मालूम दे रहा था कि वह पंजाबी बोल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम सब लोग कोशिश करे तो हिन्दी कल से ही शुरू हो सकती है। यह तो एक शार्ट टर्म प्लान हुआ। लेकिन हम तो सिद्धान्त को भूल जाते हैं कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और वह हमेशा के लिये रहने वाली है। लांग टर्म जो चीज है, जैसा कि संविधान की धारा ३५१ में दिया गया है, वह भी हम भूलते जा रहे हैं। It may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India.

इस चीज को हमारे यू० पी० वाले बना सकते हैं, हमारे बिहार वाले बना सकते हैं, हमारे गुजरात वाले बना सकते हैं। हम सब लोग बना सकते हैं। मैं सिन्ध का रहने वाला हूँ, मैं बना सकता हूँ। गुजराती में हिन्दी का भंडार पड़ा हुआ है। अगर गुजराती हिन्दी इस्तेमाल करें, अगर बंगाली हिन्दी इस्तेमाल करें, तो हम हिन्दी की बहुत सेवा कर सकते हैं। मुझे तामिल वालों से इतना दुख नहीं है जितना कि अपने बंगाली भाइयों से है। उनके पड़ोस वाले राज्य हिन्दी राज्य हैं। यू० पी० और बिहार के हजारों लोग उनके प्रान्त में बसते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिन्दी को नहीं सीखा, बंगाल ने कई वर्षों तक बिहार का हिस्सा अपने में रखा, लेकिन उसकी भाषा नहीं

[श्री ना० र० महानर्न]
 सीखी । मैं उनसे अच्छी भाषा बोलता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वे बहुत टूटी-फूटी हिन्दी बोलते हैं । मैं बंगालियों से पूछता हूँ कि तुम्हारी भाषा करीब की है, पांच दस साल की है, कल की है, तुम इतना घमंड क्यों कर करते हो । आपका लिटरेचर कोई पुराना लिटरेचर नहीं है, कल का लिटरेचर है, टैगोर साहब ने आपकी शान बढ़ाई है और उनके साथ दो चार और हैं जिन्होंने कुछ किया है । मुझको बड़ी चिढ़ होती है । तामीलियंस पर मुझे दुख होता है और मैं उनकी बात समझ सकता हूँ, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, "Go the longest way with them" इसके माने यह है कि अहिन्दी भाषा वालों से पूछ करके करे । मैं यह मानता हूँ लेकिन मैं एक चैलेंज भी दूंगा कि क्या आप सारे हिन्दुस्तान को रोकना चाहते हैं, क्या आप अपने वास्ते, छोटी सी बात के वास्ते हिन्दुस्तान की तरक्की, सारे हिन्दुस्तान का विकास आगे चलने से रोकना चाहते हैं ? अगर यह करना चाहते हो, तो करो, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है । हाँ, अगर बुरी है, तो मिल करके बढ़ो और सब लोग यह समझो कि आगे बढ़ना है । मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त तामीलियंस हिन्दी को ले लेंगे तो वे डा० रघुवीर को भी पूरी तरह से जवाब देंगे । जिस तरह से उन्होंने संस्कृत सीखी, अंग्रेजी सीखी, उससे जाहिर है कि वे हमसे होशियार हैं, बुद्धिमान हैं । सारे हिन्दुस्तान में सब से बुद्धिमान तामीलियंस हैं । मुझको यह कहने में कोई शर्म नहीं आती है कि वे सब से ज्यादा बुद्धिमान हैं । थोड़ी सी उनकी जिद है, करने दो, लेकिन मुझको यकीन है कि जिस वक्त वे हिन्दी सीखेंगे तो वे हर प्रान्त को हिन्दी में हरायेंगे और वे आगे आ जायेंगे । इसके साथ-साथ मैं उनसे यह भी कहता हूँ कि यह न समझो कि आफिशियल लैंग्वुएज और कोई बनने वाली है, यह न समझो कि आफिशियल

लैंग्वुएज अंग्रेजी बनने वाली है । यह कभी नहीं होने वाला है ।

(Time bell rings.)

Sir two minutes more. मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी है । रिपोर्ट बहुत अच्छी है । लेकिन उसमें दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे माइंड में कुछ दुख हो गया यानी जो मेलोड्री है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो दो तीन फिकरे आ गये हैं वे मेरे खयाल से बहुत गलत हैं । चाहे मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन के खयाल से, चाहे मीडियम आफ एक्जामिनेशन के खयाल से जिस भाषा के द्वारा पढ़ाओगे, उसी भाषा के द्वारा परीक्षा लेनी चाहिये, लेकिन उन्होंने वह रिजेक्ट कर दिया है, ड्राप कर दिया है । वे तीनों फिकरे ऐसे हैं कि मालूम होता है कि डिसकॉर्ड आ गया है । प्राइम मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं हैं । मैं उनसे पूछता कि आप कहते हैं कि अंग्रेजी एसोशिएटेड लैंग्वुएज की तरह चलेगी, लेकिन अंग्रेजी कहां से एसोशिएटेड लैंग्वुएज है ? हिंदी एसोशिएटेड लैंग्वुएज है या अंग्रेजी एसोशिएटेड लैंग्वुएज है ? यह जो रिपोर्ट बनी हुई है उससे मुझे मालूम होता है कि असोशिएटेड लैंग्वुएज हिन्दी है, बल्कि हिन्दी असोशिएटेड लैंग्वुएज भी नहीं है । वे कहते हैं कि जब जमाना आयेगा, जब वक्त आयेगा तब हम हिन्दी के द्वारा इन्तहान लेंगे ।

(Time bell rings.)

मैं मानता हूँ कि जो चीज़ रिपोर्ट में है, वह गलत है ।

discordant note in an otherwise harmonious vein. These things should be cleared up.

MR. DEPUTY CHAIRMAN :
 MR. A. R. Khan, please finish within ten minutes.

श्री अब्दुर रज्जाक खान (पश्चिमी बंगाल) : माननीय डिप्टी चैयरमैन महोदय, हमारी तरफ से इस रिपोर्ट के बारे में खयाल जाहिर कर दिया गया है । कुछ बातें और

निकल आई हैं, इसलिये मैं कुछ उसमें इजाफा कर देना चाहता हूँ। ज़बान का, भाषा का बहुत बड़ा सवाल बन कर हमारे सामने आया है। भाषा कमीशन बिठलाया गया था, यह आप लोगों को मालूम है; लेकिन भाषा कमीशन में जो अख्तिलाफात हुये और उससे जो झगड़े मुल्क में निकले, वे बहुत बड़े बन गये और यह भयानक रूप धारण करने वाले थे। इस कमेटी ने उसको जिस तरह से निभाया है वह एक तारीखी बात है और मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट को हिन्दुस्तान के लिये एक बेहतरीन खुशकिस्मती समझ ली जाय। जो झगड़े पैदा हो गये थे उन पर कोई फैसला करना गैरमुमकिन हो गया था। आप जानते हैं कि भाषा से मुल्क जुड़ते हैं, मुल्क बिगड़ते हैं, टूटते हैं। उस भाषा के सवाल पर खतरा यह था, डर यह था कि मुल्क टूटेगा, लेकिन उसको इस रिपोर्ट ने इस तरह से निभाया है कि आज मुल्क इकाई की तरफ बढ़ रहा है। इसलिये मैं इस रिपोर्ट को मुबारकबाद देता हूँ।

माननीय महोदय, आपको मालूम है कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा को बदल दिया जाय, यह फैसला तो हमारे कांस्टिट्यूशन ने कर दिया है। कांस्टिट्यूशन की ३५३ धारा की बमोजब यह फैसला हो चुका था, यह बात मान ली गई थी कि अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा रखना नहीं है, हिन्दुस्तानी भाषा में उसको बदलना है। इसमें अब कोई सवाल नहीं आ सकता कि अंग्रेजी रखनी चाहिये या नहीं रखनी चाहिये। सवाल यह था कि सन् १९६५ के बाद अंग्रेजी रहे या न रहे। यही सवाल था कि किस तरीके से उसको रिप्लेस कर दिया जाय, बदल दिया जाय। अब नये सिरे से यह सवाल नहीं उठ सकता कि अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा रखा जायगा, जब तक कि यह कांस्टिट्यूशन मौजूद है। इस कांस्टिट्यूशन के मुताबिक अब यह सवाल उठ नहीं सकता कि अंग्रेजी

राष्ट्रभाषा के रूप में रहेगी। अंग्रेजी जिस सूरत में इस वक्त चल रही है, उस सूरत में सन् १९६५ के बाद अंग्रेजी को रखा जायगा या नहीं और उसको किस तरह से बदला जाय, यही सवाल था, यही प्रश्न था, जिस पर इस रिपोर्ट ने साफ कह दिया है कि क्या होना चाहिये। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि अंग्रेजी का सवाल दुबारा कैसे उठ सकता है? हिन्दुस्तान ने एक इक्लाबी कदम बढ़ाया है, मुल्क को आजाद कराया है, इसलिये अबाम की जो ज़बान है उसको हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा बनना है, वरना हमारा इक्लाब पूरा नहीं होता। कांस्टिट्यूशन ने यही बात कही है। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बना करके हम अबाम को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम अबाम को एडमिनिस्ट्रेशन के करीब नहीं ला सकते, यह तजुर्व ने साबित कर दिया है। फिर उसको रोकने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। कमेटी ने बड़ी खूबी के साथ यह कह दिया है और साफ कह दिया है कि मुल्क को यह समझ लेना है कि हर एक प्रांत में अंग्रेजी को बदलना है और १९६५ के बाद यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का सरकारी काम प्रांतीय भाषाओं में होना शुरू हो जायगा—वह अब शुरू भी हो गया है। तो हर सूबे की, हर स्टेट की यही डिमांड है। हर अबाम की तरफ से यही मांग है कि हमारा यह जो गैर-जबानी एडमिनिस्ट्रेशन है, वह हट जाय और अपनी ज़बान, जिसमें हम योचते हैं, ख़ाब देखते हैं, जो हमारे घर की बोलचाल की ज़बान है, वह एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाय ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हो और हम एडमिनिस्ट्रेशन के बन जायें। इस चीज़ को हल कर, दिया गया है और यह सवाल दुबारा नहीं आ सकता है। सन् १९६५ के बाद यह काम शुरू होगा। यहाँ बहुत से लोग इस पर इख्तिलाफ रख रहे हैं। आज जो इसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, उसके क्या

[श्री: अब्दुल रज़ाक खां]

माने यह है कि १९६५ के बाद भी वे इसको कबूल नहीं करते ? १९६५ के बाद प्रान्तीय भाषाओं में काम शुरू होगा, क्या वे इसको भी कबूल नहीं करते ? प्रान्तीय भाषाओं में सरकारी काम शुरू होने में दिक्कत क्या है ? इसके साथ साइंटिफिक, कल्चरल और फिलॉसफी वाली बातों को लाना नहीं चाहिये, इसके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस हम किसी ज़बान से ले सकते हैं लेकिन चूँकि हमारी ज़बान में साइंस नहीं है, इसलिये हम अपनी ज़बान में पंचायतों के काम को, एडमिनिस्ट्रेशन के काम को नहीं चला सकते हैं, यह कहना बिल्कुल गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिये साइंस की ज़रूरत नहीं होती है और जो थोड़ी बहुत साइंस की ज़रूरत होती भी है तो उसको हासिल करने के लिये लोग मौजूद हैं। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, जहाँ तक सरकार के काम का ताल्लुक है, जहाँ तक अवाम की बातें सुन कर चलने का ताल्लुक है, जहाँ तक अवाम की मर्जी के मुताबिक काम चलाने का ताल्लुक है, वह काम अंग्रेज़ी के बगैर भी अपनी ज़बान में हो सकता है। यह मुमकिन है। मैं यह मानता हूँ कि अंग्रेज़ी की ज़रूरत है, मैं उसकी अहमियत को जानता हूँ, मैं उसकी अहमियत को मानता हूँ और यह मानता हूँ कि उसकी अहमियत और उसकी ज़रूरत अब तक बाकी है और बाकी रहेगी एक कल्चरल लैंग्वेज की तौर पर। हिन्दी या हिन्दुस्तानी अभी तक एक अप्टुडेट ज़बान नहीं बनी है, एक कल्चरल ज़बान नहीं बनी है, लेकिन अंग्रेज़ी के साथ हिन्दी या हिन्दुस्तानी का मुकाबला करना बिल्कुल गलत है और इसी गलती को यहाँ बार बार दुहराया जा रहा है। अंग्रेज़ी से उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारे बच्चे काले हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं लेकिन वह हमारे बच्चे हैं, हम उन्हीं को

गोद में उठावेंगे, उन्हीं को आदमी बनावेंगे। तो अगर हिन्दी कमजोर है, हिन्दुस्तानी कमजोर है, फिर भी उसको हम लेंगे और उसकी कमजोरियों को दूर करेंगे। बहुत सी कमजोरियाँ हमारे अन्दर हैं और हम सब को दूर करने वाले हैं और कर के रहेंगे, चुनांचे, इस कमजोरी को भी हम दूर कर के ही रहेंगे; इसमें कोई शक नहीं है और इसको ऊपर लावेंगे।

डिप्टी चैयरमैन साहब, यह बात मानी गई है और इसी बात को निभाया गया है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अंग्रेज़ी का जो पहला दर्जा था, वह १९६५ के बाद नहीं रहेगा, उसका वह अव्वल दर्जा १९६५ के बाद यहाँ नहीं रहेगा। अब प्रान्तों कि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रान्तीय भाषाओं में बदल रहे हैं तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में अंग्रेज़ी को पहले दर्जे पर रख कर काम नहीं चल सकता। यह तो एक सरसरी बात है, एक मानी हुई बात है। इसलिये यहाँ हिन्दुस्तानी का या हिन्दी का—जैसा भी आप कहिये—पहला दर्जा होगा। माफ कीजियेगा, हिन्दी और उर्दू का जो झगड़ा है, उसको नहीं लाना चाहता हूँ, मैं तो हिन्दुस्तानी के तौर पर हिन्दी को मानता हूँ, जो कि बोलचाल की ज़बान है, जिसे कि मैं हिन्दुस्तान भर में देखता हूँ, उसी को मैं हिन्दुस्तानी समझता हूँ, हिन्दी समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि उर्दू हिन्दी मिल कर जो ज़बान चल रही है, जो घर की ज़बान है, जो बोलचाल की, हिन्दुस्तान की ज़बान है, वही हिन्दी है। वही अवसरियत की ज़बान है और इसलिये मैं इसको तस्लीम करता हूँ कि वह ज़बान सेंटर में होनी चाहिये। वह ज़बान होनी चाहिये जो कि अवाम की ज़बान है, जो कि पंडितों की ज़बान नहीं है जो कि मौलवियों की या मौलानाओं की ज़बान नहीं है, जिसको कि हमारे अवाम के लोग रास्ते में बोलते हैं, जो कि बोलचाल की ज़बान है, जो

कि सड़कों में बोली जाती है, वह जवान होनी चाहिये, जिसमें कि अरबी, फारसी के लपज और संस्कृत के लपज बहुत कम हैं।

(Time bill rings)

तो यह चीज होनी चाहिये। हिन्दुस्तानी को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिये, मैं इसको मानता हूँ।

अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में अंग्रेजी के बजाय हिन्दुस्तानी अगर आती है, तो शगड़ा यह होता है कि नौकरी चाकरी के मामले में, सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्प्लायमेंट के मामले में जो एग्जामिनेशन होगा वह अंग्रेजी में होगा या हिन्दी में होगा? हिन्दी वालों को ज्यादा तरजीह दी जायेगी या नहीं? तो बात यह है कि इस वक्त अंग्रेजी भी रखी गई है। मनवाने के लिये यह सूरत है, लेकिन जहां तक मेरा जाती ख्याल है मैं तो समझता हूँ कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रान्तीय एडमिनिस्ट्रेशन पर दारो-मदार करके चलना पड़ रहा है, अकेले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, वह तो सब प्रान्तीय एडमिनिस्ट्रेशनस के साथ मिला हुआ है। प्रान्तों के बगैर सेंटर का रहना एक बे-मानी बात होती है। तो प्रान्तीय सरकारों के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रान्तीय सरकारों के एग्जामिनेशन से एप्रूव होंगे वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आयेंगे और ऐसे लोगों को सेंटर हटा नहीं सकती है, चाहे उनकी जवान में थोड़ी बहुत कसर भी हो। वे चाहे हिन्दी न भी जानते हों, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिहाज से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी उन पर सुपुर्द करने के लिहाज से, आपको उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा।

जनाब, मैं दो मिनट अंग्रेजी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी के खिलाफ जहर नहीं उगलता। अंग्रेजी से हमको

अभी भी फायदा उठाना है। आज अगर हम अंग्रेजी का सिलसिला बिल्कुल काट दें, तो हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी। जिन लोगों ने अंग्रेजी में ही सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सीखा है, उनको अगर हम छांट दें तो हम मुसीबतों में पड़ जायेंगे। जो हमारे बुकला और दूसरे लोग कोर्ट्स के काम में अंग्रेजी में महारत हासिल कर चुके हैं, उनको अगर आज छांट दें तो हमारी मुसीबत बढ़ जायेगी, हमारी कमजोरियां बढ़ जायेंगी।

श्री पी० डी० हिम्मतासिंहका (पश्चिमी बंगाल) : इसीलिये तो उसको चलाया जा रहा है।

श्री अब्दुर रज्जाक खान : इसलिये कुछ दिनों तक इसको बर्दाश्त करने की जरूरत है और कुछ दिनों तक हमको यह अहद करके काम करना है कि हम को दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करने की जरूरत है।

(Time bell rings.)

तो इस लिहाज से मैं इस रिपोर्ट की तारीफ करता हूँ।

مولانا اہم - فاروقی (اتر پردیش):

ذیگی چیرمین صاحب - سب سے پہلے میں ہوم منسٹر کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں کہ مدتوں سے جو آپس کے جھگڑے کی بنیاد چل رہی تھی اس کو ایک خاص رنگ میں اس کمیٹی کی رپورٹ کی صورت میں ہمارے سامنے لایا گیا - اس نے پہلے بہت سے لوگوں نے اس کی بعض خرابیاں، بعض اچھائیاں آپ کے سامنے بیان کیں - کافی اس پر کہا جا چکا ہے - چلند توں اس رپورٹ سے بالکل صاف ہوتی

[مولانا ایم - فاروقی]

ہوں - اور اس رپورٹ سے پہلے بھی ان میں سے بعض چیزیں صاف ہو چکی تھیں - سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری قومی زبان ہندی ہو اور ناگری - اکریت میں ہو - یہ چھگڑا - ۱۹۳۷ء سے چلا آ رہا تھا جبکہ پوری آزادی بھی ہمیں نہیں ملی تھی - اور اس کے بعد جب کانستٹی ٹیوشن بنا تو اس چھگڑے کا فیصلہ اس طریقہ پر ہوا - ایک ایسے چھگڑے کا فیصلہ نان آفیشل طور پر، اور بغیر قانونی مدد سے بلا حکومت کے دباؤ والے ہوئے مہاتما جی نے کرنا چاہا تھا اور انہوں نے اپنی دور اندیشی سے ایک فیصلہ کیا تھا جس کو ابھی کال صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا - وہ فیصلہ یہ کیا تھا کہ جتنی بھی صوبہ وار زبانیں ہیں ان سب میں کچھ ایسے الفاظ اور ایسے شبد ہیں جو مشترک ہیں اور جو سب سمجھتے ہیں - میں آپ لوگوں کی جو بمبئی گئے ہیں ان کی توجہ دلاتا ہوں کہ آج بمبئی میں جو زبان عام طور پر بولی جاتی ہے اسے شاید ہندوستان ہی نہیں بلکہ عدن تک اور جدہ تک لوگ سمجھتے ہیں - وہ اردو نہ سہی ہندی نہ سہی کچھ نہ سہی لیکن صاف ہے کہ وہ زبان ہے جو کہ بولی جاتی ہے - اسی طرح مہاتما جی نے تمام جتنی بھی اور ریجنل زبانیں تھیں ان میں صاف ایک خلاصہ نکال کر یہ کوشش کی تھی کہ

ہندوستانی زبان سے ایک چیز لائی جائے - مگر افسوس کے ساتھ یہی کہنا پوتا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جن کی زبانوں پر اس سے کافی برا اثر پڑ رہا تھا ان لوگوں نے تو اتنی مخالفت نہیں کی مگر میری یاد اگر دھوکا نہیں دیتی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانہ میں وہ تمام صوبے ساوتھ کے ہوں یا اور کسی دوسری جگہ کے ہوں جہاں کی زبان ہندی نہ تھی اس کے لئے قریب قریب تیار ہو گئے تھے کہ ایک ہندوستانی زبان اس طرح کی نیشنل زبان ہو جائے - گاندھی جی نے اس کو بالکل متحسوس کیا تھا کہ کوئی قوم یا کوئی نیشن یا کوئی ملک اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی کوئی خود کی زبان نہ ہو - مگر کوئی سوال نہیں ہے انگریزی کو ہم اپنڈیں یا کسی دوسری زبان کو اپنڈیں - ہمیں یہ اصولی طور پر مان لینا ہے کہ جس طریقہ سے ہم اس کا یقین کرتے ہیں کہ آفتاب نکلا ہوا ہے اسی طریقہ سے ہمیں اس کا بھی یقین کرنا چاہئے - جب ہمیں آزادی ملی ہے ہمیں زندہ رہنا ہے - ہمیں قومی وقار بلانا ہے - ہمیں ایک لچر کی تعمیر کرنا ہے اور اسے درست کرنا ہے - تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہماری ایک زبان ہو، ہماری ایک بھاشا ہو - ہماری وہ زبان ہو جسکو ہمارے تمام لوگ سمجھتے ہوں - زبان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف چند بڑے بڑے لکھے لوگ سمجھیں - زبان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف چند بڑے بڑے لوگ

علمی ترمیم یا اصطلاح یا ٹیکنیکل ترمیم اس میں بلنا ہیں۔ یہ تو بعد کی چیز ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ زبان آج ہندوستان بھر میں بولی جائے اور تمام ہندوستان کی ایک مشترکہ زبان ہو اس کی ہمیں بنیاد رکھنی چاہئے۔ اس روشنی میں اور اس چیز کو سامنے رکھ کر اور اسی بیک گراؤنڈ میں مہاتما جی نے ہندوستانی کا پوچار شروع کیا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ عمارت نہ بن سکی اور جب وہ عمارت پورے طور پر نہیں بنی اور ہم کو آزادی ملی اور اس آزادی میں فطری طور پر جیسا کہ ہمارے بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہندی کے علاوہ کوئی دوسری نیشنل اینگریج کی حیثیت سے آپ مان ہی نہیں سکتے تھے آپ نے اسے مانا۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانتا کہ وہ اچھی چیز ہوئی یا بری چیز ہوئی۔ اس زبان میں کیا خوبیاں ہیں یا کیا برائیاں ہیں میں اس پر نہیں جانتا۔ خود ایک چیز مان لی گئی اور اس کے بعد سوال یہ نہیں ہے کہ اب وہ جب مان لی گئی تو ہم واپس جائیں۔ ہاں ماننے کے بعد یہ ہوا کہ ایسے اسٹیٹ کی زبان جہاں ہندی جاننے والے لوگ تھے اور اچھی ہندی بولتے تھے وہ ایک طرف ہو گئے۔ دوسری طرف ہر وہ چھوٹے چھوٹے صوبے جن کی مادری زبان وہاں

کی اسٹیٹ کی زبان تھی، جیسے بنگلہ اور ساوتھ انڈین لینگویجز میں اور دوسری زبانیں ہیں وہ سب ایک طرف ہو گئے۔ گاندھی جی کو جو ڈر تھا وہ سامنے آ گیا یعنی یہ سوال پیدا ہوا کہ ہندی ڈامینینٹ ایریا جہاں کہ ہندی زیادہ بولی جاتی ہے اس کی ان اسٹیٹوں کے اور ان صوبوں کے لوگوں سے مخالفت ہونا شروع ہوئی جن کی زبانیں ہندی نہیں تھیں۔ آپ کتنی ہی زیادہ اس میں لپیٹا پوتی کریں اور اس زخم کو بھرنے کی کوشش کریں مگر وہ زخم بھرا نہیں جا سکتا۔ یہ خطرہ پیدا ہوا۔ اگر ہندی نیشنل لینگویج ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں ملازمت میں ہر اقتصادی لائن میں کامرس میں اور تمام ان چیزوں میں ان ایریا کے لوگوں کی جہاں ہندی زیادہ بولتے ہیں قدر ہوگی۔ وہ لوگ اوپر ہونگے وہ لوگ ڈومیننٹ کریں گے اور ہم نیچے چلے جائیں گے۔ آج یہ سینٹیلیٹی پیدا ہونا ایک فطری طور پر ہے اور اس کے لئے آپ کو کچھ کرنا چاہئے۔ اور اگر آپ کچھ نہیں کریں گے اوپر کی لپیٹا پوتی کریں گے تو اس کی صورت ایسی ہی ہوگی جیسے کہ راکھ میں انکارے کو دبا دیں۔ اس نے بعد جب وہ راکھ ہٹ جائیگی تو پھر وہ انکارے جلا دیں گے۔ تب اسی جذبہ کا نتیجہ تھا کہ یہ آواز بلند ہوئی کہ ہمیں انگریزی زبان چاہئے۔ کوئی شخص ان میں ایسا نہیں ہے جو تامل کے مقابلہ میں

[مولانا ایم فاروقی]

انگریزی کو پسند کرے - کوئی بلکالی ایسا نہیں ہے جو بلکلا سے زیادہ انگریزی کو پسند کرے - واقعہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساریہ کے اندر ہم کو چھینا چاہئے، ہم کو ایلے کو اس ڈامینیشن سے بچانا چاہئے جو نارڈن انڈیا والے ہندی سپکنگ لوگ ہمارے اوپر لانے والے ہیں - یہ اصلی سوال ہے اور اتنا دلچسپ، سخت اور گہرا سوال ہے کہ اس لیپا پونی سے کچھ نہیں ہو سکتا - بلڈت جو اہو لال جی نے ایک بیان دیا کہ انگریزی ہمیشہ باقی رہے گی - وہ کسی یا بہت دنوں تک باقی رہے گی یا اس وقت تک جب تک کہ اس کا کوئی آئینہ نہیں اسکو سن کر سب ہندی بولنے والے صوبے خوش ہو گئے لیکن اس سے وہ جو زخم ہے دل کا وہ پر نہیں ہوتا بلکہ ان کے لئے آپ کو کچھ قیمتی چیز لانی چاہئے - کچھ ایسی چیز لانی چاہئے جس سے ان کو کچھ اطمینان ہو - جہسا کہ میرے بعض بھائیوں نے کہا کہ گاندھی جی نے ایسا اطمینان دلانے کا طریقہ نکالا تھا کہ ایسی زبان نکالی جائے جو آسان ہو، سہل ہو اور تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی جدوجہد سے وہ لوگ اس زبان کو پا سکیں جن کی زبان ہندی نہیں ہے - یہ انہوں نے چاہا تھا اور یہ ہو نہیں سکا - اب اس کے بعد یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم ہندی ایسی بناویں - آپ لوگ معاف فرمائیں - ہندی ہم ایسی بناویں جو ایک پورا پورا دوسری

استیتوں کی زبان کے ساتھ آکر کھڑا ہو جائے کہ وہ بیچارے پوری محنت کریں؟ پوری جانفشانی کریں تب بھی وہ اس کو پورے طور پر سمجھ نہ سکیں - ایسے ٹرمس ہیں، ایسے اصطلاحات ہیں اور ایسے ان کو بولنے کے طریقے ہیں کہ کسی طریقہ پر ہم ایلے کو پورے طور پر اس میں سمانہ نہیں، ملا نہ سکیں، اور ہم لوگ سمجھیں کہ یہ ہماری مخالفت ہو رہی ہے - لہذا ہم لوگ جو نارڈن انڈیا کے ہیں جہاں ہندی بولی جاتی ہے انہیں اس چیز پر پورے طور سے غور کرنا چاہئے تب اس کی صورت وہی ہے جو کاکا صاحب کالہنکر نے فرمائی یا اس طرف بیٹھنے والے جو پی - ایس - پی کے لیڈر بول رہے تھے انہوں نے فرمایا - ہماری زبان تو ایسی آسان ہونی چاہئے اور ایسی سہل ہونی چاہئے اور جہسا کہ کلرزو صاحب نے کہا یہ کام ایسی کمپنی کے سپرد ہونا چاہئے جو اس کام کو انجام دے جس میں جذباتی لوگ نہ ہوں

(Time bell rings.)

جو ہماری دوسری زبانوں سے الفاظ ایلے میں نے لے - یہاں پر یہ چیز کہی جاتی ہے کہ جو ہندی اسپیکنگ آیا ہے اس میں وہ زبانیں جو ہندی سے بالکل قریب ہیں ان کے مشابہت سے لولے میں گریز کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے ہندی اور اورو کا سوال

پیدا ہوا - یہ سوال کبھی کوئی بہت اہم نہیں تھا - جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ اگر اسکرپٹ ایک کر دی جاتی ۲۵ برس پہلے تو دونوں زبانیں بالکل ایک معلوم ہوتیں اور کوئی فرق نہ تھا یہ تھوڑے دنوں کی جذباتی حرکات نے اختلاف پیدا کر دیا اور ہندی والوں نے اردو کے خلاف ایک جہاد شروع کر دیا - اور اس سے باہر کی زبان کا سا برتاؤ ہو گیا - آپ نظیر اکبر آبادی کے دیوان کے پورے دس ہزار شعروں کو دیکھ لیں - ایک بھی فارسی کا لفظ یا ایک بھی عربی کا لفظ آپ کو کہیں نہ ملیگا - آرزو نے ابھی ۱۰ برس ہوئے پانچ ہزار شعروں کا ایک دیوان مرتب کیا تھا جس میں انہوں نے ایک لفظ بھی عربی یا فارسی کا نہیں استعمال کیا ہے -

(Time bell rings.)

تو اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہمارے ہندی پرچار کا ہے اسے ختم ہونا چاہئے - میں دو تین باتیں اردو کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے پوجیہ پخت جی نے اس کمیٹی کی رپورٹ کے آخر میں جو بیان اپنا شامل کر دیا ہے اس کے لئے میں مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں - انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ کو کمیٹی کے بیان میں شامل کر کے ایک بڑا اہم کام کیا ہے - لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی

صوبہ نے اس بیان کے خلاف کارروائی کی تو کیا اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائیگا جس طرح سے کوئی صوبہ اس کمیٹی کی رپورٹ کو وائلیٹ کرتا ہے - میں آنریبل منسٹر [صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بیان کی قانونی حیثیت کیا ہے - اس رپورٹ کے آخر میں اردو کے بارے میں یہ دیا ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ میں اردو زیادہ بولی جاتی ہے تو اس کو ہر طرح سے بڑھاوا دیا جانا چاہئے - میں آپ کے سامنے دہلی کی مثال دیتا ہوں جس کی بھاشا اردو ہے اور اس چیز میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا - لیکن آج ہندی کو میڈیم آف انسٹرکشن بنا دیا گیا ہے - تو ایسی جگہ میں جہاں اردو بولی جاتی تھی اس کی وہاں پر کیا حالت ہوگی -

श्री उपसभापति : अभी तीन आदमी बोलने वाले बाकी हैं और उन्हें दस दस मिनट देना है ।

مولانا ایم - فاروقی : جناب قیٹی چیئر مین صاحب آپ سے ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں - میں نے اپنا نام تین چار دن پہلے دیدیا تھا اور میں اس چیز پر تنصیل کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں -

श्री उपसभापति : लेकिन अब तीस मिनट बाकी रह गये हैं और तीन आदमी और बोलने वाले हैं । अब आप अपनी गीब खत्म करें ।

مولانا ایم فاروقی : ہاں تو میں
 آنریبل منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا
 چاہتا ہوں کہ جو اسٹیٹمنٹ ہوم
 منسٹری کا آخر میں پڑھا دیا گیا ہے
 اس کی قانونی حیثیت کیا ہے - یہ
 کمیٹی کی اور آپ کے کانسیٹی ٹیوٹن
 کا ایک جز بن گئی ہے یا نہیں اور آگے
 اس بیان کی کیا حیثیت ہوگی -
 میں ان الفاظ کے ساتھ کمیٹی کی
 پوری رپورٹ کی تائید کرتا ہوں اور
 آنریبل منسٹر صاحب کو پھر ٹیک
 دفعہ مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا
 ہوں کہ ہندی صوبے اپنے ہندی کے
 پرچار کے طریقہ کو بدلیں گے اور سب
 کو ملا کر چلیں گے - اس ہندوستان
 کی تاریخ میں تین ہزار برسوں سے
 چلا آ رہا ہے کہ ہندوستان کو جب بھی
 کوئی خطرہ ہوا ہے وہ اس کے اختلاف
 کی وجہ سے ہوا اور اسی وجہ سے وہ
 تکرے تکرے ہوا اور ہمیشہ ہندوستان
 خسارہ میں رہا - اور برباد ہوتا رہا -

† [مولانا ام۰ فاروقی (उत्तर
 प्रदेश) : डिप्टी चियरमन साहब, सबसे
 पहले मैं होम मिनिस्टर को इसकी मुबारक-
 बाद देता हूँ कि मुद्दों से जो आपस के झगड़े
 की बुनियाद चल रही थी, उसको एक खास
 रंग में इस कमेटी की रिपोर्ट की सूरत में
 हमारे सामने लाया गया । इसके
 पहले बहुत से लोगों ने इसकी बाज खरा-
 बियाँ, बाज अच्छाइयाँ आपके सामने
 बयान की । काफी इस पर कहा जा चुका
 है । चन्द बातें इस रिपोर्ट से बिल्कुल

† [] Hindi transliteration.

साफ होती हैं । और इस रिपोर्ट से पहले
 भी इनमें से बाज चीजें साफ हो चुकी
 थीं । सबसे पहली चीज यह है कि हमारी
 कौमी जुबान हिन्दी हो और नागरी स्क्रिप्ट
 में हो । यह झगड़ा सन् १९४७ से चला आ
 रहा था, जब कि पूरी आजादी भी हमें नहीं
 मिली थी । और इसके बाद जब कांस्टी-
 ट्यूशन बना, तो इस झगड़े का फैसला इस
 तरीके पर हुआ । एक ऐसे झगड़े का
 फैसला नॉन-आफिशियल तौर पर और
 बगैर कानूनी मदद के, बिला हुकूमत के
 दबाव डाले हुये महात्मा जी ने करना
 चाहा था और उन्होंने अपनी दूरन्देबी से
 एक फैसला किया था, जिसको अभी काका
 साहब ने आपके सामने बयान किया ।
 वह फैसला यह किया था कि जितनी भी
 सूबेवार जुबानें हैं, उन सब में कुछ ऐसे
 अल्फाज और ऐसे शब्द हैं, जो मुश्किल हैं
 और जो सब समझते हैं । मैं आप लोगों को
 जो बम्बई गये हैं, उनकी तबज्जो दिलाता
 हूँ । कि आज बम्बई में जो जुबान आम-
 तौर पर बोली जाती है, उसे शायद हिन्दो-
 स्तान ही नहीं, बल्कि अदन तक और जद्दाह
 तक लोग समझते हैं । वह उर्दू न सही,
 हिन्दी न सही, कुछ न सही, लेकिन साफ है
 कि वह जुबान है, जो कि बोली जाती है ।
 इसी तरह महात्मा जी ने तमाम जितनी
 भी और रीजिनल जुबानें थीं, उनका साफ
 साफ एक खुलासा निकाल कर यह कोशिश
 की थी कि हिन्दोस्तानी जुबान से एक ऐसी
 चीज लाई जाय, मगर अफगोस के साथ
 यही कहना पडता है कि उन लोगों ने कि
 जिनकी जुबानों पर इससे काफी असर पड़
 रहा था, उन लोगों ने तो इतनी मुखाल-
 फत नहीं की, मगर मेरी याद अगर धोखा
 नहीं देती तो मैं यह कह सकता हूँ कि
 इस जमाने में वे तमाम सूबे साउथ के
 हों या और किसी दूसरी जगह के हों, जहाँ
 की जुबान हिन्दी न थी, इसके लिये करीब
 करीब तैयार हो गये थे कि एक हिन्दो-
 स्तानी जुबान इस तरह की नेशनल जुबान

हो जाये। गांधी जी ने इसको बिल्कुल महसूस किया था कि कोई कौम या कोई नेशन या कोई मुल्क उस वक्त तक जिन्दा नहीं रह सकता, जब तक कि उसकी कोई खुद की जुबान न हो। मगर कोई सवाल नहीं है। अंग्रेजी को हम अपनायें या किसी दूसरी जुबान को अपनायें। हमें यह असूली तौर पर मान लेना है कि जिस तरीके से हम इसका यकीन करते हैं कि आफताब निकला हुआ है, उसी तरीके से हमें इसका भी यकीन करना चाहिये। अब हमें आजादी मिली है, हमें जिन्दा रहना है। हमें क्रांती वक्कार बनाना है। हमें एक कल्चर की तामीर करना है और उसे दुस्त करना है। तो, उसके लिये जरूरी है कि हमारी एक जुबान हो, हमारी एक भाषा हो, हमारी वह जुबान हो जिसको हमारे तमाम लोग समझते हों। जुबान सिर्फ ऐसी चीज का नाम नहीं है कि उसको सिर्फ चन्द पढ़े लिखे लोग समझें। जुबान सिर्फ उस चीज का नाम नहीं है कि सिर्फ चन्द बड़े बड़े लोग इलमी उम्ज या इस्तलाह या टेकनिकल टर्मज उसमें बना दें। यह तो बाद की चीज है। सवाल तो यह है कि वह जुबान आज हिन्दोस्तान भर में बोली जाये और तमाम हिन्दोस्तान की एक मुश्तर्क जुबान हो, उसकी हमें बुनियाद रखनी चाहिये। इस रोशनी में और इस चीज को सामने रख कर और इसी बैक ग्राउन्ड में महात्मा जी ने हिन्दोस्तानी का प्रचार शुरू किया था। लेकिन अफसोस यह है कि वह इमारत न बन सकी और जब वह इमारत पूरे तौर पर नहीं बनी और हमको आजादी मिली और इस आजादी में फितरी तौर पर जैसा कि हमारे बहुत से भाइयों ने कहा कि हिन्दी के अलावा कोई दूसरी चीज नेशनल लैंग्वेज की हैसियत से आप मान ही नहीं सकते थे; आपने उसे माना। मैं इस वक्त उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि वह अच्छी चीज है या बुरी चीज

हुई। इस जुबान में क्या खूबियाँ हैं; क्या बुराइयाँ हैं; मैं इस पर नहीं जाता। खैर, एक चीज मान ली गई और इसके बाद सवाल यह नहीं है कि अब वह जब मान ली गई, तो हम वापिस जायें। हाँ, मानने के बाद यह हुआ कि ऐसे स्टेट की जुबान, जहाँ हिन्दी जानने वाले लोग थे और अच्छी हिन्दी जानते थे, अच्छी हिन्दी बोलते थे, वे एक तरफ हो गए। दूसरी तरफ हर वह छोटे-छोटे सूबे जिनकी मादरी जुबान वहाँ की स्टेट की जुबान थी, जैसा बंगला है, साउथ इंडियन लैंग्वेज हैं और दूसरी जुबानें हैं, वह सब एक तरफ हो गए। गांधी जी को जो डर था वह सामने आ गया, यानी यह सवाल पैदा हुआ कि हिन्दी डोमिनेट एरिया जहाँ कि हिन्दी ज्यादा बोली जाती है, उसकी इन स्टेटों के और इन सूबों के लोगों से मुखालफत होनी शुरू हुई, जिनकी जुबानें हिन्दी नहीं थीं। आप कितनी ही ज्यादा इसमें लीपापोती करें और इस जल्म को भरने की कोशिश करें, मगर वह जल्म भरा नहीं जा सकता, यह खतरा पैदा हुआ। अगर हिन्दी नेशनल लैंग्वेज हो गई, तो इसका नतीजा यह हुआ कि हमें मुलाजिमत में, हर इक्तसादी लाइन में, कामर्स में और तमाम इन चीजों में उन एरिया के लोगों की जहाँ हिन्दी ज्यादा बोलते हैं, कदर होगी। वह लोग ऊपर होंगे, वह लोग डोमिनेट करेंगे और हम नीचे चलें जायेंगे। आज यह मेन्टैलिटी पैदा होना एक फितरी तौर पर है और इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए और अगर आप कुछ नहीं करेंगे, ऊपर की लीपापोती करेंगे तो उसकी सूरत ऐसी ही होगी, जैसे कि राख में अंगारे को दबा दें। इसके बाद जब वह राख हट जाएगी तो फिर वह अंगारे जला देंगे। तब इसी जल्मे का नतीजा था कि यह आवाज बुलन्द हुई कि हमें अंग्रेजी जुबान चाहिये। कोई शरूस इनमें ऐसा नहीं है, जो तामिल के मुकाबले में अंग्रेजी को पसन्द करे। कोई बंगाली ऐसा नहीं है, जो कि बंगला से ज्यादा अंग्रेजी को पसन्द करे। वाक्या यह है कि वह यह समझते हैं कि इस साये के अन्दर हमको

[मौलाना एम० फ़ारुकी]

छुपना चाहिये, हमको अपने को इस डोमिनेशन से बचाना चाहिए, जो नार्दन इंडिया वाले हिन्दी स्पीकिंग लोग हमारे ऊपर लाने वाले हैं। यह असली सवाल है और इतना गंभीर, सख्त और गहरा सवाल है कि इस लोपा-पोती से कुछ नहीं हो सकता। पं० जवाहरलाल जी ने एक बयान दिया कि अंग्रेजी हमेशा बाकी रहेगी या बहुत दिनों तक बाकी रहेगी या उस वक्त तक जब तक कि इसका कोई आल्टरनेटिव नहीं निकलेगा, बाकी रहेगी। इसको मुन कर सब नांन हिन्दी बोलने वाले सूबे खुश हो गये, लेकिन इससे वह जो जल्म है दिल का वह पुर नहीं होता; बल्कि उनके लिए आपको कुछ कीमती चीज लानी चाहिए। कुछ ऐसी चीज लानी चाहिए, जिससे उनको कुछ इतमिनान हो। जैसा कि मेरे बाज भाइयों ने कहा कि गांधी जी ने ऐसा इतमिनान दिलाने का तरीका निकाला था कि ऐसी जुबान निकाली जाये जो आसान हो, सहल हो और थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी जहोजहद से वह लोग इस जुबान को पा सकें, जिनकी जुबान हिन्दी नहीं है। यह उन्होंने चाहा था और यह हो नहीं सका। अब इसके बाद यह जल्बा पैदा हुआ कि हम हिन्दी ऐसी बनावें—आप लोग माफ़ फरमायें—हिन्दी हम ऐसी बनावें जो एक पूरा पहाड़ दूसरी स्टेटों की जुबान के सामने आ कर खड़ा हो जाये कि वह बेचारे पूरी मेहनत करें, पूरी जान-फिशानी करें तब भी वह उसको पूरे तौर पर समझ न सकें। ऐसे टर्ज हैं, ऐसे एस्लाहात हैं और ऐसे उनको बोलने के तरीके हैं कि किसी तरीके पर हम अपने को पूरे तौर पर उसमें समा न सकें, मिला न सकें। और हम लोग समझें कि यह हमारी मुखालफत हो रही है। लिहाजा हम लोग जो नार्दन इंडिया के हैं, जहां हिन्दी बोली जाती है, उन्हें इस चीज पर पूरे तौर से गौर करना चाहिए। तब उसकी सूरत वही है, जो काका साहब कालेलकर ने फरमायी या इस तरफ बैठने वाले जो पी०

एम० पी० के लीडर बोल रहे थे, उन्होंने फरमाया। हमारी जुबान तो ऐसी आसान होनी चाहिए, ऐसी सहल होनी चाहिए और जैसा कि कुंजरू साहब ने कहा यह काम ऐसी कमेटी के सुपुर्द होना चाहिए, जो इस काम को अन्जाम दे, जिसमें जज्वाती लोग न हों (Time bell rings.) जो हमारी दूसरी जबानों से इल्फाज अपने में ले लें। यहां पर यह चीज कही जाती है कि जो हिन्दी स्पीकिंग एरिया है, उसमें वह जबानें जो हिन्दी से बिल्कुल करीब हैं, उनके शब्द भी लेने में ग़रेज किया जाता है। यही वजह है, हिन्दी और उर्दू का सवाल पैदा हुआ। यह सवाल कभी कोई बहुत अहम नहीं था। जैसा कि किसी ने कहा है कि अगर स्क्रिप्ट एक कर दी जाती, २५ वर्ष पहले तो दोनों जुबानें एक मालूम होतीं। यह थोड़े दिनों की जज्वाती हरकत ने इस्तिलाफ पैदा कर दिया और हिन्दी वालों ने उर्दू के खिलाफ एक जिहाद शुरू कर दिया। और उससे बाहर की जुबान का सा बर्ताव हो गया। आप नजीर अकबराबादी के दीवान पूरे दस हजार शेरों के देख लें। एक भी फारसी का लफ्ज या एक भी अर्बी का लफ्ज आपको कहीं न मिलेगा। आर्जू ने अभी दस वर्ष हुए पांच हजार शेरों का एक दीवान मर्तब किया था, जिसमें उन्होंने एक लफ्ज भी अर्बी या फारसी का नहीं इस्तेमाल किया है (Time bell rings.) तो असल सवाल यह है कि यह जो तरीका हमारे हिन्दी प्रचार का है, उसे खत्म होना चाहिए। मैं दो तीन बातें उर्दू के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे पूज्य पंत जी ने इस कमेटी की रिपोर्ट के आखीर में जो बयान अपना शामिल कर दिया है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट को कमेटी के बयान में शामिल करके एक बड़ा अहम काम किया है। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी पूछना चाहता हूं कि अगर किसी सूबे ने इस बयान के खिलाफ कार्यवाही की, तो क्या उसके साथ भी वही बर्ताव किया जायेगा, जिस तरह से कोई सूबा इस कमेटी की रिपोर्ट

को वायोलेट करता है ? मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि इस बयान की कानूनी हैसियत क्या है ? इस रिपोर्ट के आखीर में उर्दू के बारे में यह दिया है कि अगर किसी स्टेट में उर्दू ज्यादा बोली जाती है, तो उसको हर तरह से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैं आपके सामने दिल्ली की मिसाल देता हूँ, जिसकी भाषा उर्दू है और इस चीज में किसी को कोई शक नहीं हो सकता। लेकिन आज हिन्दी को मीडियम आफ इन्स्ट्रक्शन बना दिया गया है, तो ऐसी जगह में जहाँ उर्दू बोली जाती थी, उसकी वहाँ पर क्या हालत होगी ?

श्री उपसभापति : अभी तीन आदमी बोलने वाले बाकी हैं और उन्हें दस दस मिनट देना है।

मौलाना एम० फारूकी : जनाब डिप्युटी चैयरमैन साहब, आपसे एक शिकायत करना चाहता हूँ। मैंने अपना नाम तीन चार दिन पहले दे दिया था और मैं इस चीज पर तफसील के साथ बोलना चाहता हूँ।

श्री उपसभापति : लेकिन, अब तीस मिनट बाकी रह गये हैं और तीन आदमी और बोलने वाले हैं। अब आप अपनी स्पीच खत्म करें।

मौलाना एम० फारूकी : हाँ, तो मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि जो स्टेटमेंट होम मिनिस्ट्री का आखिर में बढ़ा दिया गया है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है ? यह कमेटी की और आपके कांस्टीट्यूशन का एक जुज बन गई है या नहीं; और आगे इस बयान की क्या हैसियत होगी ? मैं इन अल्फाज के साथ कमेटी की पूरी रिपोर्ट की तारीख करता हूँ और आनरेबल मिनिस्टर साहब को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हिन्दी सूबे अपने हिन्दी के प्रचार के तरीके को बदलेंगे और सबको मिला कर चलेंगे। इस हिन्दुस्तान की तारीख में तीन हजार वर्षों से चला आ रहा है कि हिन्दुस्तान को जब भी कोई खतरा हुआ

है वह उसके इस्तिलाफ की वजह से हुआ और उसी वजह से वह टुकड़े टुकड़े हुआ और हमेशा हिन्दुस्तान खसारे में रहा और बरबाद होता रहा।]

SHRI B. D. KHOBARAGADE (Bombay): Mr. Deputy Chairman, I have listened carefully to the speeches that were delivered during this most controversial debate. The controversy I can understand, but I could not understand the heat that was generated, the acrimony that was created and the passion that was aroused during the course of some speeches that were delivered in the House today. That indicates the nature of this problem. The problem no doubt is not simple but at the same time today's speeches have indicated that the problem is a most delicate one. It requires careful handling, and even if it is slightly mishandled, it would lead to dangerous consequences.

AN HON. MEMBER: The Report handles that.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: It is not a question of the report handling only. The Parliament also has to handle this question carefully and sympathetically, because the views expressed in both the Houses will be taken into consideration by the President.

So far as the question of official language is concerned, there can be no two opinion regarding the fact that there should be only one official language and that the place of official language can be given to Hindi only. (Interruption.) There should be no interruption. If the Deputy Chairman is kind enough to give me more time, I can allow any number of interruptions. I am not afraid of interruptions. So, the question of giving Hindi the much coveted position of official language cannot be denied. All are agreed on that point that there should be only one official language and that Hindi should take that place. Difference arises only when we come to consider in what way we should approach the problem and what

[Shri B. D. Khobragadr.] should be the dead-line for a changeover from English to Hindi. Then only the controversy starts. Therefore I suggest that we should have not a rigid approach to this problem but a flexible approach. We should have a democratic approach and not a totalitarian approach. In the interests of the unity of the country and for having a common Indian culture one common official language is necessary. Nobody can deny that. Unfortunately as Indians we have not got any common Indian culture. We have to evolve that culture now. Culture is conserved by language, and for the development of a common Indian culture Hindi should be the official language. There is no doubt about it. But what should be the attitude and approach of the protagonists of Hindi? I think by the way in which they have been trying to solve this problem they have rendered a greater disservice to the cause of Hindi than any non-Hindi people. The way in which they have shown their attitude of disregard and contempt for the other non-Hindi languages has created greater aversion for Hindi among those people. Therefore, I would like to suggest that such chauvinistic attitude on the part of the protagonists of Hindi should be changed. They should have a flexible approach and a democratic approach.

Then, apart from this approach, I would like to suggest that there should be no fixed time-limit. The Constitution has fixed the time-limit as 1965 for the change-over from English to Hindi. The Committee also, in very mild words, have indicated that they would like the changeover from English to Hindi to take place in 1965. I would only quote one sentence: "The Committee considers that until 1965 English should be the principal official language of the Union and Hindi the subsidiary official language, and from 1965 when Hindi becomes the principal official language", etc. This sentence is more important and it indicates that in 1965 we will change over from English to

Hindi. This is not proper. The Constitution is not so sacrosanct. As rightly commented by Mr. Frank Anthony in his note of dissent, the particular portion of the Constitution which we should treat as sacrosanct is the portion relating to Fundamental Rights. But even as far as the Fundamental Rights are concerned, the Constitution has been amended seven times during the course of seven years. Then, why should there be so much sanctity attached to it when we deal with this language problem? So far as the constitutional aspect is concerned, I would only say that when this issue of the language was being discussed, it was decided by a majority of one single vote only. I will only quote from a book written by Dr. B. R., Ambedkar in which he has specifically mentioned this—

"It may now not be a breach of a secret if I revealed to the public what happened in the Congress Party meeting when the Draft Constitution of India was being considered, on the issue of adopting Hindi as the national language. There was no article which proved more controversial than Article 115 which deals with the question. No article produced more opposition. No article, more heat. After a prolonged discussion when the question was put, the vote was 78 against 78. The tie could not be resolved. After a long time when the question was put to the party meeting, the result was 77 against 78 for Hindi. Hindi won its place as a national language by one vote. I am stating these facts from my personal knowledge. As Chairman of the Drafting Committee, I had naturally entry to the Congress Party enclosure."

It is clear that when Hindi was adopted as the official language of the nation, it was only adopted by a majority of one single vote, and at the time of the first voting, there was equal division. Sir, we are treating this article in the Constitution as sacrosanct, the article which was adopted by a majority of one single vote. I think we should have a flexi-

ble approach. There should not be any deadline fixed for that. For that purpose, I would suggest that the *status quo* should be maintained for some time more, say, for five years or ten years even after 1965, because the question of national integrity is more important than that of the official language. The protagonists of Hindi seem to forget that by their wrong approach they are doing greater disservice to the cause of the unity of India.

SHRI P. D. HIMATSINGKA: What do you want? For the unity of India, don't you want Hindi?

SHRI B. D. KHOBARAGADE: I only want to submit that 1965 should not be the deadline. Suppose we change over from English to Hindi in 1970 or 1975, can any harm be done? Can my Hindi friends explain that point? Another thing is, I do not understand what harm is there in continuing English language in this country. If we continue English, if we use English, I do not find any difficulty or any harm in it. English has the reputation of being the international language. It is one of the most advanced languages of the world. So far as science and technology are concerned, English has made a considerable progress. We can find literature on scientific and technical subjects only in that language. The other day, the hon. Home Minister in the other House admitted that so far as research in Indology was concerned, we had got some invaluable books in English. So far as researches in Indian religions and culture are concerned, there are more books written in English than in any other indigenous language. Why should there be any opposition to the English language? Some friends have quoted instances of other countries where no foreign language is spoken and have said that in India, English is a foreign language. I can understand that English is a foreign and alien language. But it is an international language. I would only quote one or two instances. I had the occasion to attend a conference—the World Fellowships of Buddhists—

which was attended by my friend, Mr. Rajabhoj, also. So many delegates from so many countries attended that conference. Delegates from Japan, Malaya, Singapore, France, Germany and Austria came. Do you know what the language the people who attended it used? The language was English. All those people who came there from South-East Asia as delegates spoke English. What about Thailand? Thailand is supposed to be the only country in South-East Asia which has maintained her independence throughout all these centuries when almost all the countries of South-East Asia were subjugated, dominated and colonised by foreign imperialist powers. In Thailand, we find today young boys and girls learning English and speaking English fluently. Are they slaves just because they learn English? They have enjoyed freedom and independence for so many centuries. Why are they learning English today. It is because English is a most valuable language and we should try to learn it.

Take the question of the development of Hindi. As I have suggested in the beginning, 1965 should not be the deadline because Hindi has not been developed properly. During the last ten years, the Government has not taken any steps to develop Hindi and now it wants to impose it on the non-Hindi-speaking people. That should not be done. The Hindi language should be allowed to evolve and develop itself. Today Hindi is a regional language. If we want to adopt it as the official language, let us develop it first as an all-India language. I have no doubt in my mind that after a few years' time—ten or twenty years—Hindi will acquire the status or character of an all-India language. It will be spoken in all the corners of this country. There is no doubt about it. But we should have a flexible approach. We should evolve a language, and not impose it on the non-Hindi-speaking people. What I mean to say is that there should not be any craze for

[Shri B. D. Khobaragade.] purism and for trying to coin unsuitable words. We should draw from all the languages even from English. The other day, a suggestion was made that we should draw only from Sanskrit. That will not be proper. I will just quote one instance. Today English is a rich language. Why? It is because it has drawn from so many other languages. I would quote a few of them. It has drawn from American, Anglican, Arabic, Celtic, Danish, French, German, Hebrew, Greek, Italian, Latin, Japanese, Persian, Russian, Sanskrit, Hindustani, Spanish and Turkish. We find the words *pandit* and *chautney* in the English dictionary. So we should try to draw words from all languages. There are so many English words which are in vogue and use in our country now—for example, *table*, *almirah*, *cycle*, *ticket*, *signal*, etc. Should not these words be assimilated in Hindi? Our craze for purism will spoil the whole beauty of the language. This approach is most dangerous to the unity and the solidarity of the country. Continuance of a foreign and alien language for some more years can be tolerated, but the compulsory imposition of any indigenous language which would generate forces of disunity, which would generate opposition and resentment and which would lead to disintegration of the country, can never be tolerated. We want to maintain the unity of the country and therefore I would like to suggest that we should have a flexible approach and Hindi should be allowed to develop and evolve its own natural course.

SHRI PURNA CHANDRA SHARMA (Assam): Mr. Vice-Chairman, I associate myself with the Committee which has recommended a certain flexibility and also amendment of the Official Language Commission's Report. Although I associate myself completely with it in the sense that we want a common language for the whole country and although I associate myself with the view that Hindi has the right to become the common language of

India—for there is an overwhelming majority of people speaking Hindi—I have a few suggestions to make.

About the approach, Sir, after independence, India has built up its prestige and that prestige can be maintained only by a common language for the whole country. What should be that common language, was a matter for consideration by the Constituent Assembly, and it is before us today for giving vent to our own feelings on the subject. Sir, as an Indian, I too feel that we must have a common language. Without a common language, we cannot evolve the unity of our country. The four hundred languages or dialects of our country have now evolved themselves into fourteen languages. Until these fourteen languages also evolve themselves into one common language, perfect unity of our country is not possible. We must try for the perfect unity of our country in place of all these diverse and linguistic feelings amongst our people, and to evolve that common language, we must evolve a common vocabulary, a common grammar, and to start with, we must have a common script. Until we have a common script, I feel that we have not begun in the right way. All the

regional languages, most of 4 P.M. them barring Tamil perhaps,

had their source in Sanskrit, and all these languages have very many common words. If I in Assam can write a book in my own language but in a common script, say, Nagari, it can be read throughout India. Similarly, if it is written in that common script but in any other language it can likewise be read in many parts of India. Where it is so done by an author or a literary man his language will be understood in Bengal or Orissa or U.P. or Gujarat and his book becomes the best seller. Similarly, anyone writing in Malayalam, which has about 73 per cent, of the original Sanskrit words, but in a common script would enable a man like myself from Assam understand his book and, Sir, it is a matter

of great shame to us that Indians have not got to read the works of their own Indian authors through English language. Rabindranath was known to most parts of India only through the English translations. Kamban, the great Tamil poet, is known to us only through English literature. Similarly, Shankardev is known to India only through some literary works which have come out only through a few publications in Nagri script. The great people of India who were the authors and builders of regional languages are known to us only through the English language. I am not an enemy of English. I myself may feel that it is disadvantageous if I had to speak in some other language. Yet I feel that my country does not grow as much as it would be the case if I could explain myself through a language of my own country. I have no antagonism against English as such. English may be there but it should remain a second language. I fully endorse the declaration made by the hon. Prime Minister who is speaking like a true democratic leader. He has sensed the feelings in the country and so he wants to maintain the unity in the country by allowing English to remain as an associate language so long as it is found necessary by the non-Hindi-speaking people. Yet some day we shall have to introduce Hindi in the official world, in administrative matters in course of time. Now the British Government introduced English in their time and this they did by introducing English in the high schools; barring the primary schools everyone had been taught through the medium of English. In our time, in our high schools we read history, geography, mathematics, everything through English, and naturally so in the colleges. Similarly, if we want to have Hindi as the official language of the country, we have to introduce it at that stage of education so that everybody, every intelligent man or every man who calls himself literate having had a little bit of education, should be able to speak and should be able to understand it. So, if we are

sincere about it, we should be taking a little more care, how to introduce it and propagate it among the common people. Education is now expanding. Even after 150 years of British rule during which English was the official language, we have only about 4 per cent, literates in English in the whole country. English will take a lot of time. We can never expect English being taught in all the schools, at all stages and in all places. So, if we have to have a common language, we must introduce Hindi or whatever form of Hindi is decided on, say, Hindustani, and that should assimilate all the common words in all the languages of India and we should introduce Hindi or Hindustani at the high school stage and make it the medium of instruction for all subjects, history, geography, etc., instead of keeping it confined as a second language or a third language taught for one hour or half an hour in the high school in the class-room. And what will the student learn that way? If that is the way, then we can never develop a language, nor can we learn Hindi in the proper way for administrative purposes. There should be no dogmatism or doctrinaire approach on the part of the Hindi-speaking people to create a feeling that they are out to impose that language over all other people. They should not throw it as a challenge to the country, that you must either accept it or reject it. That should not be the feeling generated. They should always be able to persuade others by their own conduct, by trying to assimilate in the Hindi language all the common words of the country, whether it be Urdu or Sanskrit or Tamil or Telugu or whatever it is. Dr. Kane suggested yesterday—and I agree with him entirely—that there should be a common vocabulary, a common dictionary and a common encyclopaedia which will contain all the words. Let the experts and the literateurs in the country sit together and bring out a dictionary finding out the common words. Even this Committee has suggested somewhere the teaching of Hindi through

[Shri Purna Chandra Sharma.] the regional script. I think the reverse should be the process that is the regional language should be taught through the Nagari script or any common script. If you do it, they will gradually evolve a common language incorporating all common words, common to all the languages. Thirdly, the most important thing is grammar. Sanskrit became popular throughout India and is understood in every part of India by the learned people. It has a good grammar, scientific grammar, and that is why it could be understood so very easily. Until we have that grammar for Hindi or Hindustani, or whatever it is, we can never make it correctly understood or correctly reproduced by anybody in the country. So my first suggestion is a common script; secondly, a common dictionary, and surely these are the things, Sir, which are most important for the approach to make a language common in India. With all the things together they will gradually evolve one common language for the whole country. It may take a hundred years; it may take two hundred years. We have yet to make 80 per cent of our people literate. If all people begin with one script in the country, they will gradually evolve a common language for the country, which will make perfect the unity of our nation, which is the goal of every patriotic Indian. That is my submission, Sir. Until we have that perfect unity in the country, until we can forget the linguistic differences between this State and another, until we can evolve that formula, we can never achieve the true goal of one independent India.

Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri B. B. Sharma.

श्री पा० ना० राजभोज (मुम्बई): क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ ?

श्री उपसभापति : मत श्री बी० बी० शर्मा का नाम कहा है ।

श्री पा० ना० राजभोज : क्या हम माइन्सिटी के लोग नहीं बोल सकते हैं ? मैं

भी इस पर बोलना चाहता हूँ ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Rajabhoj; I have called Mr. Sharma.

श्री ब्रज बिहारो शर्मा (उत्तर प्रदेश): श्रीमान् उपसभापति महोदय, मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूँ कि उसने बहुत विचार करके यह जो अपनी सम्मति राष्ट्रपति को देने का प्रस्ताव किया है, वह सामयिक और सराहनीय है । उसके लिये मैं पंत जो को खास तौर पर बधाई का पात्र समझता हूँ । उनकी कार्यकुशलता और दक्षता, उनकी देशभक्ति का, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है इस देश में जो कायल न हो । ऐसी अवस्था में, ऐसी गिरी हुई स्थिति के होते हुए भी वे कोई भी ऐसा अवसर इस देश को नहीं देना चाहते जिससे कि किसी प्रकार हमारी राष्ट्रीयता को, राष्ट्रीय अभिमान को या राष्ट्रीय एकता को धक्का लगे । अतः जो कुछ उन्होंने अपनी रिपोर्ट पर लोगों को एकमत करने का सराहनीय कार्य किया है उसके लिये वे देश की तरफ से बधाई के पात्र हैं । और वह बधाई देश उनको देता ही है ।

मुझे इस रिपोर्ट के बारे में विशेष कुछ कहना नहीं है । जो कुछ मुतासिब समझा गया, वह किया जा रहा है और देश के कल्याण और हित की दृष्टि से किया जा रहा है । किन्तु, मुझे दो तीन बातों में कुछ संका होती है । हमारे संविधान में यह जो दिया गया है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी और वह नागरी लिपि में लिखी जायगी और वह सारे देश की अन्य भाषाओं की सहायता से, उनके विकास के साथ साथ विकसित होगी, यदि यह बात मान ली जाय, तो किसी प्रकार का कोई विरोध होना नहीं चाहिये । हम लोग जब इस सदन की सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो यह शपथ लेते हैं कि हम संविधान के अनुसार जो कुछ वैधानिक कार्यवाही होगी, उसको ईमानदारी के साथ निभायेंगे । संविधान में यह निश्चित कर दिया गया है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी देवनागरी लिपि में होभा ।

उस पर जैसा कि आपके सामने लोगों ने मत व्यक्त किये हैं, किसी को विरोध नहीं है। लेकिन प्रश्न होता है: फिर विरोध कहां से आता है, विरोध कौन करते हैं? विरोध करते हैं वे लोग, जो लोग कि अपने को अंग्रेजियत के हिमायती, अंग्रेजियत के हामी कहते हैं, जिनका नस नस में अंग्रेजियत भरी हुई है। ऐसे लोगों की तरफ से विरोध होता है। बचपन से लेकर आज तक उनका सारा जीवन अंग्रेजियत के दायरे में पला है। इस वास्ते उनके खून में जो अंग्रेजियत दौड़ती है। उससे वे अपने को बाहर नहीं कर सकते, उनका सारा कल्चरल एटमास्फेयर जिसको वे कहते हैं, वह अंग्रेजियत की रही है। इस वास्ते उनकी यह जो इज्जत अंग्रेजी के प्रति है उसके लिये वे दया के पात्र हो सकते हैं, क्षमा के पात्र नहीं हो सकते हैं। जाहिर है, वे दूसरी बात सोच ही नहीं सकते, उनके दिमाग में कोई परम्परा ऐसी आती ही नहीं जिसको कि संस्कृति कहते हैं; क्योंकि उन्होंने सांस्कृतिक दृष्टि से अपने को उस धारा से काट दिया है, जो कि हमारे देश में बहा चल आ रही है। उस जमाने में भी जब कि अंग्रेजों का यहां बोलबाला था, जब कि इस देश में अंग्रेजी ही बड़ी प्रतिष्ठा की दृष्टि से राष्ट्र-भाषा समझी जाती थी, उस जमाने में भी लोग एक कोने से दूसरे कोने तक तीर्थयात्रा करने जाते थे। उत्तरी भारत के आदमी जो कि आधे के करीब हिन्दी बोलने वाले हैं, वे रामेश्वरम् में जाते थे, द्वारिकाधीश भी जाते थे, बद्रीनाथ भी जाते थे, गया जगन्नाथ पुरी भी जाते थे और सब जगह उस भाषा को समझने वाले लोग होते थे; वह भाषा जिसके द्वारा हमारा सांस्कृतिक समन्वय वर्षों से होता चला आ रहा है। यह उन दिनों की बात है, जब कि यह देश कई राज्यों में विभक्त था, लेकिन तब भी वह एकता बनी रही। वह एकता जिस भाषा के द्वारा बनी रही, वह हिन्दी भाषा कही जाती है।

हिन्दी के बारे में अंग्रेजी की तरफ से विरोध इस वास्ते नहीं आता है कि वे लोग

चाहते हैं कि यहां की राजभाषा अंग्रेजी हो या वे अंग्रेजों के कोई ऐसे विद्वान हों कि जैसे अंग्रेजी भी नहीं हो सकते। उनको अंग्रेजों भी, जैसा कि बहुत से लायकदोस्तों ने बताया है, दोषयुक्त होती है और बावजूद सारी जिन्दगी अंग्रेजी में पढ़ने के, वे अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, न लिख सकते। फिर भी, उन्हें अभिमान है अंग्रेजियत का। लेकिन सत्य मूल में यह है कि वह सत्ता जो अब तक राज्य करती आई है, जिसके हाथ में शासन का सूत्र रहा है, व्यवसाय का सूत्र रहा है, उसके अंदर जो लोग हैं वे देखते हैं कि अगर अंग्रेजी इस देश से उठ गयी तो *their occupation is gone* उनका व्यवसाय खत्म हो जायगा, उनकी दिक्कतें बढ़ जायेंगी और इस वास्ते वे किसी न किसी प्रकार से राष्ट्र-भाषा के विकास में बाधक होते हैं और बाधक हो रहे हैं। वे लोग जिन्होंने देशवासियों से अपने को पृथक् किया हुआ था, ऐसे गुरे साहबान जो थे वे यहां से चले गये, तो अब गुरे साहबान यहां बने हुए हैं और वे गुरे साहबान अपने को एक पृथक् देशवासी ही समझ रहे हैं। वे इस देश के वासी अपने को इस मानी में नहीं समझते कि उनका कोई विशेष सम्पर्क देहातों से नहीं है, उनका जनता से कोई सम्पर्क होने की आवश्यकता नहीं है। (*Time bell rings.*) इलेक्शन के दौरान में किसी प्रकार भी अगर उनको जाने का मौका मिल जाता है तो किसी तरह से काम चला लेते हैं। इसके लिये उनका एक एजेंट होता है। कांग्रेस टिकट उनको मिल ही जाता है। अगर वे अपनी स्वतः शक्ति पर इलेक्शन लड़ना चाहें तो बड़ी कठिनाई हो जाये क्योंकि वे अपने को जनता के सामने व्यक्त कर ही नहीं सकते, जनता के सामने अपने भावों को जाहिर नहीं कर सकते, इस वास्ते कि वे अंग्रेजियत में पले हुए हैं। उनका खाना, उनका रहन-सहन, उनकी दिनचर्या सब पृथक् है। अतः यह चीज उनसे मेल नहीं खाती। परिणाम यह होता है कि उनके हृदय

[श्री ब्रज बिहारी शर्मा]

में देश के प्रति कोई आस्था, कोई देशभक्ति नहीं हो। (Time bell rings.) माफ़ काजिएगा, मैं उर्दू के विषय में कुछ कहना चाहता था। इतना ही कह देना चाहता हूँ कि उर्दू-हिन्दी का झगड़ा बिला वजह खड़ा किया जाता है। कौन कहता है। वह भाषा जो कि साधारण बोलचाल की भाषा है वह हिन्दी नहीं, वही तो हिन्दी है? किन्तु, क्या हमारी टेकनालाजी के शब्द इन्को गाडी वालों से लिये जायेंगे, सड़क पर जो बेल गाडी हँकते हैं, क्या वे टेकनालाजी के शब्द बनायेंगे? मेरे लायक मित्र सभू साहब कह रहे थे, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका हिन्दी में मिलना मुश्किल है। अफसोस है, इतने दिनों तक, इसी देश में पैदा होकर, इसी देश में रहकर, अगर वे अपनी भाषा में उन अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद नहीं कर सकते तो अफसोस की बात है। यदि वे अपनी भाषा में उन कानून के शब्दों के, जिनके कि वे पूर्ण पंडित हैं, अनुवाद ही नहीं कर सकते स्वयं तो फिर उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, कि वे राष्ट्र भाषा का विकास करेंगे। यदि वे हिन्दी में न भी करते तो कम से कम उर्दू में ही कर देते।

SHRI P. N. SAPRU: On a point of order, Sir. Hindi is official language, but is it the mother-tongue of the Tamilians or the Dravidians or Bengalis? What has this mother-tongue business got to do with it?

श्री ब्रज बिहारी शर्मा : मेरा प्रश्न केवल इतना है : अगर आप ऐसे पंडित हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ आपने कानून के बारे में बड़ा पांडित्य है, तो "अपने अपनी मातृ-भाषा में उस काम को क्यों नहीं किया? ग्लेगोर्ग को छोड़ दीजिये, उनका ख्याल न करके कम से कम आप जिस प्रान्त की राजधानी में रह चुके हैं, जिसमें आप पैदा हुए हैं, वहां तो आप उन शब्दों का तर्जुमा

कर लेते उस भाषा में, जिसको आपने अपनी माता से सीखा है।

SHM P. N. SAPRU: I want simple language.

MR, DEPUTY CHAIRMAN: That will do, Mr. Sharma.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI GOVIND BALLABH PANT): Mr. Deputy Chairman, I am glad to have this opportunity of making a few remarks at this final stage of the discussion that was initiated yesterday by my colleague, Mr. Datar. I regret that I could not personally be present, then. I am grateful to hon. Members for the heartening reception that they have accorded generally to this report and for the very kind words that some of them have said about me. I am really greatly impressed by the general support which this report has, received in this House. We had a long discussion in the other House and I had occasion to speak there twice. The hon. Prime Minister too has expressed his views on this important subject on two occasions, once when the Resolution for including English in the Eighth Schedule was under consideration, and again when the motion similar to the one that is now under consideration was being discussed in the other House. In the circumstances I am afraid I have little to add to what has already been said, although I fully appreciate the importance of this subject and was also impressed by some of the very illuminating speeches that have been

made in this House. Mr. Panikkar is not here but I should like to welcome him. It was his first speech in this House that he delivered yesterday, a thought provoking speech and one deserving close attention. Sir, the scheme about the Union language was adopted, by the Constituent Assembly almost unanimously. I was told, just when I was entering this hall, that one hon. Member had said that it was adopted by the majority of one, so far as my memory goes, and perhaps.

other friends who were there will endorse what I am saying, this settlement, as it is now called, was really almost unanimously adopted. There was only one particular clause relating to international numerals about which there were a few dissentients. In other respects it was an agreed scheme that was adopted by the Constituent Assembly. However, it is gratifying to And that this scheme, as it is embodied in the Constitution, has been again reaffirmed by both Houses of Parliament and there can be no doubt now that the people of this country are agreed on the basic principles that we need a common language, a common medium of communication for the official purposes of the Union and for other inter-State purposes, and it is conceded by all. In fact there could not possibly be any room for difference of opinion in this regard. It is also, I think, accepted that there can be no rigid date-line for the replacement of English by Hindi. According to the original dateline, as contained in the Constitution, 1965 was to be the final date but our Committee has recommended that there can be no rigid date-line and that the "Parliament, in accordance with the provision made in article 353, should pass a law on the subject. So that too seems to me to be generally accepted.

The third point which seems to be accepted is that the Hindi that we want to serve as the Union language of India should represent the composite culture of our country. We have got a number of regional languages and so far as possible, we should try to introduce the styles and forms and the words of other languages in the Hindi language so that it may be really national in character. I do not mean to suggest that other regional languages or other languages that are spoken in ' the country are not national. I only mean that it should reflect the culture of our country. There is unity in our country along with rich diversity. That really gives a tone to our culture and

enables us to enrich ourselves through the various regional languages. So our composite culture must be maintained and this language should represent that character. Attempts made in the past even in other countries for excluding words from any language, such as those made in England, for example, for taking out all words except the Anglo-Saxon words failed and it was realized by the people everywhere that the way to enrich a language is to accept and introduce into it words from other languages. It is not through exclusion that you can make a language rich but by adopting a cosmopolitan outlook, and here we are not even concerned with a cosmopolitan approach. So far as our own regional languages are con-cerned, they are not in any way' inferior to Hindi. Nobody can claim, and I certainly would not, that Hindi is richer than other languages. But we want a *common* medium, and after* taking into consideration all the relevant factors and examining the problem in an objective and rational way, our leaders reached the conclusion that Hindi can serve as an appropriate instrument for that purpose. So we have adopted Hindi, not because it is in any way superior but because in the light of the circumstances existing in the country, it is the most suitable medium for such purposes. When dealing with this question, we must remember that the Constitution itself provides that while Hindi should be the language for the official purposes of the Union, the Commission or those who have to deal with this matter, should have due regard to the industrial, cultural and scientific advance of the community and the just claims and interests of persons belonging to, the non-Hindi-speaking areas with, regard to the public services. Article. 351, lays down what I said a minute, before, that it shall be the duty of-the Union:

"to promote the spread of the. Hindi language, to develop it so that; it may serve as a medium of expres- sion for all the elements of tha

[Shri Govind Ballabh Pant.] composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages."

I considered it necessary to refer to this article as I was told that some views which were not consistent with what has been laid down authoritatively for our guidance had been expressed here.

Dr. Kunzru laid emphasis on the use and development of Urdu. I regret very much that there has been a sort of feeling that Urdu has not been receiving a just deal. It is not in the interest of the country that any language which is included in our Schedule should be discriminated against. Every language is entitled to have full scope for development and the more a language thrives, the better it would be for allied languages. Simply by crushing any language, we do not gain anything. And after all, every language has been built in the course of centuries and ages. It is easy to destroy a thing; but you cannot rebuild what has come to you as a rich and sacred heritage. So I entirely agree with Dr. Kunzru that Urdu should be given full scope, and with that object in view, the Government of India issued a statement last year and that statement had been appended to this Report so that all concerned may keep this in view and act accordingly.

Sir, I understand that there had been two dissentient voices. Well, it is rather unfortunate that in spite of the attempts that had been made to reach agreed conclusions, some still remain unconvinced. Dr. Raghu Vira, I understand, said that he opposed the Motion, but I was not altogether surprised. The Committees' and my

approach towards this problem was very much different from his, perhaps because of our own deficiencies. He is a great linguist and he knows many oriental languages and he does not seem to realise the difficulty which people who have to work in a language which is not their own mother-tongue have to face, when that language becomes the official language. If others had that capacity which he possesses, for assimilating whatever one chooses from other languages or of being a multi-linguist like him, perhaps they could appreciate his point of view. But so far as we, men of average intelligence, are concerned, we feel that we have to take into consideration the handicaps under which the non-Hindi-speaking people will suffer if advance is not made in a proper manner. I may say that so far as the Report is concerned, I believe that its recommendations are sound. But nothing is perfect. The subject of language is one of supreme importance. But it is equally intricate and also complicated. However, the main merit of the Report lies in its unanimity, in the fact that the recommendations have the support of every single representative of other languages and of the non-Hindi areas. I attach greater importance to that fact than to the recommendations themselves. After all, why do we want a common language? It is to preserve, to foster and to promote the unity of the country and to consolidate its independence. If any step that we take has a contrary and adverse result, then whether we take it under the name of language or for other reason, it will not serve the supreme purpose for which language is specially meant. Language is a uniting factor. People speaking one language have a special bond of affinity. But language is also an explosive factor. So we have to be on our guard and if we want Hindi to advance, we should take the necessary steps. Many people have complained that the progress so far made has not been satisfactory. I do not

subscribe to that view. If the magnitude of the task is kept in view, then

it will be realised that earnest and sincere efforts have been made to develop Hindi, to evolve terminologies, scientific terms, legal terms, and to translate manuals, to train officials and in other ways.

However, I say that real and speedy progress can be made only when we all co-operate and there is complete understanding between the non-Hindi and the Hindi-speaking people. If we think that we can make progress by ourselves, that is not possible, and if we want to make a real advance, speedy advance, then we must appreciate their position and we must, along with them, develop such ways as will ensure what we all desire. We must have confidence in their patriotism. They are as anxious as ourselves and there are many other factors which are driving towards that end. As the hon. Members are aware, almost in all the States now, the medium of instruction in the secondary schools is the regional language, and in some of the Universities too, the regional language has been adopted as the medium. Similarly, several States have adopted the regional language for official purposes. So, whether we wish it or not, the regional languages are going to displace English in their respective regions. English will cease to have that attraction which it possesses today when the work in the States is carried on through the regional language, when the regional languages become the media of instruction in the schools and even in the Universities, in the Legislatures and the High Courts it may not be soon but things are tending that way. That is the trend and nobody can stop it. Nobody can block it. It is there and it is going on. There are already complaints that the standard of English has deteriorated, I am no judge of that but those who are in a position to express an opinion subscribe to this view so that even now the standards of English are going down. That being so, will it be possible to maintain those standards when the States concentrate on the regional languages 57 RSD—8.

for all State purposes and the regional languages become the media of instruction, as they have already become in the secondary schools and also in the Universities? We have to take these realities into account. Our approach towards this problem should be realistic and rational. We cannot be dogmatic either one way or the other. Whatever we may wish, we have to see how far that wish is capable of being realised and what methods we should adopt for it. We have also to realise that if English is displaced, like that in the States, if English in a way ceases to be the medium of communication even between the intellectuals in the different regions, what is going to be the link and the bond to tie the different regions and the people living in them. That, in a way, accentuates the urgency of the problem. As I said, nothing can prove fruitful which is not done with the active co-operation, the willing co-operation and the goodwill of all parts of India, and especially of those who are not acquainted with this language. For them as well as for the others these problems, pose themselves and call for an answer and we have to give thought to them. We have to see how, in the circumstances, we can maintain the unity of the country and develop it further if the present ties, the present threads—whether they be foreign or indigenous, I do not want to go into that—that had been somehow keeping us together intellectually snap. If they snap, what is going to keep us together? What is going to serve as the link? That is the vital point. So, this requires a rational approach and there is need for examining this problem in a manner which while satisfying all the requirements of all the regions also makes the language adequate for the purposes of the Union. Ours is a vast country. Ours is an old civilization but we have also to look forward and the changes that are taking place in the world cannot be ignored except at our peril. The progress of science and technology today is mainly responsible for social, economic and political progress. Both the

[Shri Govind Ballabh Pant.] sectors are still advancing forward though sometimes they come into conflict with each other. So, while we develop Hindi and other regional languages, we have to see that we make full use of scientific and technological terms that are current in English with which we are more familiar than with any other foreign language. There is no merit in having a different word for oxygen in the regional languages. It would be better if we could have a common terminology for all scientific and technological terms, for Hindi and also for other languages. The Committee have suggested that there should be a permanent commission for this purpose, for developing scientific and technological terminology and for making common use of them so that all languages may come nearer. Similarly, for legal terms the Committee has suggested that there should be another Commission so that the legal terms that are evolved may be used in all languages. If that is done and if we can introduce other terms of common usage into Hindi from other regional languages, all our languages will come very much close together. Hindi should be as simple as may be possible but we have to appreciate the difficulties that those who will have to deal with this problem have to face, because the language has to be simple, it has to represent the composite character of our culture and it has also to assimilate the terms from foreign languages. How far all that can be managed will be only determined by actual experience, but one thing seems to me to be also worth considering. We have so far evolved many terms but there is some artificiality about them. A language develops by usage; its edges are smoothed when it is used. If you only put these words in the dictionaries or if you just go on collecting them but nothing is put to real test, then the artificiality will continue. So it has also to be seen whether some way can be devised so that what we evolve is also put to the real test which can be done only by using those words.

I may submit that we are interested only in developing a language which will be adequate for our purposes and which will be as simple as may be possible. Considering the democratic character of our administration it is not possible to maintain English for a long time. We must cultivate English; I am not against that. We have in our own Report referred to the benefits that English has conferred on us and I also believe that whatever is worth doing is worth doing well, so that if we have to continue the study of English we should do it in a manner which will do credit to those who learn English or who speak English but their number perhaps will continue dwindling. But while making all these efforts we have to remember that any person in the country who has a vote must be made familiar with what is being done in the country. We hope that in the course of the next few years at least education up to the age of 14 will become compulsory. It can be only in regional languages in the States but later on if we want our people to know what is being done in their respective States and also to have some idea of what is being done at the Centre—because here too every adult has the right to determine as to who should govern this country and what policy should be followed—the medium has to be such as can easily help the people in general, the masses, in understanding these political issues. So, in order to maintain and also to ensure the democratic character of the State, we have to see that our indigenous languages make adequate advance. English, as I said, must continue and must continue for an indefinite time; one cannot say for all time because one does not know what is going to happen in this world after 20 years or 25 years. Things are changing so very fast that one cannot even make any prediction about what may happen after a year but still so far as we can go we have to see that we follow a straight path, a right path, and one that will help us in achieving the object which we all have in view.

I am glad, Sir, that in the Com- | mittee, as in this House, this very delicate problem has been examined in a very dispassionate, realistic and objective manner. Our approach throughout has been one which I need not state in many words. It is indicated in Chapter 'II of the Report. I would invite the special attention of the Members of this House to that Chapter so that in dealing with this problem we may not be obsessed by any wrong notions and if there is any narrow-mindedness anywhere that may be shed off and the realities of the situation may be appreciated by all.

I am thankful to the friends who have been working for Hindi in the South for many many years. The people of the South have spent lakhs of rupees in training their own sons and daughters in Hindi. Even today, thousands of workers are engaged in this national and patriotic work there. So if we want speedy advance, let us join hands with them, let us help them and let us see that the cause -which they have been serving self-lessly is to some extent advanced also' through the little assistance that we may be able to give.

Sir, in the Committee this Report was considered, as I have submitted, in a rational and national way. No party considerations, no regional considerations, no linguistic considerations created any bias or any malice whatsoever and that is the spirit in which we have to function in this country not only in this particular field but in all other fields and if we do that I think we shall soon attain that position which we deserve in the comity of nations.

5 P.M.

**HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE:
CIVIL AVIATION
TRAINING CENTRES**

बाबू गोपीनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश) :
श्रीमान् जी, आज इस वाद-विवाद को उठाने हुए मुझे एक प्रकार का दुख है। मैं अपनी

सरकार के ऊपर और इस सरकार की नीति के ऊपर, आजकल को संसद् के निर्णयों के ऊपर हमेशा से गर्व करता आया हूँ, लेकिन उस दिन हमारे मंत्रीगणों ने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उससे मेरे उस घमंड को थोड़ी सी ठेस लगी, खास तौर से उस जवाब से जो श्रीमान् एस० के० पाटिल ने दिया। उन्होंने अपने उत्तर में यह कहा कि सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद में जो हवाई जहाज की ट्रेनिंग की जाती है उसमें किसी प्रकार का समाजवादी पैटर्न का सवाल नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि आखिरकार ये लोग शिक्षा पाकर के बड़ी तनख्वाहें हासिल करते हैं और हमें इस स्कीम पर काफी खर्च करना पड़ता है। इसलिये साढ़े तीन हजार की फीस दो वर्ष में जो ली जाती है वह ज्यादा नहीं है। यद्यपि श्री अहमद मोहिउद्दीन साहब ने इस बात को इन शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने भी यह कहा कि यह फीस दो साल के लिये है और हजारों में देखी जाती है, इसलिये यह ज्यादा मालूम होती है लेकिन यह ज्यादा नहीं है। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गरीब किसान के बच्चों के लिये, गरीब मजदूर के बच्चों के लिये, दफ्तरों के चपरासियों के बच्चों के लिये, इस संसद् के अधिकांश मेम्बरों के बच्चों के लिये, सेक्रेटेरिएट के बच्चों के बच्चों के लिये जो अकल में किसी से कम नहीं हैं, काफी ह्यूमन पुष्ट हैं, काफी मजबूत हैं, हर तरह की योग्यता रखते हैं, उन के लिये साढ़े तीन हजार इकट्ठा कर के इस प्रकार की ट्रेनिंग देना कैसे सम्भव है। मैं यह भी आप से निवेदन करता हूँ कि यह ट्रेनिंग दो प्रकार की होती है। उस दिन हमारे मंत्रीगणों ने इस ट्रेनिंग का जो हाल बतलाया था वह पूरा नहीं बतलाया। उन्होंने पाइलेटों की केवल एक प्रकार की ट्रेनिंग की चर्चा की। वाक्या यह है कि एक ट्रेनिंग चौबीस महीने के लिये है, जिस के लिये १५ हजार रुपया पेसागी ले लिया जाता